राजस्थान विधान सभा

सतरहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक २१ मार्च, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११.५ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १८७

राजस्थान में जनवरी १६५५ के पश्चात बरखास्त व मोअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १ जनवरी १६५५ के बाद राजस्थान में कितने पुलिस कर्मचारी बर्खास्त किये गये और कितने कर्मचारी मोअत्तिल किये गये ?

(ख) जयपुर रेन्ज में ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या बेजाब्तगियों की शिकायतें १ जनवरी १६५५ के बाद पेश हुई हैं ?

(ग) जयपुर जिले के ऐसे कौन कौन कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार या बेजाब्तगी के अपराध में मोअत्तिल या बर्खास्त किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) १ जनवरी १६५५ के बाद राजस्थान में ६५७ पुलिस कर्मचारी मोअत्तिल तथा ६३० डिसमिस एवं डिसचार्ज किये गये ।

(ख) २६४ पुलिस कर्मचारी ।

(ग) यह सूची इस प्रकार हैं:—

मोअत्तिल किये गये व्यक्तियों की सूची—

Page No 2

[श्री रामकिशोर व्यास]

सर्व श्री सूबेसिंह, रामसिंह, शिवसिंह, बलबीरसिंह, हाफिजुद्दीन, अब्दुलहकीम, याकूबखां, नियाब मोहम्मद, छोटू राम, रामेश्वर दयाल, नूरखां, माल चन्द, जनार्दन प्रसाद, चीसा राम, मूला राम, ओंकारनाथ, भंवरलाल, पाबूदानसिंह, अर्जुनलाल, रामजीलाल, राम नारायण, करम चन्द, लल्लू नारायण, मोहन सिंह, जगदीश सिंह, मुरारी लाल, कान सिंह, सीता राम, दीप चन्द, दौलत राम, घासी राम, वासु देव, नानक चन्द, रनजीत सिंह, बनवारी लाल, भंवर सिंह, पारस दास, हरि शंकर, खेली राम, श्रीनारायण, बाई सिंह, प्रभु सिंह।

डिसमिस हुये व्यक्तियों की सूची:—

सर्व श्री सूबेसिंह, रामसिंह, अब्दुलहकीम, रामेश्वरदयाल, दीपचन्द, दौलतरात, नानक चन्द, भंवरसिंह, खालीराम, प्रभूसिंह, नारायनसिंह, इनायतखां, रामसिंह, जालिमसिंह, मोहन लाल, रामचन्द्र, गोविन्द, नारायण, बहादुरसिंह, गोपालसिंह, सुगनसिंह, भूपसिंह, रामचन्द्र।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह जो लिस्ट आपने पढ़कर सुनाई, है उसमें किसनगढ का कोई आदमी शामिल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह कैसे हो सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मैं नहीं कह सकता, किस गांव का और कहां कहां है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि गौरीशंकर सब इन्स्पेक्टर की जांच कराई गई फिर भी उसका नाम मोअत्तिली की लिस्ट में नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास— मेरे ख्याल से ५५ में नहीं हुआ होगा। १ जनवरी सन् ५५ के बाद के तो इस लिस्ट में आ जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है किशनगढ़ के जितने भी पुलिस कर्मचारियों की जांच हुई वे सारे कागज दबा दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई बात नहीं जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी थी, जरुर की गई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गौरीशंकर के बारे में कई बार विधान सभा में आश्वासन दिये जाने के बाद भी अब तक निर्णय नहीं निकला है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप यदि गौरी शंकर के बारे में अलग से सवाल पूछे तो बताया जा सकता है, जानकारी करके।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरवाड के सब इन्सपेक्टरों के मामले भी अभी तक पेंन्डिग हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप अलग से पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूँ ।

प्रश्न संख्या १८८

जलबोर्ड द्वारा सहायता लेकर ग्राम फडींग (त० नागौर)
में जाटों द्वारा कुए पर उच्च व निम्न वर्ग हेतु पृथक स्थान बनाना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जल बोर्ड से कुए के लिये सहायता लेकर गांव फडींद, तहसील नागौर के जाटों ने ऊचे व नीचे वर्ग के लोगों के लिए पानी भरने के स्थान कुए पर अलग अलग बनाये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि वहां के जाटों ने भोमियों को उस कुए पर पानी न भरने देने के सिलसिले में मार पीट की थी ?

(ग) क्या कलेक्टर नागौर ने गांव फडींद में जाकर मामले की जांच की थी यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय यह मामला अदालत में जेर तजवीज है, इसलिये इसका उत्तर देना मुनासिब नहीं समझता ।

श्री भोपालसिंह—क्या कुए पर पानी भरने देने के लिये रोला भी हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह ठीक है ।

श्री भोपालसिंह—क्या इसके लिये नागौर में भी रोला हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सारा मामला सब जुडिसस है । अतः इसका जवाब नहीं दिया जासकता ।

श्री भोपालसिंह—क्या, इस मामले को लेकर नागौर में भी झगड़ा हुआ है ?

अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No 4

प्रश्न संख्या १८६

श्री प्रभुदयाल (प्रश्नकर्ता अनुपस्थित) कृपया परिशिष्ट १ देखिये,

प्रश्न संख्या १६०

सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रेणी वार कन्ट्रक्टर्स

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग में किस किस ग्रेड के कितने कितने कन्ट्रेक्टर्स हैं ?

(ख) राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस कन्ट्रेक्टर का नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया गया है ?

(ग) ब्लैक लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद किस किस कन्ट्रैक्टर को क्या क्या काम कब कब दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग में

ए. बी. सी. तीन ग्रेड के ठेकेदार हैं, जिनकी संख्या निम्न है :

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
१	ए	१००
२	बी	१५१
३	सी	४१०

(ख) राजस्थान निर्माण के बाद निम्न ठेकेदारों के नाम ब्लेक लिस्ट में दर्ज किये गये हैं :

१। श्री मलवा राम ।

२। श्री राधेश्याम ।

३। मैसर्स लाल चन्द भगवानदास

४। श्री लक्ष्मी नारायण ।

५। श्री उदयलाल अजमेरा एण्ड सन्स ।

६। श्री सावनराम ।

Page No 5

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(ग) ब्लैक लिस्ट होने के बाद किसी कन्ट्रक्टर को कोई काम नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या १६१

तहसील डेगाना (जिला नागौर) की स्थापना के पश्चात मेड़ाता से स्थानान्तरित हुए जूडीशियल मामले व उन पर निर्णय

श्री भोपालसिंह—क्या न्याय मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) जिला नागौर की, तहसील डेगाना कायम करने के बाद जुडीशियल सींगे के कुल कितने मुकद्दमे तहसील मेड़ता से ट्रान्सफर होकर आये ?

(ख) ३१–१२–५५ तक कितने मुकद्दमे दर्ज हुए उनमें राजीनामा कितने कैसेज में हुआ व फैसल कितने हुए और अब कितने मुकद्दमे बाकी हैं ?

(ग) उपरोक्त बाकी मुकद्दमों की सुनवाई नहीं होने की क्या वजह है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृहमन्त्री) (क) तहसील डेगाना कायम होने बाद कुल ५२ मुकद्दमे वहाँ मेड़ता की अदालतों से एस. डी. एम. द्वारा ट्रान्सफर होकर आये। ३१–१–५५ तक १४३ मुकद्दमें दर्ज हुए। इस तरह कुल १९५ मुकद्दमे दर्ज हुए। इनमें से २८ मुकद्दमों में राजीनामा हुआ, २३ फैसल हुए तथा अब १४४ मुकदमे पैन्डिग में हैं।

(ख) उपरोक्त मुकद्दमों के फैसल न होने के कारण निम्नलिखित हैं —:

(१) चालानी मुकद्दमे, जिनकी पैरवी के लिये पुलिस की तरफ से कोई पी. एस. आई. नियुक्त न होने से फैसल नहीं हो सके।

(२) ता० २–५–५५ से ३०–६–५५ तक डेगाना के सेकन्ड क्लास मजिस्ट्रेट छुट्टी पर रहे।

(३) एक्साइज मुकद्दमों में एक्साइज डिपार्टमेन्ट का प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर तथा गावाहान समय पर उपस्थित नहीं हुए।

श्री भोपालसिंह—क्या मौजूदा तहसीलदार को जूडीसियल मुकद्दमे तै करने का अख्तियार नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे मालूम नहीं इस बारे में।

प्रश्न संख्या १६२

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभूदयाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न सख्या १६३

किशनगढ़ सब डिविजन के मुहाफिजों का अपने हैड क्वार्टर से बाहर रहना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में मुहाफिजों की संख्या कितनी है ?

(ख) पिछले तीन माह में कौन कौन मुहाफिज कितने कितने समय के लिये अपने हैड क्वार्टर से बाहर रहे ?

(ग) उनके हैड क्वार्टर से बाहर रहने के क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह,—(उपमंत्री) सिंचाई विभाग (क) किशनगढ़ सब डिविजन में मुहाफिजों की संख्या १५ है ।

(ख) फहरिस्त सदन की मेज पर रख दी गई ।

(ग) फहरिस्त में विवरण दिया हुआ है और वह सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपा परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब मुहाफिज लोग हैड क्वार्टर छोडकर बाहर गये और नये व्यक्तियों को चार्ज नहीं दिया गया तो पानी का काफी नुकसान हुआ ?

श्री खेतसिंह—कुछ ही दिनों के लिये जाने से चार्ज देने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है जिन दिनों में वे ऑफिस से बाहर रहे उन दिनों में बहुत बड़ी तादाद में पानी का नुकसान हुआ है ?

श्री खेतसिंह—ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक शिकायत नहीं, अनेकों शिकायतें पंचयतों की ओर से माननीय मन्त्री महोदय के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से पेश हुई हैं और उनकी रसीदें हमारे पास हैं ।

श्री खेतसिंह—कोई शिकायत मन्त्री महोदय के पास नहीं आई ।

Page No 7

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय अब इस बात की जांच करावेंगे कि मुहाफिजों की अदम मौजूदगी में पानी का काफी नुकसान हुआ है ?

श्री खेतसिंह—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मैं कहता हूँ कि आवश्यकता है और हजारों बीघा पानी का नुकसान हुआ है। कई पंचायतों की तरफ से शिकायतें की गई हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायतें भेजी गई हैं और पाने वाले अफसरों के दस्तखत मौजूद हैं।

श्री खेतसिंह—यह इन्फोर्मेशन दी, इसके लिये धन्यवाद। हमारे पास इन्फोर्मेशन आई है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ज्यादा दिन गैर हाजिर भी नही रहे। इसलिये जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले इसी हाउस में इस मामले पर यह तस्लीम किया गया था सरकार की ओर से कि इतना इतना नुकसान हुआ है और वह जवाब सरकार का है तो यह जो आज ये कह रहे हैं कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो कौन सा जवाब सही समझा जावे ? क्या वह जवाब दूसरा था और यह जवाब दूसरा है ?

श्री अध्यक्ष—मुझे बताइये।

श्री खेतसिंह—उस दिन भी जवाब दिया गया था कि मामूली नुकसान हुआ है और आज भी यही कहा जा रहा है कि मामूली नुकसान हुआ है।

भैरूंसिंह—आप किस आधार पर यह कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह—क्वेश्चन पूछा तो जवाब में बताया।

श्री भैरूंसिंह—आपने पहले बताया था वह किस आधार पर बताया और अब जो बता रहे हैं वह किस आधार पर बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आधार तो मालूम है सबको।

(घंटी)

प्रश्न संख्या १६४

बीकानेर डिविजन में १९५५-५६ में खोले जाने वाले औषधालय व तीन औषधालयों का दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरण

Page No 8

श्री प्रभुदयाल--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बीकानेर डिविजन में ५५-५६ में कितने औषधालय खोलने की मन्जूरी हुई थी, और उनमें से अब तक कितने खुले हैं?

(ख) क्या यह सही है कि तीन औषधालय यहां से हटा कर दूसरे डिविजन में खोले गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? मन्जूरी के अनुसार औषधालय नहीं खोलने का कारण क्या है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

(घ) क्या सरकार इस कमी की पूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद (स्वायत्त शासन मन्त्री) —(क) ८ और वह सब अब चालू हैं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि पिछले साल तीन औषधालय मन्जूर हुए थे वहां पर वे भी नहीं खोले गये ? अगर मन्त्री महोदय फरमावें तो उनके नाम बता सकता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद—आपने ५५।५६ की बात पूछी और वह मैंने आपको बता दी।

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा है न भाग (ख) में कि तीन औषधालय यहां से हटाकर दूसरे डिविजन में खोले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने कहा "जी नहीं" ।

श्री प्रभुदयाल—पूंगल और दो तीन जगहों के नाम मैं बता दूं वहां खोले जाने की बात थी, वहां के लिये मन्जूरी हुई थी पर अभी तक वहां नहीं खोले गये यह क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद—ये जो ८ औषधालय खोले गये इनमें से ४ चूरू में और चार बीकानेर में हैं। ओरिजिनल लिस्ट में भी ये ही थे और फाइनल लिस्ट में भी वे ही हैं। तो माननीय सदस्य का कहना क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इसमें गंगानगर जिला क्यों नहीं शामिल किया ?

Page No 9

श्री बद्रीप्रसाद—यह अलग से प्रश्न है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पिछले साल में गंगानगर में आवश्यकता क्यों नहीं हुई औषधालय खोलने की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां के लोगों की तन्दरस्ती अच्छी है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १६५

ग्राम रलावता (तहसील किशनगढ) के तालाबों का जीर्णोद्धार व उनसे सिंचित भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ में कितने तालाब हैं और उनके पीछे आबपाशी की कितनी भूमि है ?

(ख) कौन कौन से तालाब टूटे हुए हैं व उनकी मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह—(क) ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ में चार तालाब हैं। आबपाशी की भूमि का कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) हनुमान सागर टूटा हुआ है।

ये तालाब अभी तक सिंचाई विभाग को नहीं दिये गये हैं। दिये जाने पर मरम्मत करने का प्रबन्ध किया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—कौन कौन से तालाब राजस्व विभाग के मातहत रहे और कौन कौन से सिंचाई विभाग के मातहत रहे इसका फैसला क्या सरकार द्वारा किया गया है ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से सवाल है।

प्रश्न संख्या १२६

हरिजनों के हेतु राजकीय औषधालयों में शासकीय अधिकारियों की भांति विशेष सुविधाएं

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हरिजनों के लिये सरकारी अधिकारियों की भांति अस्पतालों में विशेष सुविधाएं रक्खी गई हैं ?

[श्री प्रभुदयाल]

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का सर्क्यूलर भेजा गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या सरकार अब इस ओर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सर्विसेज में स्थान सुरक्षित रखना अलग बात है। अस्पताल में स्थान सुरक्षित रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि यहां पर जनरल वार्ड्स में सब लोगों को भरती किया जाता है और दवाइयां आदि बिना भेदभाव के गरीब लोगों को मुफ्त दी जाती हैं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री प्रभुदयाल—हरिजनों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि सबको समान सुविधाएं दी गई हैं जनरल वार्ड्स में।

श्री प्रभुदयाल—जब दूसरी सर्विसेज के बारे में विशेष सुविधाएं हैं तो अस्पताल में क्यों नहीं हैं? क्या उनकी आर्थिक दशा अच्छी है इसलिए विशेष विचार नहीं करती सरकार ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हरिजन मेहनत करते हैं इसलिये उनकी तन्दरुस्ती अच्छी रहती है। (हंसी)

प्रश्न संख्या १६७

परबतसर तहसील के वे व्यक्ति जो ग्राम एवं तहसील, दोनों पंचायतों के सदस्य हैं

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परबतसर तहसील में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ग्राम पंचायत और तहसील पंचायत दोनों के सदस्य हैं ?

(ख) उक्त व्यक्ति किस कानून के अन्तर्गत दो जगह पंच बनाये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) दो।

(ख) अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है; जिसके अनुसार एक आदमी दो स्थानों पर सदस्य रह सके यद्यपि दो व्यक्त तहसील पंचायत परबतसर में पंच चुन लिये गये हैं। किन्तु अभी उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई है। शपथ देते समय या तो ये सम्बन्धित पंचायतों से त्यागपत्र दे देंगे वरना उन्हें तहसील पंचायत के लिये शपथ नहीं दिलाई जावेगी।

प्रश्न संख्या १६८

ग्राम कंवरपुरा बंधाल (तहसील फुलेरा) में अप्रेल, १६५४ में तकावी प्राप्त व्यक्ति

श्री भैरूसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत मौजा कंवरपुरा, बंधाल, तहसील फुलेरा में अप्रेल सन् ५४ से अब तक किन किन व्यक्तियों को तकावी दी गई ?

(ख) क्या यह सही है कि जिस काम के लिये वह तकावी दी गई उस काम में खर्च नहीं की गई है ?

(ग) इसकी जांच करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) मौजा कंवरपुरा (बंधाल) तहसील फुलेरा में अप्रेल, १६५४ से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों को तकावी दी गई है।

(१) श्री देवा, पुत्र श्री मुकन्दा जाट।

(२) श्री परसराम, पुत्र श्री देवीलाल जाट।

(३) श्री माना, पुत्र श्री रतना जाट।

(४) श्री राम बन्दा, पुत्र श्री लादू जाट।

(५) श्री नान्दा, पुत्र श्री लादू जाट।

(६) श्री रूपा, पुत्र श्री ईसरा जाट।

(७) श्री गोपीराम, पुत्र श्री गीजराज ब्राह्मण।

(८) श्री लालाराम, पुत्र श्री बालूराम जाट।

Page No 12

[श्री सम्पतराम]

(६) श्री बंसीधर, पुत्र श्री शुभाराम ब्राह्मण ।

(१०) श्री परसुराम, पुत्र श्री देवाराम जाट ।

(११) श्री भजना व मनसा, पुत्र श्री हीरा जाट ।

(१२) श्री रामलाल, पुत्र श्री हीरा राम जाट ।

(ख) नहीं, तकावी जिस काम के लिये दी गई है उसी काम में खर्च की गई है । कुछ कार्य पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी उनमें दी गई तकावी से अधिक मूल्य का काम हो चुका है ।

(ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरूसिंह—इस बात की जांच सरकार ने किस अधिकारी से कारवाई कि तकावी जिस काम के लिए दी गई है, वह उसी काम में ली गई है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—इसके लिए कोई अलग अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है । बी. डी. ओ. और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं वही देखते हैं । वे ही अधिकारी कोन्सटेन्ट वाच करते हैं कि जिस काम के लिए दिया गया है, उसी काम में वह लाया गया है ।

श्री भैरूसिंह—क्या उसी मौजे के कुछ काश्तकारों ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को तकावी के लिए रुपया जिस काम के लिए दिया गया था, उन्होंने उसे उस काम में नहीं लिया है ।

श्री सम्पतराम—ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं है । आप इनफोर्मेशन दे रहे हैं तो उसकी जांच कराई जा सकती है ।

श्री भैरूसिंह—जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह किसी जांच के आधार पर दिया गया है या यही मानकर कि बी० डी० ओ० ने जांच करली है कि सबने तकावी उसी काम में ली है ।

श्री सम्पतराम—हम बी० डी० ओ० की रिपोर्ट ही फाइनल मानते हैं । अगर कोई गलती होगी तो बाद में देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १६६

किशनगढ़ में वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है या नहीं ?

(ख) यदि दिया जाता है तो किशनगढ के वर्कशाप को साप्ताहिक अवकाश के लिये कौन सा दिन निश्चित है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है।

(ख) प्राय: सप्ताह के प्रथम दिवस।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिये जाने के कारण मन्त्री महोदय से साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की मांग की गई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—किशनगढ के वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां सिर्फ मस्टर रोल चार्ज स्टाफ को ही सप्ताहिक अवकाश दिया जाता है और वर्क चार्ज स्टाफ को नहीं दिया जाता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—किशनगढ में ११ वर्क चार्ज स्टाफ और १७परमनेन्ट स्टाफ है तो ११ वक चार्ज स्टाफ है उसको भी अवकाश दिया जाता है।

प्रश्न संख्या २००

पंचायत क्षेत्र दिलोई (त० झुन्झुनू) के सरपंच का चुनाव एवं उसका राजपत्र में प्रकाशन

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पंचायत क्षेत्र दिलोई, तहसील झुंझुनूं, के सरपंच का चुनाव कौन सी तारीख को हुआ तथा कौनसा सरपंच चुना गया ?

(ख) क्या उक्त सरपंच का चुनाव राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो, क्यों नहीं ?

(ग) क्या उक्त सरपंच का नाम गजट में प्रकाशित न होने के कारण कलेक्टर झुंझुनू ने उक्त सरपन्च को पंचायत का काय न करने का आदेश दिया था ?

[श्री भैंरूसिंह]

(घ) क्या उक्त सरपंच अब काम कर रहा है ? यदि हां, तो क्या उसका नाम गजट में प्रकाशित हो गया है ? यदि नहीं, तो किस कानून के अन्तर्गत वे कार्य कर रहे हैं ?

(ङ) क्या यह सच है कि गांव वालों ने इस विषय में सरपंच (दयानन्द) के विरुद्ध चुनाव याचिका की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) ३०-५-५५ को श्री दयानन्द निर्विरोध निर्वाचित हुआ।

(ख) जी हां। दिनांक ३-३-५६ को प्रकाशित हो चुका।

(ग) जी हां। कलेक्टर ने २७-११-५५ को रोक लगाई थी, जो कि स्पष्टीकरण होने के पश्चात् उठा दी गई।

(घ) जी हां। गजट में प्रकाशन हो चुका है।

(ङ) जी हां। खारिज हो गई।

श्री भैरूंसिंह—आपने बताया कि ३०-५-५५ को चुनाव हुआ था तो ३-३-५६ तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गलती से उप सरपंच का नाम प्रकाशित हो गया था सरपंच के बजाय, इसलिए रह गया।

श्री भैरूसिंह—सुना नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरपंच का नाम प्रकाशित होने के बजाय उप-सरपंच को सर-पंच घोषित कर दिया गया।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि उस दिन दयानन्द नाम का कोई नाम नहीं था, इसी कारण से गजट में नाम प्रकाशित नहीं कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात नहीं है, दयानन्द निर्विरोध चुना गया था।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि दयानन्द से पहले नानकराम सरपंच था और वह खड़ा हुआ था और उसका नाम जबरदस्ती रोक दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसके बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—३०-५-५५ के बाद गजट में किस तारीख से उप-सरपंच के स्थान पर घोषित किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३०-५-५५ के बाद ३-३-५६ को दयानन्द का नाम घोषित कर दिया है । गलती से उप सरपंच का नाम चल रहा था ।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न दूसरा है । उप सरपंच का नाम घोषित किया गया वह सरकार के नोटिस में कब आया, कि सरपंच की बजाय उसका नाम सरपंच की तरह से घोषित कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि उप-सरपंच के लिये जिसका नाम इसमें घोषित किया था वह दरअसल में उप सरपंच के लिए अपनाया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, यह बात ठीक है ।

श्री भैंरूसिंह—यह ठीक है तो बाद में उनका, सरपंच का नाम क्यों घोषित किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह गलती से नाम घोषित हो गया और दयानन्द का नाम घोषित नहीं हुआ था इसलिए ।

श्री भैंरूसिंह—इस गलती के बारे में क्या सरकार ने जांच करवाई या अपने ही आधार पर कह रहे हैं कि गलती हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे कागजात मौजूद हैं । गजट में नाम मौजूद है, उसमें नाम आ गया है ।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि इस बारे में क्या जांच कराई गई थी, उसके परिणाम के बेसिस कह रहे हैं कि गलती से घोषित कर दिया है या केवल मौखिक बातों के आधार पर यह कह रहे हैं कि नाम गलती से घोषित हो गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is a fact किसी सरकारी गजट में जो नाम आया है वह गलती से आया है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि रिटर्निंग आफिसर ने भी यही रिपोर्ट की है कि दयानन्द को उप-सरपंच के लिए चुना गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

Page No 16

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि दयानन्द ने एक बार नहीं कई बार चीफ पंचायत आफिसर के पास उस बात की शिकायत की हैं कि मेरा उप-सरपंच का नाम घोषित हुआ है इस लिए मुझे उसी पद पर काम करने की आज्ञा दी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह रेकार्ड पर बात नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि नानकराम ने आपके समक्ष भी एक दफा शिकायत की है दयानन्द उप-सरपंच के लिए घोषित हुआ हैं ? वह सही है, इसकी जांच कराई जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता है। मझे यह जरुर कहा गया हैं कि दयानन्द का नाम गलती से हो गया है। इसमें जांच करवाने की बात नहीं है। ऐसी कोई बात मेरे पास नहीं आई।

श्री भैंरूसिंह—इस गलती के बारे में आपने स्वयं रेकार्ड देखा है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने रेकार्ड देखा हैं, उसमें दयानन्द का नाम रिटर्निंग आफिसर ने भेजा है यह तो मैंने आपको अर्ज कर दिया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भैंरू सिंह—एक प्रश्न और है साहब। उस जगह पर उप-सरपंच कौन चुना गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नानकराम का नाम उप-सरपंच के लिए था।

श्री भैंरु सिंह—उप-सरपंच का नाम पंचों में घोषित किया गया था या दूसरे को उप सरपंच बनाकर घोषित किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नानकराम का नाम उप-सरपंच के लिए घोषित किया था रिटर्निंग आफिसर ने।

श्री भैंरू सिंह—दयानन्द को उप-सरपंच घोषित किया गया था या नानकराम को उप सरपंच घोषित किया था। मेरा प्रश्न यह है कि दोनों उप-सरपंच हुए तो किसको घोषित किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिटर्निंग आफिसर ने डिक्लेयर किया था दयानन्द को सरपंच के लिए और नानक राम को उप-सरपंच के लिए। गजट में गलती से दयानन्द का नाम उप-सरपंच के लिए घोषित किया गया और नानकराम का नाम सरपंच के लिए घोषित किया गया था।

श्री भैरुसिंह—नानकराम का नाम गजट में सरपंच की तरह पर किसी कारण से प्रकाशित करवा दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैंने पहले ही कह दिया कि गलती से हुआ था।

प्रश्न संख्या २०१

कोदूकोटा (भीलवाड़ा) पचायत में सम्मिलित हुए ग्राम

श्री तेजमल बापना—Will the Minister for Local self government be pleased to state:--

(क) When was koduquota panchayat established and which of the villages were proposed by tho Inspector; Bhilwara for it ?

(ख) Is it a fact that villages Dhomdas, pondras and Akola (purawat) have not been included in it though recommended by Inspector ?

(ग) What are the reasons that they have been placed under Suwana panchayat ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) २७-८-५४ को कोदूकोटा, श्री नगर, गोकुलपुरा, कालसास, सीदड़ियास, रीचड़ा, मय मजरों के।

(ख) जी हां। ये ग्राम इस पंचायत में नहीं हैं।

(ग) इनको पटवार सर्कल के आधार पर हलकों में मिलाने की कार्यवाही जारी है जिससे इस पंचायत में नहीं गिनाये जा सकें।

श्री तेजमल बापना—प्रश्न के भाग (२) में जो गांव हैं क्या इनके लिए पंचायत इंसपेक्टर ने रिकमन्ड किया है या नहीं कि इनको भी मिलना चाहिये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां, रिकमन्ड किया था।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह पंचायत कब से कायम हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—२७-८-५४ से।

श्री तेजमल बापना—यह कितनी दूर है कोदू कोटा से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह नजदीक हैं।

श्री तेजमल बापना—नजदीक होने पर भी दूर गांवों को क्यों मिलाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अब उनको दुबारा करने की कार्यवाही हो रही है। सारे पंचायत सार्किल्स के बारे में यह डिसीजन लिया जा रहा है, कि वे पटवार सरर्किल्स के आधार पर कायम किये जायं। इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। पहले ऐसी शिकायत इस तरह की थी कि पंचायत सर्किल्स इस तरह से कायम होने चाहिये। इस पर विचार किया जा रहा है। इस समय हेर फेर नहीं किया जा सकता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह पंचायत कुछ दिनों के लिए बन्द रही, उसका सब कार्य बन्द कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि पंचायत बहुत दिन, तक गैर कानूनी तौर पर काम करती रही, बिना गवर्नमेंट के एप्रूवल के यह पंचायत कुछ दिनों तक चलती रही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—२७-८-५४ से यह स्वीकृति हुई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि स्वीकृति होने के पूर्व से ही इसका कार्य चलता रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या २०२

बूंदी स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क को मेटल्डरोड बनाना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या सरकार के पास बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली सड़क को मेजल रोड बनाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृति धन-राशि में अत्यधिक रूप से कटौती होने के कारण यह सड़क इस योजना में स्थान न पा सकी है।

(ख) अर्थाभाव के कारण प्रस्तावित योजना में इसको प्राथमिकता नहीं दी ज सकी है।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार इसको कब तक बनाने की योजना रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपसे अर्ज किया कि अर्थाभाव के कारण सेकन्ड फाइव इयर प्लान में इसके लिए कोई जगह नहीं दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या २०३

वेंगू औषधालय में १६५५ में मरीजों की संख्या अधिक होने से अधिक बैड्स की व्यवस्था करना

श्री सुगनचन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क. बेंगू अस्पताल में सन् १६५५ के साल में मरीजों की क्या संख्या थी तथा ऐसे कितने मरीज थे जिनको अस्पताल में रखा गया ?

ख. इस अस्पताल में कितने बैड्स साबित है तथा वार्ड बने हुए हैं या नहीं ?

म. यदि नहीं है तो क्या सरकार नया वार्ड बनायेगी यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मन्त्री)

क. जानकारी प्राप्त की जा रही है।

ख. इस अस्पताल में एक वार्ड है जिसमें ६ बेड्स हैं, इनकी हालत ठीक बतलायी जाती है।

ग. अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री सुगनचन्द—क्या जानकारी प्राप्त की जा रही हैं ? मुझे प्रश्न दिए हुए २० रोज हुए हैं, उसके बाद क्या जानकारी की जा रही, अथवा पहले ही कोई जानकारी की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जैसा बताया कि मरीजों की संख्या के बाबत आपने पूछा था, उसके लिए जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि इस प्रकार का एक सवाल सदन में पहले भी आया था और माननीय मन्त्रीजी ने कहा था कि जानकारी प्राप्त करूंगा ?

(विराम)

बेगूं के अस्पताल के बारे में गत अधिवेशन में जब यह सवाल आया था तब माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो क्या अब तक जानकार पूरी नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे इसका पता नहीं कि बेंगू की इस वक्त क्या स्थिति है, जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—कब तक जानकारी आ जायगी ? नेक्स्ट टर्न पर रख दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Yes.

प्रश्न संख्या २०४

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या २०५

लांपोलाई से डेगाना तक की सड़क का निर्माण

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) लांपोलाई से डेगाना तक की सड़क कब तक तैयार हो जायगी ?

(ख) उपरोक्त सड़क कौन कौन से गांवों से होकर जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(सार्वजनिक निर्माण विभाग)।

(क) जो सड़क बनानी हैं वे फाइव इयर प्लान में शामिल की गई है।

(ख) इस सड़क का अलाइन्मेंट इस प्रकार है:

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

लांपोलाई से अनियाला, बागर, पीलियास,

डेगाना से डेगाणा स्टेशन ।

श्री भोपालसिंह—क्या इसमें डीडवाना शामिल किया गया है ?

श्री रामचन्द चौधरी—जो गांव इसमें शामिल किये गये वे मैंने अभी आपको ऊपर बता दिये । डीडवाना इसमें है ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २०७

श्री हरीशंकर ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभूदयाल मेरे दो प्रश्न रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप एब्सेन्ट रहे ।

श्री प्रभूदयाल—मैं आज ही देर से आया ।

श्री अध्यक्ष Yes, Rao Raja-Sardarsingh.

श्री भैंरूसिंह—एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है साहब ।

श्री अध्यक्ष—है क्या ? (विराम) आज तो कोई नहीं है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कल के लिए है ।

Page No 22

मांग संख्या ३०-विविध-(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष—Reo Raja Shri Sardar Singh.

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद इब्राहीम।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री): कल पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पर बहस चल रही थी

श्री अध्यक्ष—इसमें डिफ्रेन्शियेसन तो है नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—कल चल रही थी।

कु० श्री जसवन्तसिंह....कल डिपार्टमेंट वाइज ले रहे थे।

श्री अध्यक्ष—ग्राम पंचायतों का कर ले हाथों हाथ।

श्रीरामकिशोर व्यास—कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष—क्या डिस्क्रीमिनेशन किया था ?

कु० श्री जसवन्त सिंह—डिपार्टमेंटवाइज़ ले रहे थे और पब्लिसिटी से शुरू किया था।

श्री अध्यक्ष—We cannot discriminate half of the departments one side and their half on the other side.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It was decided to take departmentwise to facilitate discussion.

श्री अध्यक्ष—मैं पूछ लूं। इनमें से जो पब्लिसिटी पर बोल चुके हैं, और नहीं बोले हैं तो बोल जांय।

[श्री अध्यक्ष]

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पोकन।

श्री ईश्वरलाल शर्मा—पंचायत पर बोलेंगे।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—रिहेबिलिटेशन पर।

श्री भोपालसिंह—

श्री नाथूराम मिर्धा—बोल लिए साहब।

श्री अध्यक्ष—भोपालसिंह, वे हैं नहीं, ग्राम पंचायत के बारे में।

श्री चन्दनमल वैद, बोल चुके।

श्री सज्जनसिंह, पंचायत के बारे में।

श्री मानसिंह महार, बोल चुके।

श्री चांदमल मेहता, बोल चुके।

श्री भोलानाथ, बोल चुके।

श्री श्रीदास गोयल

श्री रामकिशोर व्यास—कल नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—आज भी नहीं हैं।

राव राजा श्री सरदारसिंह—बोलना नहीं चाहते।

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—नहीं हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—मैं बोलना चाहता हूँ पब्लिसिटी के बारे में।

श्री अध्यक्ष—इस पर तीन-चार घंटे बोल चुके हैं। फिर बोलना चाहते हैं? फिर बोलिये और कौन कौन बोलना चाहते हैं पब्लिसिटी पर?

श्री नारायण चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, कल पब्लिसिटी विभाग के बारे में बहुत से पत्रों की स्वतंत्रता के प्रश्न पर इस सदन में वादविवाद हुआ तो मुझे सचमुच इस बात को प्रस-

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

मानता हुई कि सदन के कुछ मेम्बरों ने प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में और पत्रों की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ मुद्दे इस सदन में उठाये हैं और कुछ मित्रों ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि पत्रों की स्वतंत्रता अक्षुण्य रहनी चाहिए और विज्ञापन नीति के संबंध में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय, कि जब ये प्रश्न उठाये जाते हैं या यह प्रश्न जब उठते हैं तो इस बात का खयाल रखना ज्यादा बहतर होता है कि कहीं पत्रकारिता के साथ राजनीति का तो संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है। अगर सीधा पत्रकारिता के संबंध में यह जोर दिया जाता तो बहतर होता। कुछ मित्रों ने उस परम्परा को, इस ट्रेडिशन को गलत बताया है और आजकल राजस्थान सरकार के प्रकाशन विभाग को बदनाम किया जा रहा है। मैं उसके औचित्य और अनौचित्य पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालूंगा लेकिन बताऊंगा कि जो परम्परायें आज चल रही हैं, बदकिस्मति से राजस्थान में उन परस्पराओं को बहुत पहले से हो जन्म दे दिया गया था। जिन लोगों ने आज सदन में प्रश्न उठाया है, उन्होंने ही परम्पराओं को जन्म दिया है और जरासी बात पर एक बहुत बड़े दैनिक का विज्ञापन बन्द कर दिया गया था और एक साप्ताहिक इस बात पर कि उसके सम्पादक को लेटर टू दि एडीटर किसी दूसरे अखबार में छप गया था इसलिए उसको विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया था। एक साप्ताहिक किसी खास आदमी का समर्थन नहीं करता था इसलिये उसको देना बन्द कर दिया गया था। एक अखबार तटस्थ नीति रखता था इसलिये उसको विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया था। यही परम्परा यदि भ्रष्टाचार और पक्षपात की है तो भी उन लोगों की डाली हुई है जो आज इस बात को महसूस करते हैं कि ये परम्परायें गलत हैं। अभी सदन में मौजूद नहीं है माननीय श्री चन्दनमलजी, मुझे इस बात की खुशी है कि चन्दनमलजी ने इस बात को महसूस किया कि ये परम्परायें गलत डाली गई हैं जब कि वे कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बातों को प्रश्रय देने में और बीज बोने में बानी मुबानी बन रहे थे। आज खुशी की बात है कि उन्होंने इस चीज को समझा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यह कहते हैं कि परम्परायें गलत थी तो यह कहने का भी साहस होना चाहिए कि हमने गलत परम्पराएं डाली थी जो आज बढ़ रही हैं। यह सख्त अफसोस है कि जो बीज बोया गया था वह आज पनप रहा है जिसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं।

कुछ व्यवसायिक बातें और कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बातें कही गई। मैं समझता हूं यह ठीक है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। किसी मित्र ने तो इस खर्च में दिल्ली के पत्रों को भी ला घसीटा है। कुछ ने कहा कि दिल्ली के अंग्रेजी, हिन्दी के पत्रों को इसलिये देना चाहते हैं कि वे सरकार का पक्षपात करें और उनका मुंह बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह आरोप गलत लगाया गया है। किसी भी पत्र पत्रिका या अच्छे पत्रकारों पर इस तरह का आरोप लगाना मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों के लिए उचित नहीं है जब कि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण और सर्कूलेशन की बात करते हैं तो

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

इसमें शक नहीं कि दिल्ली के पत्रों का सर्क्युलेशन बहुत ज्यादा है। और जब आप यह कहते हैं कि उनका मुंह बन्द किया जाता है तो आपकी इस बात की ताईद नहीं होती कि सर्क्युलेशन के आधार पर विज्ञापन देने चाहिये असल में विज्ञापन का आधार सर्क्युलेशन भी होता है और दूसरी अन्य चीजें भी होती हैं। कुछ सदस्यों ने बताया कि ४ पेज का अखबार है और तीन पेज का विज्ञापन दिया गया है इस बात से यही लगता है कि ऐसे पत्रों को विज्ञापन नहीं देना चाहिए इसलिये डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत हो जाती है। हमें देखना पड़ेगा कि अखबार का स्तर कैसा है और क्या हाथ उसका है जन जागरण और जन निर्माण में ? इन सब बातों को ध्यान में रखकर विज्ञापन देने की बात देखनी होती है।

एक मित्र ने कहा था कि ४ पेज का अखबार है और उसको ३ पेज का विज्ञापन दे दिय गया था। यह बात गलत थी। उसमें एक भी विज्ञापन ऐसा नहीं था जिसके बारे में चर्चा करनी पडे।

एक साहब ने प्रेस कमीशन का जिक्र किया, मैं भी इस सिलसिले में प्रेस कमीशन की रिपोर्ट की ताईद करना चाहता हूँ कि उसने यह सुझाव दिया है और मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि एडवारटाइजमेन्ट देने का काम प्रकाशन विभाग से अलग हो जाय तो अच्छा हो ताकि प्रकाशन विभाग के साथ पत्रकारों का सम्बन्ध न बिगड़े और उनको इस विषय में कहने की जरूरत नहीं पड़े। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

[श्री रामकिशोर व्यास—(गृहमन्त्री) के खड़े होने पर विरोधी पक्ष की ओर से "हियर हियर" व राज्य-पथ की ओर से करतल ध्वनि]

श्री जसवन्तसिंह—Will you Justify unjustified things ?

श्री रामकिशोर व्यास—That you will hear Just now.

श्री अध्यक्ष—Sometimes I fail to understand the sense of this thumping.

श्री जसवन्तसिंह—It has some Significance.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी विभाग के बारे में कल से काफी वाद-विवाद चल रहा है और काफी गर्मी भी रही, कुछ नाराजगी भी रही, जोश रहा और काफी समय इस पर दिया गया। मुझे खुशी है कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने बिना किसी रोक टोक के, जिसने जितना वक्त चाहा उसको उतना वक्त दिया और वक्त देना भी चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

श्री रामकिशोर व्यास (जारी)—मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, देना चाहिये था ताकि सदस्यों को अपने विचार जाहिर करने का मौका मिले. और अपने आपको सही या करेक्ट करने का मौका मिले । इतना वक्त जब से सदन कायम हुआ है, तब से पहला ही मौका है, यह खुश किस्मती है महकमे की कि उसके बारे में माननीय सदस्यों ने इतनी दिलचस्पी ली । राजस्थान में ही नहीं और प्रान्तों में भी कहीं भी इतना लंबा क्रिटिसिज्म पढ़ने को नहीं मिला जितना अब की बार राजस्थान में सुनने को मिला । इससे बहुत अच्छा हुआ । मैं निश्चित मानता हूँ कि गवर्नमेन्ट को इससे कुछ लाभ ही होने वाला है । जिस मद की तरफ, जिस बात की तरफ अब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था उस पर ज्यादा गौर करने का मौका मिला, जिससे गवर्नमेन्ट को लाभ है, ऐसी मेरी मान्यता है ।

यदि जो कुछ यहां कहा गया उसका विश्लेषण करूं तो उसको ३ भागों में विभाजित किया जा सकता है । एक तो यह कि विज्ञापन दी जाने की नीति, दूसरा विज्ञापनों के दरों की नीति और तीसरा प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशन किया जाता है उस के बारे में । इन तीनों में करीब करीब सभी मुद्दों की बहस आजाती है मैं सिलसिले वार इनके संबध में निवेदन करूंगा ।

विज्ञापन देने की नीति के बारे में बहुत काफी यहां पर कहा गया कि विज्ञापन जो दिये जाते हैं वे ऐसे अखबारों को दिये जाते हैं जो गवर्नमेन्ट के सपोर्टर हैं या महज क्षेत्रीय भावना, कुनबा परस्ती, खुद परस्ती, खुशामद परस्ती और दोस्त परस्ती, परवरिश और जितने भी अलफाज कोष में थे उनको इकट्ठा करके जितनों का प्रयोग करना मुनासिब समझा गया उतनों का प्रयोग किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल में ये बातें नहीं हैं जितनी बातें आप साहबान ने बताई उनमें से मेरी मान्यता है कि कुछ सही हैं, कुछ सही नहीं हैं कुछ अतिशयोक्ति हैं, कुछ गलतफहमी के कारण कहीं गई और कुछ सही नहीं हैं । मैं जैसे जैसे विचार प्रगट करूंगा वैसे वे आपके सामने आयेंगी ।

विज्ञापन के बारे में जो नीति राजस्थान सरकार की है वह वही है जो सन् ४९ में राजस्थान बना तब से बराबर बनी आरही है । जो नीति पहले की सरकार ने अपनाई थी उसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ (हीयर हीयर) मोटे मोटे सिद्धान्त ये हैं विज्ञापन के समय देखने पड़ते हैं । पत्र की किस कदर ग्राहक संख्या है, कैसा उसका प्रेजेन्टेशन है, लोगों में उसकी कहां तक पहुँच हैं आदि बहुतसी बातें हैं जिनको सामुहिक तौर पर देखकर निर्णय किया जाता है । अब तक, जैसा कि निवेदन किया, जो नीति चली जा रही है उसमें विशेष परिवर्तन नहीं किया गया और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझता था, एक बात और कहूं कि नीति के संबंध में इस का ध्यान आवश्यक रुप से दिया जाता है कि अभी राजस्थान में अच्छे पत्रों की कमी है । हमारे यहां थोड़े अर्से से ही पत्र आरम्भ हुए हैं और दैनिक पत्र तो हाल ही में जारी हुए हैं सिवाय लोकवाणी के जो सन् ४६ से चलता आरहा है । विशेष कर दैनिक और साप्ताहिक बहुत पुराने नहीं हैं, कुछ को छोड़ कर । इसलिये हमारी पत्रिकाएं बहुत पुरानी नहीं हैं । उनके विकास की जरुरत है और उनको सहायता की आवश्यकता है । गवर्नमेन्ट चाहती है और उसकी नीति है कि इनको प्रोत्साहन दिया जाय । जिन जिन को मदद की जरूरत

[श्री रामकिशोर व्यास]

है उनको वाजिब तरीके से मदद दी जाय। यह दृष्टिकोण गवर्नमेन्ट के सामने रहा है।

अब यह भी ऐतराज किया जा रहा है कि विशेष पत्रों पर विशेष कृपा है और विशेष पत्रों पर नाराजगी है। मैंने राजप्रमुख के भाषण के वक्त भी निवेदन किया था, आंकड़ों के आधार पर निवेदन किया था, कि यह कहना कि किसी पत्र, विशेषकर नवयुग का नाम लिया था, खास तौर से कृपा रही है, एडवरटाइजमेन्ट परवरिश के लिये दिये गये हैं, न्याय अन्याय लिखाना था इसलिये दिये गये हैं, यह ठीक नहीं है।

मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। नवयुग को १९५५ में सबसे ज्यादा विज्ञापन नहीं मिला और न १९५६ के पिछले दो महीनों में मिला। अगर आप इन आंकड़ों को न मानें और गलत बतावें तो यह आपकी मर्जी है इसके लिए तो मैं माफी चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि सही आंकड़ों को तो आपको मानना ही चाहिये और अगर न माने तो वह आपकी मर्जी, इसको मैं तो यही कहूँगा कि यह आपकी ज्यादती है। एक बात श्री हरिकृष्ण व्यासजी ने रखी कि आपने लोकवाणी को ३७ हजार और नवयुग को २८ हजार के एडवर्टाइजमेंन्ट दिये। मैं इस संबन्ध में आपको बताना चाहता हूं कि लोकवाणी को जनवरी से दिसम्बर तक और नवयुग को अप्रेल से दिसम्बर तक एडवरटाइजमेंन्ट दिये। लिहाजा इसका नतीजा निकालें तो आपको मालूम होगा कि लोकवाणी को ज्यादा और नवयुग को कम मिला, यह भी बात कसौटी पर बता देना चाहता हूँ। लोकवाणी को ३६. ३७ हजार का एडवरटाइजमेंन्ट दिया गया और नवयुग को २८ हजार का दिया गया। मगर जनवरी से दिया गया था और नवयुग को अप्रेल से दिया गया था। इसलिए ३ हजार का औसत मान लें और तीन महीनों के ९ हजार रुपए उसमें से कम कर लीजिये तो आपको मालूम होगा कि २८ हजार का एडवरटाइजमेन्ट लोकवाणी को दिया गया। इसलिये यह शिकायत करना कि नवयुग को ज्यादा विज्ञापन दिया गया किसी भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। पब्लिसिटी पर बहुत से भाइयों को रोष है मगर महेज उनकी नाराजगी की वजह से फेक्ट पर असर नहीं पहुँचेगा और अगर तथ्यों पर सोचेंगे तो उन्हें मालुम होगा कि असलीयत क्या है। इसलिए यह कहना कि नवयुग को विशेष किसी मंत्री महोदय ने चलाया या कांग्रेस का पत्र है इसलिये उसको ज्यादा विज्ञापन दिया जाता है और परवरिश दी जाती है, सही नहीं है, इसी तरह से अगर आप जनवरी और फरवरी के आंकडों को देखेंगे तो आपको मालुम होगा कि लोकवाणी को ज्यादा और नवयुग को कम विज्ञापन दिए गये हैं। अब मैं नवजीवन के बारे में जो कहा गया है उसके संबन्ध में कुछ निवेदन करूंगा यह पत्र उदयपुर से निकलता है और १७, १८ वर्ष पुराना पत्र है। अब कहा यह जाता है कि इसको सबसे ज्यादा एडवरटाइजमेंन्ट दिये जाते हैं। मैं आपको १९५३ की बात बताऊं। १९५३ में इसको सबसे ज्यादा एडवरटाइजमेंन्ट मिले हैं। उस समय आपने कुछ नहीं कहा और ऐसी बात अब आप क्यों बताते हैं कि अन होनी बात हुई। मैं यह नहीं कहता कि उस समय वाजिब नहीं था और अब वाजिब है। मैं तो यह कहूँगा कि उस समय भी जो हुआ वह वाजिब था और इसी लिए दिया गया और न इस वक्त दिया जाता

[श्री रामकिशोर व्यास]

है वह गैर वाजिब है । इसलिए यह कहना कि यह पक्षपात की बात है मेरे खयाल से सही नहीं है। इसके साथ २ आप अगर पहले देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी पेपर को २६ हजार का एडवरटाइजमेंन्ट दिया गया और दूसरे को ८ हजार का। उस समय तो आपने कुछ भी नहीं फरमाया एक को २६ हजार और दूसरे को ८ हजार, इतना बड़ा अन्तर उस जमाने में भी था। मैं आपको बताऊं कि एक दैनिक को ७ हजार और दूसरे को १० हजार और अब कोई विशेष फर्क आ गया है। यह बात ठीक नहीं मानते।

श्री जसवन्तसिंह—हम नहीं मानते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—जैसे पत्र चलते हैं उस लिहाज से एडवरटाइजमेंन्ट दिया जाता है। हो सकता है कि कभी किसी को ज्यादा मिल जाय और कभी किसी को कम मिल जाय। मैं तो आपको वस्तु स्थिति बताना चाहता हूं और यह बता देना चाहता हूँ कि इस साल ऐसी स्थिति नहीं है, जिससे कि इस प्रकार की तकरीर हुई है। मैं समझता हूँ कि हमको फेक्टस पर अधिक आधारित रहना चाहिये और यह जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि विज्ञापन उन पत्रों को दिया जाता है जो खुशामद करते हैं। मंत्रियों की फोटोज़ और उनके भाषण छापते हैं और न मालूम क्या क्या जो जो उनको कहना था कहा। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि अगर कोई अखबार वाला किसी मंत्री की फोटो छाप देता है तो जो कोई भी मंत्री होता है उसकी फोटो वह छापता ही है। इससे कोई मतलब नहीं। यह तो मिनिस्टर के साथ एटेच्ड है वह तो उसकी फोटो छापेगा। अगर आप मिनिस्टर होंगे तो आपकी फोटो छापेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको विज्ञापन दिया जाय, इसलिये वह आपकी फोटो छापता है। इसके अलावा मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं तो उन बदकिश्मत लोगों में से हूँ जिसके फोटोज बहुत कम आपको मिलेंगे। मेरे आधीन पब्लिसिटी विभाग होते हुये ही आपको मेरे फोटोज बहुत कम मिलेंगे। इसलिये आप पब्लिसिटी मंत्री की बात कहते हैं तो यह बात सही नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि सरकार उन्हीं पत्रों को एडवर्टाइजमेन्ट देती है जो उसकी हां में हां मिलाते है या उनकी नीति पर चलते हैं और आपने एक दो अखबारों के नाम लिये कि नवयुग और नवजीवन को सरकार बहुत विज्ञापन देती है और जो पत्र इसका विरोध करते हैं उनकी नीति का विरोध करते हैं उनको विज्ञापन देना बन्द कर दिया है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि इस समय ३२ पत्रों को विज्ञापन दिया जा रहा है। उन सब पत्रों को आप पहले देखेंगे कि उनमें से कितने सरकार की तारीफ करने वाले और कितने सरकार की बुराई करने वाले हैं। मैं यह कहूंगा कि यह कोई आधार नहीं हैं जैसा कि आप फरमाते हैं आपने अलवर पत्रिका का नाम बताया। वह कोई कांग्रेस का पत्र नहीं है और न वह किसी माननीय मंत्री का सपोर्टर है। इसलिये यह कहना कि सरकार की नीति से मेल रखने वालों को ही विज्ञापन दिया

[श्री रामकिशोर व्यास]

जाता है उचित नहीं है। अगर ३२ में से दो चार को देखकर ही यह आधार मान लें तो मैं यह कहूँगा कि यह सही बात नहीं होगी। इसके अलावा आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय कोई भी व्यक्ति विज्ञापन देने से किसी की तारीफ करेगा। आप इस ख्याल को छोड़ दीजिये। मैंने तो यह ख्याल छोड़ दिया है और अगर आपके दिल में अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो आप भी उसको निकाल दें और छोड़ देनी चाहिये। क्योंकि आप जानते हैं कि पत्रकार काफी समझदार होते हैं। असल में मैं यह कहूँगा कि यह जो सारा क्रीटिसिज़म हुआ उसमें गवर्नमेन्ट के प्रति न्याय नहीं हुआ। न केवल गवर्नमेन्ट के प्रति ही मगर पत्रों के प्रतिनिधियों के प्रति भी न्याय नहीं हुआ। क्योंकि वे तो बहुत रेस्पोन्सिबिल क्लास है। वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं उनको कोई भांड बता देते हैं तो कोई चारण बता देते हैं, कोई क्या कहता है तो कोई क्या कहता है। अगर पत्र प्रतिनिधियों को किसी पार्टी में इन्वाइट किया जावे तो कहा जाता है कि आपका नमक खा लिया तो आपके तो बोलेंगे ही और नहीं बुलाते हैं तो कहते हैं कि पत्रकारों को बुलाया नहीं। दोनों तरफ मुसीबत, करें तो मुसीबत, और न करें तो। ऐसा कहा जाता है, विज्ञापन देते हैं तो कहते हैं कि पक्षपात करते हैं और नहीं देते तो कहते हैं कि पार्टी पौलिटिक्स की बात है इसलिये इसको नहीं देते। मैं यह कहूँगा कि पत्रकारों के सामने एक न्याय की कसोटी होती है। वह सब बातों को अपने मेरिटस पर तय करता है इसकी वजह से नहीं लिखते कि उनको विज्ञापन दिया जाता है। वे तो किसी भी मामले को मेरिट से लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि सरकार जो कुछ उनको दे देती हैं और वे उसकी मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिये ऐसा कहना कि गवर्नमेन्ट जो कहती है वैसा करते हैं तो वह पत्रकारों के प्रति अन्याय होगा और मैं यह मानता हूँ कि यह उनके प्रति अन्याय है। कोई भी पत्र को एडवरटाइजमेन्ट नहीं मिलते हैं इसलिये कि वह सरकार की नीति को क्रिटिसाइज करता है, यह कहना भी वाजिब नहीं। बहुत से लोगों की आदत पड़ गई हैं कि वे काट छांट करके, बात बना कर लिखते हैं और उसमें अपनी तारीफ समझते हैं कि लोग इसको ज्यादा पसन्द करेंगे बहुत से लोग अपनी बुराई ही सुनना पसन्द करते हैं। इसलिये हमें यह मान कर नहीं चलना चाहिये। पत्रकार लोग हर इश्यू को उसके मेरिट पर ही निर्णय करते हैं।

जैसा कि मैंने आपको बताया ३२ पेपर्स हैं इनमें क्या आप सब को ही गवर्नमेन्ट का सपोर्टर मानते हो, आप भी रोज अखबार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ मेरे पास रोजाना इन पत्रों के कटिंग आते हैं उनके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि ऐसे काफी समाचार पत्र हैं जिनका गवर्नमेन्ट की नीति से मेल नहीं खाता इसलिये आपने यह आरोप लगाया कि विज्ञापन केवल उन्हीं समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो गवर्नमेन्ट के सपोर्टर्स हैं यह वाजिब बात नहीं है।

एक बात और जो कही गई वह यह है कि एक पेज के एडवरटाइजमेन्ट को छोड़िये तीन २ पेजेज के एडवरटाइजमेन्ट मिले हैं, किसी ३० तारीख को नवयुग अखबार को। उसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूँ हो सकता है कि किसी पर्चे में एडवरटाइजमेन्ट ज्यादा दे दिया हो लेकिन जो एडवरटाइजमेन्ट देते हैं वह कोई यह बात ध्यान में रखकर नहीं देते हैं कि यह तीन पर्चे का है या चार पर्चे का। दर असल

Page No 30

[श्री रामकिशोर व्यास]

जो भी परिणाम निकलने की बात है वह तो साल भर के नतीजे को देखकर ही परिणाम निकाला जा सकता है कि किस परचे को कितना एडवरटिजमेन्ट दिया गया। ऐसा बहुत सी दफा हो सकता है, कि किसी परचे के हिस्से किसी समय में दो पेज का एडवरटिजमेन्ट चला गया हो और दूसरे महिने कुछ भी नहीं मिला हो। यह भी तो होता है ऐसा भी होता है कि किसी को एक दफा एक महीने में बड़ा सारा एडवरटिजमेन्ट दे दिया उसके फिर १५ दिन तक मिलता ही नहीं। इसके लिये यह कहना कि किसी परचे को बहुत ज्यादा एजवरटिजमेन्ट दिया जाता है, ठीक नहीं है। आप कोई नतीजा निकालें तो साल भर के बाद यह देख कर निकाल सकते हैं कि इस पत्र को कितना एडवरटिजमेन्ट दिया गया और दूसरे पत्रों को कितना। साल भर के आंकडों से परिणाम निकाल सकते हैं। केवल इनडिवीज्युअल के हिस्से के बिनाह पर कोई निर्णय कर लेना ज्यादा अच्छा नहीं है। साल भर के केलकुलेशन कर के देखिये और फिर कोई बात हो तो हमें बताइये उसके बाद आप अपनी राय बनाइये। बिना इस प्रकार केलकुलेशन के यह कहना कि इसको ज्यादा दे दिया गया यह ठीक नहीं है।

यह भी कहा गया राजस्थान के बाहर भी आल इन्डिया जो पेपर्स हैं उनको भी एडवरटिजमेन्ट दिया जाता है। यह ठीक है ऐसा भी होता है कि बाहर के विज्ञापन हमारे राजस्थान के पत्रों को भी मिलते हैं। यह भी कहा गया कि उनको इसलिये विज्ञापन दिये जाते हैं कि वे सरकार के काले करनामों को छुपाते हैं। आल इन्डिया पेपर्स को जो एडवरटिजमेन्ट दिये जाते हैं वे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको आल इन्डिया बेसिस पर दिया जाना चाहिये। इसके अलावा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के भी जो एडवरटिजमेन्ट होते हैं वे भी तो अपने राजस्थान के पेपर्स को देते हैं इसलिये भी हम आल इन्डिया गवर्नमेन्ट के पेपर्स को देते हैं। इसके ऊपर यह कहना कि बाहर वालों को पैसा नहीं दे तो ठीक नहीं हैं क्योंकि जब वहां ऑल इन्डिया गवर्नमेन्ट हमारे राजस्थान के पेपर्स को भी एडवरटिजमेन्टदेती है तो हमारा भी फर्ज हो जाता है कि हम ऑल इन्डिया पेपर्स में विज्ञापन दें। इस ख्याल से अगर कोई फरमाये कि इस वजह से दिये जाते हैं गवर्नमेन्ट रिश्वत देना चाहती है ताकि वे काले कारनामों को प्रकाशित न करें। इसमें भी यह मानता हूँ कि आल इन्डिया के जो पेपर्स हैं, वे भी अपना इन्डिपेन्डेन्ट व्यू रखते हैं और इसलिये भी कि वहां का एडवरटिजमेन्ट हमारे पेपर्स को मिलता है। कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनका आल इन्डिया सरकुलेशन जरूरी है वे उन पत्रों को दिये जाते हैं, इसमें किसी दुर्भावना की बात नहीं मैं माननीय सदस्यों को इत्मीनान दिलाता हूँ

कुछ यह भी बताया गया कि हिन्दी के पत्रकारों को कई ऐसे फंक्सन्स होते हैं या कभी बाहर जाना होता है तो नहीं लेजाया जाता। इस संबंध में मैं निवेदन करूं इस मामले में अंग्रेज और हिन्दी पत्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। जितना अंग्रेजी पत्रकारों को अधिकार है, उतना ही अधिकार हिन्दी के पत्रकारों को हैं। अभी कुछ रोज पहले अंग्रेजी के पत्रकारों को जहां लेजाया गया वहां तीन दैनिक हिन्दी के पत्रों को भी सूचना दी गई और जहां तक मुझे याद है दो एक पत्रकारों ने उसमें भाग भी लिया। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसा सोचना ठीक नहीं। जहां

[श्री रामकिशोर व्यास]

कहीं भी पत्रकारों लेजाने की बात होती है सब को समान अवसर दिया जाता है। पहले कभी ऐसी बात सुनने में आई थी, किन्तु अब मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं होगी।

एक बात यह भी कही गई कि विज्ञापन में व्यय बहुत किया जा रहा है, यह सही है, रूपया काफी खर्च होता है। इससे पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट का क्या लेना देना। यह तो इनडिविज्युल डिपार्टमेन्ट का काम हैं। वह जो कुछ भी भेजदेता है हम तो केवल पोस्ट आफिस का काम करते हैं पेपर्स को भेज देते हैं। हमारा इसमें लेने देने का सवाल ही नहीं। इसके अलावा यह भी हुआ कि पंचवर्षीय योजना में भी काफी काम हुआ है, दो एक वर्ष में इस लिहाज से भी विज्ञापन ज्यादा दिये गये हैं यह भी स्वाभाविक है कि जब ज्यादा काम हुआ तो टेन्डर इनवाइट के नोटिस आदि के लिये काफी विज्ञापन देने पड़े हैं। इसलिये ज्यादा विज्ञापन देना स्वभाविक है आप यदि अनुमान लायेंगे तो आपको पता चलेगा सन् ५३ में जितना रूपया विज्ञापन के लिये दिया गया उससे दुगना ५४ में दिया गया और सन् ५४ से दुगना ५५ में दिया गया। ज्यादातर जो काम हुए हैं इसी वर्ष में हुए हैं इस लिये विज्ञापन टेन्डर आदि के लिये दिये गये। यही कारण है विज्ञापन ज्यादा देने का।

एक बात यह भी कही गई कि कलकता से निकलने वाला पत्र जिसका नाम विशाल राजस्थान है उसके पहले अंक में ही सरकारी विज्ञापन आगया। इस बारे में निवेदन करूं विशाल राजस्थान के जो संपादक थे वे राजस्थान में आये, वे हमारे से मिले और हम से कहा कि वे इस तरह पत्र निकलना चाहते हैं उसमें वे राजस्थान की समस्याओं को डील करेंगे उसमें राजस्थान के बारे में अधिकांश मेटीरियल होगा। हम गवर्नमेन्ट का टोकन कट्रीब्यूशन चाहते हैं। हमने टोकनकन्ट्र-ब्यूशन के लिहाज से पत्र को एडवरटिजमेन्ट दे दिया। उसके बाद उसको एक दो महीने तक कोई विज्ञापन नही दिया वह तो पहले पहल टोकनकन्ट्राब्यशन दिया गया। वह इसलिये कि उन्होंने यह कहा था राजस्थान की बहतरी के लिये वे अखबार निकालेंगे। विशाल राजस्थान ही नहीं बंबई और अहमदाबाद से भी जो पेपर्स निकलते हैं उनको हम विज्ञापन देते हैं। टोकन एडवरटिज-मेन्ट देना कोई एतराज की बात नहीं उसके बाद पत्र को कोई विज्ञापन मिला नहीं, आजतक नहीं आया हांलाकि वह हमारी एप्रूव्ड लिस्ट में है। महज सहानुभुति और हमदर्दी के लिहाज से यह विज्ञापन दिया गया।

श्री अध्यक्ष—There should be no mutual talks in the House.

श्री रामकिशोर व्यास—एक बात और आई कि गवर्नमेन्ट पेपर्स को विज्ञापन देना बन्द कर सकती है या नहीं।

श्री भोलानाथ—आप लेटेस्ट विशाल राजस्थान देखिये, उसमें आप टेन्डर नोटिस का विज्ञापन पायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (जारी रखते हुए)—हो सकता है मैंने उसे देखा नहीं है । एक बात यह भी कही गई सदन में कि सरकार किसी का एडवरटिजमेन्ट बन्द कर सकती है या नहीं इस पर माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार बन्द नहीं कर सकती । मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं हूं यह तो गवर्नमेन्ट का हक है, वह चाहे जिसे विज्ञापन दे सकती है गवर्नमेन्ट के राइट को चेलेंज नहीं कर सकते । यह कह सकते हैं कि विज्ञापन देने की निश्चित नीति और सिद्धान्त होने चाहिये । मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ । यह कहना, बन्द नहीं कर सकते, इसको मानने को तैयार नहीं । और इसके लिये मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान में भी और दूसरे प्रान्तों में भी ऐसे अवसर आये हैं जब कि गवर्नमेन्ट ने किसी पेपर के विज्ञापन बन्द किये हैं । यहां पर इस समय एक ही पेपर को विज्ञापन बन्द किये जाने को मिला है पर इससे पहले दो दो और तीन तीन दैनिक और साप्ताहिकों के विज्ञापन बन्द किये जाने की मिसालें मिलती है । एक दैनिक का बन्द हुआ और दो साप्ताहिक का बन्द हुआ । तो उस वक्त तो ऐसी बात पैदा नहीं हुई । इसी वक्त क्यों इतना महत्व दिया जाता है ? तो सरकार जिस समय जैसी आवश्यकता होती है वैसा करती है । बम्बई सरकार ने भी टाइम्स आफ इण्डिया को विज्ञापन बन्द किये । तो यह सरकार का अधिकार है तो सरकार के इस राइट को बन्द करने की बात अगर आप कहते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ । पर आप सिद्धान्त की अगर कोई बात कहते हैं, तो आपसे सहमत हो सकता हूँ ।

आडिटर रूल्स ऑफ सरकुलेशन के बारे में कहा गया । मैं आपसे कहूं कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं । सर्टीफिकेट उसको मिला है और शायद मेम्बर एक दो कोई हो तो हो । पर जिसके लिये कहा गया कि कई सदस्य हैं यह तो ठीक नहीं है । इतना तो मुझे मालूम है ।

विज्ञापन के दर की मुतल्लिक कहा गया । यह मैं मानता हूं कि हमारे जो दैनिक हैं या वीक्लीज़ हैं उनकी अलग २ दरें हैं । इसके बारे में मैं यह कहूं कि राजस्थान में ही नहीं, दूसरे प्रान्तों में भी रेटों की यूनीफोर्मिटी नहीं है । भारत सरकार के यहां भी यूनीफोर्मिटी नहीं है । दर असल में यह सारा प्रश्न ही उलझन भरा सा मालूम होता है क्योंकि दरें जो कायम की जाती हैं वे छपाई वगैरह को देखकर, सरकुलेशन को नजर में रखकर की जाती हैं और सरकुलेशन के फिगर्स को वैरीफाई करने का कोई साधन नहीं है, सिवाय इसके कि जो पेपर वाले लिखदें उन्हीं फिगर्स को हम सही मान लें, जबतक कि कोई विपरीत बात हमारे सामने नहीं आती । सरकुलेशन की बात में अतिशयोक्ति हो सकती है पर उसे वैरीफाई करने का साधन हमारे पास नहीं है । आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन लिमिटेड वाली जो बात है उसको आधार मानकर चला जा सकता है प्रेस कमीशन ने भी कुछ सुझाव दिये हैं रेट्स आदि के बारे में, पर वह भी भारत सरकार ने फाइनेलाइज नहीं किये हैं । हमने खुद ने भारत सरकार को लिख रखा है इस पोइन्ट पर कि वे हमें गाइडेन्स दें । पर अभी कोई उत्तर नहीं आया है, इसलिये यह प्रश्न पेन्डिंग में चल रहा है ।

कामर्सियल विज्ञापनों से सरकार की रेटें कुछ ज्यादा हैं । यह सच है । पर यह भेद यहां राजस्थान में ही हो ऐसी बात भी नहीं है, भारत सरकार में भी यह भेद है और सारे दूसरे प्रांतों में

[श्री रामकिशोर व्यास]

भी है। फिर खाली इसी बात पर काफी जोर दिया गया ऐसा क्यों ? कमर्सियल एडवर्टिजमेन्ट सस्ता जा सकता है तो सरकार से ही ज्यादा क्यों लिया जाय। यह बात मुझे भी ठीक जंचती है। अगर किसी का काम चार पैसे में किया जाता हो तो सरकार का काम छः पैसे में क्यों किया जाय। मैं इससे रिवर्स भी मानता हूं, कि जो परमानेन्ट कस्टमर है उसको तो और रियायत मिलनी चाहिये। किसी आदमी का जो कभी कभी आता है उसका काम अगर चार पैसे में होता है तो जो परमानेन्ट कस्टमर है उसका काम पौने चार पैसे में होना चाहिए। तो सरकार क्यों ज्यादा पे करे ? यह जो प्रश्न उठाया गया है यह महत्वपूर्ण है और मैं निवेदन करूं कि हम इस पर विचार भी करेंगे, इस मामले को एग्जामिन भी करेंगे।

यह भी कहा गया कि कमर्सियल विज्ञापन सरटन परसेन्टेज तक होना चाहिये। १० परसेन्ट या १५ परसेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इस पर भी विचार करेंगे यह भी विचारणीय बात है। पर इसमें एक बात है कि हमारे इस प्रांत में अगर इस सिद्धान्त को माना जावेगा तो शायद काफी नुकसान भी हो सकता है। यहां सभी पेपरों को कमर्सियल विज्ञापन नहीं मिलते। इस लिहाज से समझा जावे तो कम भी मिलने वाला है। तो यह भी सोचने की बात है। सरकार इस पर भी सोचेगी। इससे स्थानीय पत्रों को नुकसान हो सकता है, तो उनकी परेशानी और नुकसान को भी ध्यान में रखकर इस पर विचार करेंगे।

विज्ञापन को छापने की दरों के बारे में भी जो पालिसी भारत सरकार फोलो करेगी उसी के अनुसार यहां भी हम रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे।

कॉमर्सियल विज्ञापन के बारे में जो कहा गया कि गवर्नमेन्ट का विज्ञापन ज्यादा खर्चे का होता है और कॉमर्सियल कम पैसों का होता है तो इसको भी मैं एग्जामिन करूंगा और इसके बाद क्या इसके इम्प्लीकेशन हैं यह जांचने के बाद कोई निर्णय करने की बात मैं कह सकता हूं।

ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड के मेम्बरशिप के बारे में भी कुछ कहा गया। हमारे पास साधन नहीं हैं किसी का सरकूलेशन एस्सरटेन करने का। जो वे पेपर वाले बता देते हैं वही मानना पड़ता है। अगर हम इन्क्वायरी करने जाएं तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं इस चीज को भी एग्जामिन करूंगा कि ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्कुलेशन की सूचना को आधार मानकर चलें तो इसके क्या इम्प्लीकेशन्स होते हैं।

पांचवी बात जो मैंने कही वह कमर्शियल एडवरटाइजमेंट के प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट के एडवरटाइजमेंट के बारे में कि यह जांच करने का विषय है। इन पांच प्वाइन्टस के लिए मैंने आपसे कहा कि पूरी जानकारी कराकर और उस पर जो बात चीत होगी उसके बाद कहूँगा।

राष्ट्रदूत के लिए फरमाया, उसके लिए मैंने आपसे अर्ज कर दिया।

[श्री रामकिशोर व्यास]

एक बात और कहीगई है कि प्रकाशन विभाग ने जो प्रकाशन का कामहोता है उसमें अनियमितताएं बहुत होती हैं। अनियमितता से उनका यह अर्थ था कि वे गवर्नमेन्ट प्रेस से नहींछपाते हैं और बाहर छपाये जाते हैं और उनकी दरें भी ज्यादा दी जाती है। यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेस के बाहर भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के पब्लिकेशन छपाये जाते हैं और बाजे वक्त नारमल से ज्यादा रेटस देने पड़ते हैं। मैं इसको सही मानता हूँ। उनका यह भी ऐतराज है कि वह प्रेस से बगैर सर्टीफिकेट प्राप्त किए ही छपा लेते हैं। रेटस वगैरह के बारे में मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं कि पहले जितने भी पब्लिसिटी के पब्लिकेशन होते हैं, वे गवर्नमेंट प्रेस को देते हैं और जब वे छापने के लिए मना कर देते हैं तो दूसरी जगह छपवाते हैं। अगर वे मना नहीं करते हैं तो दूसरी जगह नहीं छपवाते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहां क्वालिटी प्रिन्ट करवाना पड़ता है और बाजे वक्त जल्दी करवाना पड़ता है तो उसकी वजह से रेट ज्यादा देने पड़ते हैं। कई मौके ऐसे आते हैं कि उन्हें जल्दी प्रिन्ट करवाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट प्रेस को नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि हम जो रेटस पे करते हैं तो उसका एप्रूवल गवर्नमेंट प्रेस से पहले करवाते हैं। जब तक रेटस प्रेस एप्रूव नहीं करता है तब तक उनका पेमेन्ट नहीं होता है। वे मना कर देते हैं तो बाहर छपवाते हैं और उनसे छपवाने की जो रेट्स हैं, वे प्रेस से मंजूर करवाते हैं। क्योंकि वे एक्सपर्ट हैं और वे रातदिन इनसे डीलविध करते हैं। उनसे एप्रूव कराते कि रेटस जो उन्होंने दी है वह कहां तक ठीक हैं। वह जो निर्णय देते हैं उसको मानकर रेट्स पे करते हैं। इसलिए वह दिमाग से ख्याल निकालना चाहिए कि जो प्राइवेट प्रेस के देने की बात है वह उनके मना करने पर देते हैं। रेटस आम तौर पर एप्रूव करा लेते हैं।

एकाध बात यह कही गई है कि किसी प्रेस को दिया गया है, युनाइटेड प्रेस या और कौन सा प्रेस है, उसको तो मैंने देखा है....

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मैंने तो किसी प्रेस का नाम नहीं लिया है और किसी दूसरे माननीय सदस्य ने लिया होगा।

श्री रामकिशोर व्यास—किसी प्रेस का बताया गया था कि ५५ में इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन किसी प्रेस को दिया गया है। तो उसका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट न तो इलेक्टोरल रोल्स छपाता है और न बेचता है और न किसी को देता है। वह इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है। इसको भी पब्लिसिटी से जोड़ देते हैं तो कोई वाजिब बात नहीं है। कोई लकड़ी चाहिए गवर्नमेंट को पीटने के लिए। चाहे वह कैसी ही हो, वेकूम ही क्यों न हो। इलेक्टोरल रोल्स से पब्लिसिटी का कोई लेन देन नहीं है। वह भी इसमें चिपका दिया। मेरा यह निवेदन करना है कि उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन के छपाने के बारे में, प्रकाशन के बारे में जो नीति है वह मैंने स्पष्ट की है। आगे जाकर जब तय करेंगे उस इयू को तब ताऊंगा कि कैसे करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे अधिकांश माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बगैर ऑर्डर के छपे हैं, उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसका मैंने उसी दिन जवाब दे दिया था कि ओरल ओडर्स (Oral orders) थे।

श्री अध्यक्ष—No questions and answers. By way of reply कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इनफॉर्मेशन की कमी है इसलिए कह रहा हूँ। By way of reply तो कहूंगा ही।

मेरी सबसे पहले यह अर्ज है कि ओरल ओर्डर के कन्फरमेशन में कोई लेटर उसके ३, ४ दिन के अन्दर इयू हुए थे कि बिल पास किया जाय तो क्या इस बात का उल्लेख है उसमें या केवल ओरल ओर्डर में इसका उल्लेख था। इसका स्पेसिफिक वे उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—वह मैंने पहले कह दिया है।

श्री अध्यक्ष—That is ample. It is for you (Shri H. K. Vyas) to infer. तो क्या पंचायतों का और मूव कर दें और सब का साथ ही जवाब दे दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसके जवाब में एक बात और कहना चाहता हूँ केवल।....

श्री अध्यक्ष—कल कल का दिन और है और मेम्बर्स इन्ट्रेस्ट दिखला रहे हैं डिस्कस करने के लिए और टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा, साहब!

श्री अध्यक्ष—अच्छा। I hope you will go by the words.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I assure you.

अध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी विभाग के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं और उनमें यह जो विशेषता नजर आई वह इसी वर्ष बहुत ज्यादा हुई हैं। उस पहलू पर तो मैं जाना नहीं चाहता लेकिन एक बात/उन्होंने जो कही उसको मैं पूरी तरह तहईद करता हूँ, अध्यक्ष महोदय। उन्होंने यह कहा कि राजस्थान सरकार की यह एक नीति रही है और वह नीति आज भी कायम है। यह बात मुझे मेरे माननीय/मित्र के भाषण में सबसे पते की नजर आई है। मेरी शिकायत

Page No 36

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अलबत्ता यह जरूर है कि वह नीति गलत है। और वह नीति क्या है? अभी उन्होंने बताया कि एक जमाना था जब कि एक पत्र को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था, एक विशेष दैनिक को। उसके बाद सरकार के व्यक्ति बदले, लेकिन सरकार की नीति नहीं बदली। चूंकि व्यक्ति बदले उनके लाइक्स और डिसलाइक्स भी बदले लेकिन प्रोत्साहन देने की नीति नहीं बदली, किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की नीति नहीं बदली अलबत्ता एक अखबार का नाम बदल गया। कभी लोकवाणी का जोर था और व्यासजी की सरकार आई तो राष्ट्रदूत का जोर होगया और व्यासजी नहीं रहे और सुखाड़ियाजी आये तो नवयुग का जोर आया। मेरा कहना यह है कि यह गलत नीति है। इस गलत नीति को दुरुस्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति बदले, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स बदले जिसको पेट्रोनाइज करते थे वे बदले, किसी को ज्यादा मिला और किसी को कम, लेकिन यह गलत नीति है कि पहले ऐसा हुआ था कि व्यासजी ने नवजीवन को एडवरटाइजमेंट बन्द कर दिया, ललकार को बन्द कर दिया, तो यह उन्होंने गलत किया। मैंने पहले ही अर्ज किया कि किसी सरकार के लाइक्स और डिसलाइक्स के उपर इस प्रकार के एडवरटाइजमेंट बन्द कर देना यह गलत बात है। इसलिए मेरा कहना यह है कि वे चाहे राष्ट्रदूत को पसन्द करते हों या नहीं। राष्ट्रदूत को कुछ लोग या दूसरी सरकार पसन्द करें या नहीं लेकिन वे उसको पेनेलाइज करने की कोशिश करें तो यह गलत बात है। इसलिए यह जो दलील दी गई है कि आज तक यही चीज चलती रही है, उधर बैठने वाले माननीय मित्र ने कहा कि वह हमारे वक्त का नहीं है, यह परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है। इस बात की मैं ताईद करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पहले से चली आ रही है और अब विकराल रूप धारण उसने कर लिया। उन्होंने पहले गलती की और अब उन्होंने उस गलती को और बढ़ावा दिया, और जब तीसरी गलती कि प्रेस कमीशन के आने के बाद अभी जो देर हो रही है वह भयंकर गलती है। यह कोई दलील हुई। मैं समझता हूं कि खुद गृह मंत्रीजी ने अपने भाषण में इस बात को साबित कर दिया है कि सरकार की नीति अवांछनीय रही है। एक जमाने में एक पत्र को आगे बढ़ाया और दूसरे जमाने में दूसरे पत्र को आगे बढ़ाया। तो क्या एक विशेष सरकार के बदलने में पेपर का स्टेटस बदल गया, उसका सरक्यूलेशन बदल गया, उसकी रीडरशिप बदल गई? क्या फर्क हो गया? जो क्राइटेरिया दिया था कि हम पेपर का स्टेन्डर्ड देखते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ग्राहक संख्या देखते हैं किस तरह के लोग उसको खरीदते हैं, यह देखते हैं; यदि यह सब देखते तो शिकायत ही नहीं होती, अध्यक्ष महोदय।

मेरी तो यह मान्यता है कि उनको नहीं देखते हैं। केवल यही देखते हैं कि उस पत्र से किस किस व्यक्ति का सम्बन्ध है अथवा उस पत्र में यह लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है। अभी अभी जो बातें सदन के सामने रखी गई हैं मैं समझता हूं उनकी गम्भीरता को कम आंका गया है। कलकत्ते के पत्र का जिक्र आया और अभी अभी उसका खुलासा भी आ गया कि पहला ही विज्ञापन दिया, पहले ही अंक में दिया जब कि सरकार का यह रूल है कि छः महिने निकल जायं तब देखें कि विज्ञापन दिए जा सकते हैं या नहीं, किन्तु पहले ही अंक में दिया और आज तक दिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जा रहे हैं। यह कोई एक विशेषता नहीं। जयपुर का एक साप्ताहिक है. अध्यक्ष महोदय, कल मैंने जान बूझ कर उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने समझा था कि इशारा ही काफी है, लेकिन इशारा हो काफी नहीं है। तो मैं उसका भी जिक्र करदूं कि जयपुर का एक साप्ताहिक है मशाल उसका नाम है। उसका रजिस्ट्रेशन पोस्ट ऑफिस ने तीन बार केन्सल कर दिया महज इस बिना पर कि उसने तीन ग्राहकों के नाम दिए और उन ग्राहकों ने यह कबूल करने से इन्कार कर दिया कि हम इसके ग्राहक हैं। वह गवर्नमेंट की एप्रूव्ड लिस्ट में है और पांच रुपया पर इंच कोलम के हिसाब से उसको विज्ञापन मिलता है, एडवरटाइज़ मिलते हैं। एक और पत्र है 'लोक जीवन', जो भीलवाड़ा से निकलता है, रिकोग्नाइज हो गया है और एप्रूव्ड लिस्ट में है आपके। और क्या कर रहा है यह विभाग कि हरिजन दिवस का मौका आ जाता है, उदयपुर में यह अजीब बात देखने को मिलेगी अध्यक्ष महोदय, कि १५ अगस्त और लोक जीवन नाम तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन उसमें सारा का सारा मेटर शुरू से आखिर तक वही है। लोक जीवन भीलवाड़ा से निकलता है लेकिन उस दिन वह उदयपुर से निकाला गया। नाम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों पत्रों में मेटर एक है, दोनों को सरकारी विज्ञापन अलग अलग मिलते हैं। तो ये अन्याय की चीजें हैं। क्या ऐसी बात नहीं है कि इसमें यह समझा जाय कि विशेष लोगों की ओर देख कर काम नहीं किया। लेकिन कोई नियम लागू करें, कोई स्टेन्डर्ड लागू करें तो यह वे कर सकते हैं या नहीं, यह देखना चाहिए था। जनवाणी कोटा वाला जिसका कल जिक्र किया था और मैंने कहा था कि इस पत्र के केवल चार पेज हैं। गृह मन्त्री जी ने एतराज किया कि कोई कैसा होता है, लेकिन मैं एक पत्र लाया हूँ जिसके दो पेज हैं और उस पत्र का पूरा पेज विज्ञापन का है और दूसरे पेज में फोटोज़ हैं। और फोटोज़ भी कोई मौके के भी हों तो कोई बात हुई। वित्त मन्त्री महोदय के फोटो हैं। हमारे वित्त मन्त्री, वन मन्त्री की पसन्दगी के लिए और खुश करने के लिए अपना धर्म निभाया हो तो क्या बुराई हो जाती है; एक पत्र में दो दो फोटो छपे और अगर फोटो छापने का ही धर्म निभाना हो तो दूसरी बात है। एक हो, दो हो, गलती हो गई हो, अनायास हो गया हो, ऐसी बात नहीं। नवयुग के बारे में कहा गया कि यह तय था, अध्यक्ष महोदय, जनवरी १९५५ से, जनवरी फरवरी ही नहीं, १९५५ से लिस्ट बताने के बजाय दिसम्बर १९५४ के बाद से जो फिगर्स शाया किए गए हैं उनमें ये करेन्ट महीनों के फिगर्स और जोड़ लिए जांय तो पिछले छः महीनों के जो फिगर्स हैं वे और जोड़ लिए जांय तो नवयुग का पहला नम्बर राजस्थान में न हो एडवरटाइजमेंट के बारे में तो अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी को शिकायत हो सकती है। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आंकड़े पेश करूं, कल परसों तो वैसी स्थिति हो सकती है लेकिन आज कुछ कारणों से पेश नहीं कर सकता। कुछ बन्धन हैं, अगर उन बन्धनों से हटा हुआ होता तो मैं कह सकता था, आजमें नहीं कह सकता। लेकिन मेरी जो जानकारी है और उस अखबार में छपे कॉलम इंचेज के टोटल हैं उससे मैं कह सकता हूँ कि नवयुग का पहला नम्बर है और यह निश्चित है। कांग्रेस सन्देश एक साप्ताहिक है और उस साप्ताहिक की विशेषता यह है कि जो विज्ञापन दैनिक पत्रों को मिलते हैं वे ही अलबत्ता कांग्रेस सन्देश को महुँच जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कौनसा स्टेन्डर्ड है, यह कौनसा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्टेन्डर्ड है तीन विज्ञापन दूसरों को जायं और चौथा कांग्रेस सन्देश को और अगर फिर बारी आ गई तो प्रजा सेवक, अमर ज्योति या नवजीवन। इससे यह पाया जाता है कि विशेष पत्रों को प्रोत्साहन देने की नीयत से यह किया जाता है। गृह मन्त्रीजी ने कहा कि विज्ञापन कोई बड़ा या छोटा हो सकता है। मैं कहूँगा कि अगर पूरा का पूरा फर्मा एडवरटाइजमेंट में चला जाय तो इसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलेगी और मेरा दावा है कि अगर इस प्रकार की एक मिसाल भी प्रस्तुत कर दी जाय तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदन से मांफी मांग लूंगा। मैं यह कहता हूँ कि ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में जिक्र किया अध्यक्ष महोदय और गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि डिपार्टमेंट भेजते हैं, हम क्या करें। कम से कम पाठ्य पुस्तकों के विज्ञापनों के बारे में तो उत्तर देते क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन देने के लिए कहा था और गृह मन्त्रीजी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने एक को बढ़ा कर पांच कर दिया। इसका क्या उत्तर है? कल मैंने जिक्र किया, कोई उत्तर नहीं, आज फिर जिक्र किया तो कोई उत्तर नहीं और अगर अब भी मैं दो तीन मिनिट बैठने के लिये तैयार हूं, यदि गृह मन्त्रीजी के पास कोई उत्तर हो और वे देने के लिये तैयार हों तो। कोई उत्तर नहीं। डाइरेक्टर एजुकेशन ने एक विज्ञापन के लिए कहा था और पब्लिसिटी ने पांच कर दिए। नवयुग, लोकवाणी, कांग्रेस सन्देश और दूसरा जिसका नाम मुझे याद नहीं। तो यह किया है। आज से पहले की जो सरकार थी, जिन व्यक्तियों के नेतृत्व में चलने वाली थी उन्होंने इस प्रकार की नीति बताई थी, तो आपको उसको दुरुस्त करना था, उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं तो यह तथ्यपूर्ण नहीं है।

एक बात और कहूँ अध्यक्ष महोदय। जिनके ऑर्डर्स नहीं थे उनके बाद में बिल पास कर दिए। दो मिनिट और चाहता हूँ। गृह मन्त्रीजी ने उत्तर दिया और कहा कि उनके पास ओरल आर्डर्स थे। मैं यह कहने की स्थिति में हूँ अध्यक्ष महोदय, कि ऐसे ओरल ऑर्डर्स नहीं थे और यह कहने की स्थिति में हूँ कि मैं एक प्रिविलेज मोशन के रूप में पेश करने वाला हूं यह सूचना भी दे दूं। गृहमन्त्रीजी को मालूम है कि ऑर्डर्स नहीं थे और मालूम होते हुए भी उन्होंने गलत बातें सदन को बताईं। मैं यह भी कहने की स्थिति में हूं कि जिनके बिल पास हो रहे हैं उन्होंने दूसरे पत्रों से एडवरटाइजमेंट छाप दिये, हमारे पास नहीं आये, हमने सोचा कि गलती रह गई होगी, इन एन्टीसिपेशन छाप दिये। सरकार का काम हो गया, हमको पैसा दो। यह फाइल में नोटिंग मौजूद है। मैं यह भी कहने की स्थिति में हूँ कि वह नोटिंग मौजूद है। जिन विभागों के एडवरटाइमेंट्स थे उन विभागों से लिखवा कर मंगाया, हालांकि ऑर्डर्स नहीं थे, हमारा परपज सर्व हो गया है और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का नोटिंग मौजूद है कि सरकार का काम हो गया और पैसा देने में क्या एतराज है। इसके बाद कहे कि ओरल ऑर्डर्स थे। यह तो जान-बूझ कर सदन को अंधेरे में रखने की प्रवृत्ति है और जब अंधेरे में रखने की प्रवृत्ति है तो कुछ न कुछ होना चाहिये।

(माननीय सदस्य के बैठ जाने पर व गृहमन्त्री के उठने पर)

श्री अध्यक्ष—You haue finished.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir.

श्री अध्यक्ष—I will not allow you afterwards. The Hon'ble Member should finish it first.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष वे बता रहे थे।

श्री अध्यक्ष—You finish it in two minutes. we don't want repitition.

श्री हरिकृष्ण व्यास—फाइल में होना चाहिए या तो कह दें। यह मेरी जानकारी में है....यह कह दें कि फाइल के नोटिंग से वे अनभिज्ञ थे, कोरेस्पोन्डेन्स से अनभिज्ञ हैं। सारी कोरेस्पोन्डेन्स की जानकारी है तो यह नहीं कहना चाहिये था कि ओल ओर्डर था। मैं यह कहूँगा कि सब कार्यवाही हुई है और ओरल आर्डर नहीं है। यह कह दिया कि कुछ दैनिक पत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है; लोकवाणी, राष्ट्रदूत और नवयुग को। अब यदि दैनिक पत्रों के नामों की ओर चला जाय तो जयपुर में एक और दैनिक पत्र था जन्मभूमि। वह विज्ञापन तक नहीं पहुँच पाया और इस कारण से खत्म हो गया। आप यह नहीं कह सकते कि दैनिक पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाता है, बल्कि यह कहना चाहिये कि जिनका सम्बन्ध गणमान्य लोगों से हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और यह नीति रखते हैं। क्योंकि समय की ओर बार बार इशारा होता है इसलिए एक बार मै और कहूँगा।

यह कह गया कि सरकार को विज्ञापन रोकने का अधिकार तो कम से कम रहना चाहिये। यह मन्त्रीजी से चेलेन्ज किया, बम्बई में मुरारजी की याद दिलाई, टाइम्स ऑफ इन्डिया का जिक्र किया, उसके बाद प्रेस कमीशन की मांग हुई, उसके बाद प्रेस कमीशन की सारी कार्यवाही हुई और प्रेस कमीशन ने अपनी निश्चित बातें लिखीं वे भी बताईं। फिर भी न मालूम क्यों उनके ध्यान में नहीं आता। बार बार बताने पर भी जब उनके ध्यान में नहीं आता तो मेरा कर्तव्य है कि उनको फिर दोहराऊं:

"In any case, withdrawal of advertisements cannot be and shouldnot be, made a substitute for or alternativedl to legal actions. We also hold that the liberty and freedom to place advertisements wherever it likes, which a private advertiser enjoys, canaot be conceded to the government which is a trustee of public funds and therefore bound to utilise them without discrimination."

इस सिफारिश के बाद भी यदि यह कहा जाय कि हम इस नीति को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो मेरे कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पक्ष में इससे ज्यादा और क्या दलील दी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जा सकती है । और जहां तक रेट का सम्बन्ध है, यह सम्भव है कि कमर्शियल रेट से ज्यादा रेट देने की नीयत है और यह भी सम्भव है कि जैसी दूसरी कमर्शियल फर्म्स देती हैं उससे भी ज्यादा दें तो यह समझ में नहीं आता कि जितना पत्र वाले लिखकर दें उतना ही मान लेने की क्यों जरूरत है ? सरकार चाहे तो यह मुकर्रर करले कि कमर्शियल रेट से डबल देंगे । लेकिन जो ईमानदारी से असल रेट देता है तो उसको भी वे मंजूर कर लेते हैं और कोई चार गुना लिखकर भेजता है उसको भी मंजूर और किसी की रेट पहले कम मंजूर हो गई हो और अपने ढंग की सरकार आ गई है उससे रिवाइज कराली है तो वह भी मंजूर कर ली जाती है । यह अनियमितता, अनौचित्य तरीका और पक्षपात है । और जिस तरह से दिया जाता है, सिवाय इसके कि कुछ पत्रों को आमदनी का जरिया दिया जाय इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता । इन शब्दों के साथ, समय तेजी से बढ़ रहा है इसका इशारा अध्यक्ष महोदय ने कहा, गृह मन्त्रीजी से कहूँगा कि उन्होंने कोई बात तथ्यपूर्ण नहीं कही उसके लिए अफसोस है । अब भी अगर काम किया जायगा तो सदन का समय व्यर्थ नहीं जायगा........

श्री अध्यक्ष—सदन के समय का हमेशा सदुपयोग होता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—होता है और इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर होना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी वाद विवाद हुआ और गृह मंत्रीजी ने बहुत ही मीठे लहजे में हम लोगों को जो कुछ कहा, इसका जबाब दिया वह शायद हम लोगों ने जो कुछ कहा उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सके मैं इस बात को महसूस करता हूँ । उन्होंने सबसे बड़ी जो आड़ ली, मैंने ही "काले कारनामे" शब्द कहा था........

श्री रामकिशोर व्यास—औरों ने भी कहा था ।

श्री मानसिंह महार—(जारी) "काले कारनामे" शब्द को रेफर तो किया पर उसको समझ नहीं पाये । पहले वाली सरकार ने गलतियें कीं, पालीवालजी की सरकार जिसमें आप भी मौजूद थे उसने गलतियें कीं और उससे पहले को सरकार ने गलतियें कीं तो काफी दिनों से परम्परा चली आ रही है । परम्पराएं कई चली आ रही हैं, यदि बुरी परम्परायें है तो उससे अपने आपको बचाना परम्परा चाहेंगे । उसी पर चलना कोई शोभा की बात नहीं है । आपने गोलमाल करके टालना चाहेंगे । उसी पर चलना कोई शोभा की बात नहीं है । आपने गोलमाल करके टालना चाहा । यह परम्परा भी अच्छी नहीं है । मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्रीजी जरूर कहेंगे कि हमारी नीति में यह फर्क आयेगा और यह होगा....

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा है ।

श्री मानसिंह महार—क्लियर कुछ नहीं फरमाया है। कहना और है और करना और है। करने की नीयत से नहीं कहा। एक स्पेसिफिक बात राष्ट्रदूत के विषय में कही थी, लेकिन आपने उसके बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहा कि करूंगा या नहीं........

श्री रामकिशोर व्यास—आप भी कहने की बात ही कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—गृह मंत्रीजी ने जोरदार शब्दों में दूसरों का खंडन किया कि नवयुग को लोकवाणी से ज्यादा विज्ञापन नहीं दिये गये। लोकवाणी का कंपेरिजन कहां से हो सकता है नवयुग से ? आप सोचिये कि नवयुग तो एक साल पुराना पत्र है और दूसरा लोकवाणी सन् ४६ से चला आ रहा है। आप कम्पेअर करते हैं कि दोनों को बराबर दिया था। मैं समझता हूँ आपसे न्याय की आशा करना हमारे लिये बहुत अनुचित होगा। नवयुग और लोकवाणी जो संघर्ष के युग से चला आ रहा है, छपना शुरू हुआ है, तब से संघर्ष में ही चला आ रहा है और नवयुग फूल की तरह से विकसित हो रहा है, सींचा जा रहा है और लोकवाणी पर क्या क्या चक्र चला था वह आपसे छिपा नहीं है। इस जमाने का पत्र उसकी बराबरी करे यह उस समय के पत्र के लिये हेठी बात है। राष्ट्रदूत भी लोकवाणी के बाद में आया लेकिन नवयुग तो उसके, बाद का है और उसको भी लोकवाणी के बराबर गिनने लगे या आपकी कसौटी है तो मैं यह समझता हूं कि हम लोगों के लिए भी यह शोभा की बात नहीं है। मैं और भी कुछ कहता लेकिन मैं समझता हूं कि पंचायतें और हैं हमारे सामने। इसलिए मैं यह कहूँगा कि पुरानी गलतियों को दोहराने के बजाय सुधारते तो ज्यादा वाह,वाही होती पुरानी सरकार से लीगेसीज मिली हैं। यदि कोई खराब मिली है तो आप उसको छोड़िये। ये चंद शब्द कह कर कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मानसिंह महार को उनका कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री मानसिंह महार—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं इस वक्त विचित्र स्थिति में हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह का जवाब दिया उस तरह के जवाब की आशा नहीं थी। मैं यह समझता था कि माननीय मंत्री जी समझदार भी हैं और न्याय प्रिय भी हैं। यदि कोई सरकार किसी परिस्थिति में, किसी कारण से कोई गलती करती है तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी में इतनी न्यायप्रियता और इतनी योग्यता अवश्य है कि वे उस गलती का अनुकरण नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे दूसरे ढंग का अनुभव हुआ, जब यह सुनने का मौका मिला कि क्योंकि पहले की सरकार ने कुछ विज्ञापन...........

Page No 42

श्री अध्यक्ष—There is no material, The same point repeated again and again by way of reply.

श्री चांदमल मेहता—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि पहले की सरकार ने भूल की और वह उस वक्त की बात है जब कि प्रेस कमीशन की निश्चित रिपोर्ट उनके सामने नहीं थी और अब जब कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट निश्चित सामने आ गई है और भारत सरकार की निश्चित नीति सामने आ गई है, उसके बाद भी यदि माननीय गृह मंत्री जी उसके विपरीत आचरण करते हैं तो यह भयंकर भूल है और उसको ठीक करना चाहिए। यदि मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लूं तो यह मेरी आत्मा का हनन है। लेकिन मै मजबूर हूं। चाहे आत्मा का हनन ही करना पड़े, लेकिन यह कटौती प्रस्ताव वापिस लेना ही चाहूँगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि राष्ट्रदूत के बारे में यह कहा गया था कि ऑडिटब्यूरो ओफ सर्कुलेशन (Audit Bureau of Circulation) का सदस्य नहीं है।

मैं यह आपकी सूचना के लिये कह देना चाहता हूं कि जिस समय राष्ट्रदूत को विज्ञापन देना बन्द किया उस समय वह ओडिट ब्यूरो ऑफ सरक्यूलेशन का एक सदस्य था और सदस्य होते हुए भी उसको बन्द किया, तो फिर किस आधार पर ? अब मंत्री महोदय कहते हैं कि सोचेंगे। मैं यह कहूंगा कि आपको उस वक्त सोचना चाहिए था, उस वक्त जब नये आदमी को विज्ञापन देने की बात हुई उस समय सोचना चाहिये था और सोचने की जरूरत थी।

जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरी आत्मा तो नहीं मानती कि मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापिस लूं क्योंकि निश्चित आश्वासन कोई नहीं दिये गये। लेकिन मजबूरी है और मजबूरी से मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चांदमल को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, मुझे आप माफ करेंगे क्योंकि मुझे इस पर कुछ ज्यादा बोलना पड़ेगा और इस कारण से वक्त भी ज्यादा लेना पड़ेगा। और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका जरूर जवाब देंगे। पहली बात यह कि नवजीवन के दो अंक मैंने सदन की मेज पर रखे और उसके बारे में कुछ बातें कही गई, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरे पास ही बैठने वाले बनेड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अंक दिखा कर कहा कि इसमें कहीं भी छपाई की गल्तियां नहीं हैं तथा टेन्डर आदि का कोई भी सरकारी विज्ञापन भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक उनका कहना

[श्री चन्दनमल वैद]

ठीक है। लेकिन होम मिनिस्टर ने हमारे सदन के विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में बताया था कि ५४। ५५ में नवजीवन को ११७२५ रुपये का विज्ञापन दिया गया था। साल में ११७२५ रुपये के विज्ञापन का अर्थ हुआ, एक हजार रुपया माहवार विज्ञापन के दिलाये गये। यह पत्र महीने में चार अंक निकालता हैं क्योंकि यह साप्ताहिक पत्र है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। ये आंकड़े श्री होम मिनिस्टर ने गल्त बताये हैं। हो सकता है कि या तो ये आंकड़े बतलाने में कोई गल्ती माननीय मंत्री महोदय से रह गई हो या विज्ञापन नहीं छपे हों और इस पत्र को रुपये मिल गये हों। इसलिये ज्यादा अच्छा होगा यदि माननीय होम मिनिस्टर इस बात का स्पष्टीकरण करदें।। इसके बाद में आप देखिये ५५, ५६ पांच महीने में इस पत्र को ६७५६ रुपयों का विज्ञापन दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि एक महीने में दो हजार रुपये। ये रुपये या तो बिना विज्ञापन छपे ही पैसे दिये गये या मननीय मित्र जो बनेडा से आते हैं उनके साथ उनकी सहानभूति होने के नाते उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं या सम्पादक सरक्यूलेशन मेनेजर, चपरासी आदि जो भी हैं श्री कनकमधुकर एक मात्र कर्मचारी बनेड़ा से नवजीवन के आते हैं; इस वास्ते मेरे मित्र कुछ पक्षपात रखते हैं या उन्होंने मेरे मित्र श्री किस्तूरचन्द मोची को यह अश्वासन दिया है कि वह उनका नाम "किस्तूरचन्द मोची" की जगह "किस्तूरचन्द जैन" लिखा करेंगे और वह उसके बदले में चुप रहेंगे। ऐसी बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिये थी लेकिन कहनी जरूरी हो गई, इसलिये कही है, क्योंकि यदि नहीं कहता हूं तो शायद लोगों को इसका मुगालता हो जायगा।

("हिअर हिअर" की विरोधी दल की ओर से आवाज)

माननीय अध्यक्ष, एक पत्र को २ हजार रुपया विज्ञापन से मिल जाय और वह भी साप्ताहिक; तो फिर उसका तो क्या कहना ? माननीय अध्यक्ष. ११. ३, ५६ का एक अंक मेरे पास मौजूद है जिसे मैं सदन की मेज पर रखूंगा। इसमें श्रीमन् राजप्रमुख और हमारे श्रद्धेय नेता श्री माणिकलाल जी वर्मा के फोटोज़ हैं। इनको देखने से यह पता नहीं लगता कि किसके फोटोज़ हैं ?

अध्यक्ष महोदय, हमारे होम मिनिस्टह ने अपने जवाब में कहा कि हमारे राजस्थान में दैनिक पत्रों की बहुत दिन कमी है इसलिये हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। बहुत खुशी की बात है, यह उनकी बहुत महरबानी है कि वे दैनिक पत्रों को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। आप आज लोकवाणी को ३५,०० का विज्ञापन दे रहे हैं। आप नवयुग को २८०० का विज्ञापन दे रहे हैं पर राष्ट्रदूतके साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि उसको विज्ञापन कतई नहीं दे रहे हैं। क्या यह सरकार के विरुद्ध लिखता है इसलिये इसको विज्ञापन नहीं दिये जाते ? मगर आप यह कहते हैं कि लोकवाणी भी सरकार के विरुद्ध लिखता है और केवल इसलिये सरकार ने राष्ट्रदूत के विज्ञापन बन्द नहीं किये

[श्री चन्दनमल वैद]

जब आपने इस कारण से इसके विज्ञापनों को बन्द नहीं किया तो फिर दूसरी क्या बात है और क्या कारण है जिसके लिये इसको विज्ञापन देना बन्द किया गया। आप बतावें तो सही। क्या इसमें अश्लील बातें छपती हैं या पत्रकारिता के विरुद्ध कोई बात छपती है? आखिर ऐसी कौनसी बात है जिससे आपको इसके विज्ञापन को बन्द करना पड़ा? क्या इसका सरक्यूलेशन कम हो गया क्या यह रोज नहीं निकलता? आखिर बात क्या है? कुछ तो बताइये। आपने कोई बात बताई नहीं और आप बताना नहीं चाहते। आप बात बतलाना भी नहीं चाहते और यों ही टालना चाहते हैं और कहते है कि बतलाने की बात नहीं है। क्या आपके पास कोई गुप्त रहस्य है? ऐसी कौनसी आपत्तिजनक बात है? अगर कोई अश्लील बात हो तो जिसे आप बताना नहीं चाहते तो वह जरा धीरे से कह दें

श्री रामकिशोर व्यास—वक्त आवेगा तब बता दिया जावेगा।

श्री चन्दनमल वैद—मेरी समझ नही आया कि आप इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं और जब आप इसका कारण नही बताते हैं तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के दिमाग में संदेह करने का मौका मिलता है कि महज गुट बंदी से प्रेरित होकर आप ऐसा करते हैं। जैसा कहा जाता है कि यह पार्टी के मत से मेल नहीं खाता, अगर ऐसी बात हो तो वह बता दीजिये, इसमें धोखे बाजी की क्या बात है? कह दीजिये कि जो पत्र हमारी नीतिं के साथ नहीं चलते हैं हम उनको पसन्द नहीं करते, हम आपकी बात मान लेंगे।

इसके बाद एक बात और कही गई कि जब मैं राजस्थान सरकार में उपमंत्री था उस समय मैंने किसी पत्र का विज्ञापन बन्द किया था। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि न तो उस समय मेरे अन्डर में पब्लिसिटी विभाग था और न मैंने किसी पत्र का विज्ञापन बन्द कराया। अगर पब्लिसिटी से बन्द हुआ और मेरे जमाने में हुआ तो यह मेरी गल्ती नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिये आप इसको गल्ती मानते हैं तो उस जमाने में जो गल्ती हुई उसको फिर से करना आप चाहते हैं, तो आपकी दुहरी गल्ती होगी। मानलें कि मैंने गल्ती की। पहले तो मैं संबन्धित मंत्री नहीं था। अगर गल्ती थी तो आप दुबारा गल्ती करके अपने आप को दुगुना दोषी बनाते हैं। अन्त में कटौती का प्रस्ताव को वापिस लेने का, तो जी नहीं चाहता क्योंकि मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया और न कोई बात ऐसी बताई कि जिससे हमें संतोष हो और इसमें सुधार हो लेकिन अनुशासन अनुशासन ही है इसलिये उसके नाते मजबूर होकर मैं यह निवेदन करूंगा मुझे मेरा कटौती का प्रस्तव वापिस लेने की आज्ञा दी जावे

श्री कस्तूरचंद—माननीय अध्यक्ष, मेरा नाम लिया गया इसलिये मुझे बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष Order please!

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चन्दनमल जी को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद—मैं सदन की मेज पर पत्र के अंक की कोपी रखता हुआ अपना—

श्री अध्यक्ष—पत्र के अंक की कोपीं मेज पर नहीं रखें।

श्री चंदनमल वैद—मैं असना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

This is very unhappy, placing everything on the Table. I do not like it. the member should show lt to each other and get satisfied, we do not want this tranasction on the floor of the House.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती के दो प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण ने रखे हैं पास किये जावें।

(अस्वीकृत)

ये कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

We now come to discuss the Sub-head of Panchayats. shri H. K Vyas. Now lo to 15 Minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के बारे में मैंने कटौती के प्रस्ताव रखते हुये जो दृष्टिकोण रखा है उसको प्रस्तुत करता हूं। चूंकि समय की पाबन्दी है इसलिये मैं इस विभाग के केवल एक ही पहलू की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो पंचायत विभाग राजस्थान का प्रधान अंग है और तरह तरह के लोग इसमें गोते लगाते हैं और जहां तक पंचायतों के वार्ड का संबन्ध है, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि जो दूसरे सज्जन बोलेंगे वे सब उन चीजों का जिक्र जरूर कर देंगे। मैं इस विभाग में होने वाली विशेष बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और सबसे पहले इस बात की ओर कि इस विभाग में पक्षपात का बहुत जबरदस्त बोल-बाला रहा है कुछ कहूँगा।

[श्री हरेकृष्ण व्यास]

सबसे पहली मेरी शिकायत यह है कि इस विभाग में पक्षपात का जबर्दस्त बोलबाला है। १९५२ में पब्लिक सरविस कमीशन के सामने एक मामला सरकार ने पेश किया और वह था, जो लोग विलेज पंचायत डिपार्टमेंट में जो सबोर्डिनट सर्विस के आदमी हैं उनको पब्लिक सर-विस कमीशन चुन लें। १९५२ में पब्लिक सरविस कमीशन ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन्होंने ऐसे लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम सीनियोरिटी के मुताबिक दिये जा रहे हैं यह तय कर दिया। बीस के करीब वे नाम थे। बीस नामों की सूचना अध्यक्ष महोदय, विलेज पंचायत डिपार्टमेंट राज-स्थान ने अपने पत्र नंबर १०१७८ बी. बी. ५२ तारीख १५ सितम्बर, १९५२ को सब सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी थी; पब्लिक सरविस कमीशन ने चुनाव किया और सीनियोरिटी लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी और राजस्थान सरकार ने उसको मन्जूर भी कर लिया। इतना ही नहीं पंचायत विभाग ने इसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों तक दे दी, लेकिन इसमें यह हुआ कि चीफ पंचायत आफिसर महोदय और उनके नजदीक के लोगों में माने जाने वाले व्यक्ति नीचे के दरजे में रह गये, उनमें से किसी का नंबर ११ आया व किसी का नंबर और कोई आया, तब यह दौड धूप शुरू हुई कि आया इस लिस्ट को कैसे तोड़ मरोड़ कर पब्लिक सरविस कमीशन के निर्णय का गला घोट कर अपने उन व्यक्तियों को आगे चढ़ाने के लिये कोई मार्ग निकाला जाय। और आज तक १९५२ के सितम्बर महीने से लगातार मार्च ५६ तक इस विभाग में इन्पेक्टर के बारे में अब तक न तो पूर्ण रूप से सिलेक्शन हुआ है व न पोस्टिंग ही हुआ है। १९५२ की पब्लिक सरविस कमीशन की लिस्ट हवा खा रही है, रद्दी की टोकरी में पड़ी पड़ी सड़ रही है, नये आने वाले व्यक्तियों को पुकार पुकार कर कह रही है पब्लिक सरविस कमीशन कि इस प्रकार अवहेलना करने के बाद अब किस मुंह से दावा किया जा सकता है कि हमारे यहां पक्षपात पूर्ण व्यक्तियों के लिये उचित स्थान नहीं। इतना ही नहीं चेयरमेन महोदय, उनमें से एक व्यक्ति है जिनका नम्बर उस लिस्ट में ११ वां है लेकिन उनका पोस्टिंग कर दिया गया है। आजकल उनका पोस्टिंग चुरू में है। उनसे सीनियर लोग वैसे के वैसे पड़े हैं। एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम रामचन्द्रजी है उनका भीलवाडा में पोस्टिंग हो चुका है। बावजूद इसके कि पब्लिक सरविस कमीशन ने इनका नाम ११ वें नम्बर पर रखा है आज वे अपना पद का फायदा उठाकर जहां कहीं सम्मेलन हो या किसी चीज का उद्‌घाटन हो संगरिया में कोई सम्मेलन हो संगरिया से वैसे माननीय सदस्य सब परिचित ही हैं जलसे करवाने हों वहां पर ये महाशय मौजूद मिलेंगे इस प्रकार के दौरों का ट्रेवलिंग अलाउन्स लगातार पास हो रहा है। जो पब्लिक सरविस कमीशन से मुकर्रर शुदा लोग हैं पड़े हैं और जो कुछ व्यक्ति मुकर्रर शुदा नहीं है उनको मौका दिया जाता है। एक श्री नाहरसिंह हैं जिनकी यह स्थिति है, अगर राजस्थान पंचायत सरविस रूल्स लागू किये जांय तो वे शायद इस विभाग में किसी भी स्थान पर आने के योग्य नहीं, लेकिन फिर भी वे बहुत ऊंचे ओहदे पर विद्यमान हैं। इतना ही नहीं लेकिन अब तो यह स्थिति हो रही है कि जैसे एक पुरानी कहावत है नेपोलियन के बारे में, किसी ने नेपोलियन को यह कहा मिलीटरी रूल की किताब का हवाला देते हुए यह कहा कि एक्सेलेन्सी नेपोलियन यह हमारी किताब में रूल छपा हुआ है जो कि आपके हुक्म के खिलाफ जाता है, महरबानी करके विचार कीजिये, तो नेपोलियन ने उत्तर दिया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि अगर मेरे हुक्म के खिलाफ कोई रुल जाता है तो All the worse for Rules; यह उस रुल की बदकिस्मती समझना, रुल टूटेगा लेकिन मेरा हुक्म नहीं टूटेगा । तो यह नेपोलियन के पुरस्कर्ता राजस्थान में आ गये और उन्होंने यहां उसकी शुरुआत की। नाहरसिंहजी हों चाहे गीदडसिंहजी हों, जिनको पब्लिक सरविस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया उनको किसी न किसी प्रकार से रखना है । इसलिये चीफ पंचायत आफिसर ने राजस्थान सरकार के पास एक खरीता भेजा है कि राजस्थान पंचायत सरविसरूल्स में परिवर्तन कर दिया जाय । क्योंकि उनके अपने किसी आदमी को स्थान नहीं मिला, रूल उसमें आडा आता है इसलिये उस रुल को ही धराशायी करने का विचार कर लिया ताकि अपने लोगों को नौकरी में लगाया जा सके । १९५२ की लिस्ट वैसी की वैसी रहे, जो मन्जूर शुदा लोग नहीं उनके पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा नामन्जूर होने के बाद भी उनको असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर की जगह पोस्ट किया गया । आज १८ महिने हो गये, अकाउन्टेन्ट जनरल उनकी तनखा पास नहीं कर रहा है । ए. जी. ने लिखा है कि आप कानून के खिलाफ इस प्रकार कार्य कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनको हटाने के बजाय उस कानून में संशोधन करने की नौबत आ रही है । इस सम्बन्धी कागज सचिवालय में जा चुके हैं, ऐसी मेरी सूचना है । ऐसे एक नहीं पचासों उदाहरण हैं । एक श्री मनीरामजी चुरू में इन्सपेक्टर हैं । पी. एस. सी के आदेश के मुताबिक इनको हटा दिया गया था, उसके बाद चुपचाप असिस्टेंट इन्स्पेक्टर की तौर पर ले लिया गया, पहले सरप्लस में थे; फिर चुपचाप असिस्टेंट इन्स्पेक्टर ले लिया । बाद में इनको अब इन्स्पेक्टर की पोस्ट पर अगस्त से हनुमानगढ में पोस्ट कर दिया गया । यह स्थिति है इस विभाग के कानून और कायदे के बारे में ।

अब मैं जल बोर्ड के विषय में कुछ कहूंगा । जिसकी आये दिन रोज चर्चा यहां होती है उस पर यह कहा जाता है कि किसी की कोई शिकायत है तो उसकी जांच कर ली जायगी; विभाग तो अपनी ओर से पूरी तरह जांच करता है । जल बोर्ड की तफसील में न जाते हुए मौका मिलेगा तो उसकी तफसील में भी जाऊंगा; राजस्थान के अकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर ने जल बोर्ड के सिलसिले में जो हिसाब पेश किया है पहले पंचायत विभाग द्वारा यह काम किया गया, काम के इस हिसाब के बारे में किसी ने गौर फरमाया या नहीं । ए. जी. के एतराजात इस किस्म के हैं, कानून यह कहता है कि पहली किश्त ले लो, उसके बाद काम की कम्पलीशन की रिपोर्ट आ जाय, उसके बाद दूसरी और तीसरी किश्त ले लो । इस विभाग के रेकर्ड के मुताबिक यह स्थिति रही है कि कई-कई जगह दूसरी और तीसरी किश्त साथ साथ ही ले ली गई । कई कई जगह तो तीनों किश्तें ही एक साथ दे दी गई । एकतो ऐसी मिसाल है जिसमें तीसरी किश्त तो पहले दी गई और दूसरी किश्त बाद में दी गई । आप कहें तो उनका नाम बता दूं पता बता दूं, लेकिन वह मैं क्यों बताऊँ ? आप ए. जी. के दफ्तर से लिस्ट मंगवाकर देख लीजिये । मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, इतना ही नहीं सर्टिफिकेट तक भेज दिये गये और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ । अब हालत यह है कि जिन लोगों ने काम पूरा न होते हुए भी सर्टिफिकेट भिजवा दिये वहां काम तो पूरा होना दूर रहा कई जगह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो काम भी चालू नहीं हुआ। हिसाब किताब के बारे में जब इन्सपेक्टर ने दस्तंदाजी की तो रकम वापिस लौटाई जा रही है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

अब चीफ पंचायत आफीसर महोदय बड़े असमन्जस में पड़े कि ए. जी. को तो हमने लिख दिया कि काम पूरा होगया और रकम दे दी; अब ये मनहूस रकम वापिस दिला रहे हैं। तो चीफ पंचायत आफीसर ने आये हुए लोगों को कहा कि उनको समझाओ, यह रकम वापिस क्यों लौटा रहे हैं ? कुछ भी करके पूरा करो। कुछ इन्सपेक्टरों ने लिखित तौर से भेजा है कि हमारे यहां इस प्रकार से काम पूरा नहीं हुआ। रकम वापिस लौटाई जा रही है। उनको वगैर वैरीफिकेशन के ऐतराज हैं। तो उनको इधर से उधर ट्रान्सफर कर दिया गया। उनकी लिखित शिकायतों पर ध्यान तो दिया होता।

श्री **सभापति** (श्री हिम्मत सिंह)—आपका कट मोशन आपके ध्यान में रहना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे ध्यान में है सभापति महोदय, मैं जल बोर्ड के बारे में ही बोल रहा हूँ।

चेयरमेन महोदय, मेरे कट मोशन को ध्यान में रखते हुए उसमें बताई गई अनियमितताओं के बारे में ही बोल रहा हुँ। यह जो म्रूप, विलेज वाटर सप्लाई के रुपयों के बारे में अर्ज कर रहा हूं उसके ऑफिस का कन्ट्रोल चीफ पंचायत ऑफिसर के ही मातहत है।

श्री सभापति—चुनाव पंचायतों में जो भयंकर अनियमितता बरती गई उसके बारे में आपका प्रस्ताव है और उसी पर आप बोल रहे हैं, इसलिये आप अपनी सीमा का उल्लंघन न करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह पंचायत ऑफिसर साहब इसके भी इन्चार्ज हैं, उस दफतर का भी इन्हों की देखरेख में कार्य हो रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार से ३० जून, ५५ तक सर्टिफिकेट पेश नहीं हुए, ऐसी रकम २४ लाख है। २४ लाख। ऐ. जी. ने इसके बारे में सर्टिफिकेट मांगा है और इस विभाग द्वारा वे सर्टीफिकेट पेश नहीं किये गये, ऐसी रकम भी २४ लाख हैं। अब जिनके सर्टिफिकेट पेश कर दिये गये उनकी हालत क्या है। यह भी अर्ज कर दिया। द्वारा तो इस विभाग के मातहत होने वाले कार्यों की जो देखभाल होती है उस देखभाल का नमूना प्रस्तुत किया।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब कुछ पंचायतों के चुनावों के बारे में भी दो शब्द कह दूं। तफसील में अगर जाने की शायद नौबत आई तो फिर वह भी अर्ज कर दूंगा। मन्त्री महोदय अगर कहेंगे कि तफसील में कहो, जांच कराऊंगा तो बादमें वह भी अर्ज कर दूंगा। अभी तो संक्षेप में ही अर्ज कर रहा हूं और इसलिये दो चार स्पेसिफिक और पोइन्टेड केसों की ही जानकारी मैं सदन को करा देता हूँ।

मौजमाबाद तहसील है, वहां पहले पंचायत थी जोगा नामक गांव में जिसकी आबादी ढाई हजार है लेकिन अचानक ऊपर से चामी घुमाई और उस तहसील से यह पंचायत बदलकर जामल गांव में रख दी गई, जिसकी आबादी ढाई सौ है और जोगा का जो गांव था उसको इस नई पंचायत के साथ जोड़ दिया गया। यह परिवर्तन हुआ।

तहसील सांगानेर में एक पंचायत थी। कालाबाड़ा केंद्र का नाम बता रहा हूँ, जिसकी आबादी १५ सौ थी। लेकिन बाद में उसको बदल कर राजपोटरा कर दिया जिसकी आबादी केवल पांच सौ है।

तहसील फागी में चित्तौड़ा की एक पंचायत है और इससे डेढ़ मील दूर पर पापला की ओर एक दूसरी पंचायत खोल दी गई। पापला की ही पंचायत पर चित्तौडा को कर दिया गया मंजूर।

उसी फागी तहसील में किशनपुरा गांव है जिसकी आबादी २०० है, वहां पर भी नई पंचायत क्रिएट कर दी गई और एक नींदड है वहां की आबादी १५ सौ है उसको वैसे ही लटकाये रक्खा गया।

किसी ने दिलचस्पी लेकर ऐसा किया है, इसलिये मैं ऐसा नहीं कहता हूं विशेष दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं। किसी पर आक्षेप नहीं है। किसी की कान्स्टीट्यूएन्सी के मामले में यह कोई दस्तन्दाजी नहीं है। मैं तो केवल पंचायत विभाग का जिक्र कर रहा हूँ।

और इसी प्रकार से बालासर से बायला सेन्टर बदलकर पाटूसर कर दिया गया। महज इस लिये कि नाहरसिंह जी का, डिविजनल पंचायत ऑफीसर का वह खुद का गांव था। इस प्रकार की बीसियों मिसालें हैं। इस वजह से कि जवाब देने में भी सहूलियत रहेगी मन्त्री महोदय को एक बीमारी का नमूना पेश हो जाने के बाद बीमारी का इलाज भी सम्भव है। आखिर बाजार में सामान खरीदने लोग जाते हैं, गेहूँ खरीदते हैं तो एक मुट्ठी भर उठाकर देखते हैं और उस पर से सारे ढेर का अन्दाज लगाया जाता है। इसलिये इसी प्रकार ये कुछ मिसालें हैं जिससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि इस विभाग में कितनी अनियमितताएं हैं। समय हो तो काफी लम्बी चौडी लिस्ट भी बताई जा सकतीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऐसी भी हालत हुई कि जहां पंचायतों का चुनाव हो गया पर वहां के पंच पसन्द नहीं आये और नतीजे में विभाग के अन्दर उन कागजों को दबाकर रख लिया गया, मैं नाम बतांऊ । सरोला पंचायत डिस्ट्रिक्ट भीलवाडा का यह हाल है । तारानगर, बीकानेर डिविजन का भी यही हाल है । चेतां कोटा डिविजन का भी यही हाल है । पीपला कोटा डिविजन का भी यही हाल है । और भी समय हो तो मैं अर्ज करूं कि यहां पर नाम आये राजगढ तहसील से पंचायतों के चुनाव होकर रिटर्निंग आफिसर द्वारा, और चीफ पंचायत आफीसर के आफिस से निकला हुक्म किन्हीं दूसरे ही आदमियों के नाम पर, क्योंकि वे आदमी चीफ पंचायत ऑफीसर को पसन्द नहीं आये । बादमें कोई ढाई महिने के बाद यह निकला कि आफिसर से गलती हुई । असली नाम ये हैं, कहकर वह गलती सुधार ली गई और वह भी कई कोशिशों के बाद, कई डेपूटेशनों के आने के बाद ।

राजगढ़ तहसील में तहसील पंचायत का चुनाव हुआ और बार बार उसके बारे में शिकायत होने के बाद भी मन्त्री महोदय का बार बार हुक्म निकाले जाने के बावजूद भी गड़बड़ी ठीक नहीं की गई और कुछ लोगों को वंचित रखकर नोमीनेशन अपनी मरजी से कराकर चुनाव कराने की कोशिश की गई । नतीजा यह हुआ कि उस हल्के के लोगों ने काफी प्रदर्शन किया कि इस तरह की धांधलीबाजी से चुनाव नहीं होने पावेंगे । कोई वोटर अन्दर आया नहीं, और दो सौ से ज्यादा वोटरों में से कहते है दो के वोट किसी तरह गिर गये । रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट यह है कि टू वोट्स वर कास्टेड दो सौ से अधिक वोटरों में से । और तहसील पंचायत का चुनाव घोषित हो गया और दो वोटों पर जनता जनार्दन के नाम पर लोग चुन कर आये । इसकी भी शिकायत हुई । जांच के लिये कागज मंगवाये गये पर हालत वहां की वहां रही । और अभी अभी सूचना मिली, चेयरमैन महोदय, फतहपुर तहसील पंचायत के चुनावों की ।

जहां कि ३ दिसम्बर को चुनाव रखा गया था, बाद में इस बिना पर उसको मौकूफ कर दिया कि तीन पंचायतों के चुनाव होने अभी बाकी हैं, जबकि पडौसी लक्ष्मणगढ तहसील में ४० पंचों के चुनाव होने बाकी थे उसके बावजूद, आब्जेक्शन्स के बावजूद भी चुनाव आगे करवा दिये गये । खैर, पहली फरवरी को चुनाव की तारीख रखी और तहसीलदार महोदय ने जो कि कुछ पंच थे, पटेल थे उनके खिलाफ नोटिस शाया किया कि क्यों न उनकी पटेलाई छीनी जाय, इसका जवाब देने आयें और वह पेशी मुकर्रर करते हैं २ फरवरी की कि अगर १ तारीख को हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं किया तो दो तारीख को तुम्हारी पटेलाई खारिज । जलबोर्ड की जीपें घूमीं, महिला मंडल की जीप घूमी और इधर बैठने वाले इस सदन के माननीय सदस्यों ने लगातार शिकायतें कीं, लेकिन सरकार को मामूली लोग कौन पुकार सकते हैं, किसी की नहीं चली और सरदार जी की चली । वोटिंग हुए, इस परिस्थिति में वोटिंग हुए, इस दूषित वातावरण में वोटिंग हुए और गिनती हुई और श्री सरदार जी के पक्ष में जो सज्जन थे उनको फिर भी ६ वोट कम आये । तो यह कैसे गवारा हो सकता था ? वे बोले कि फिर काउन्ट करो । इतना सब

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करने के बाद भी ६ वोट कम आये, तो फिर से गिनती की जाय । फिर से गिनती की गई । दूसरी बार जब गिनती हुई तो उस व्यक्ति के १० वोट रिजेक्ट किये गये और इस तरह से उनका आदमी ४ वोट से जीत गया । यह हाल है चुनावों के । मैंने कुछ चन्द मिसालें प्रस्तुत की हैं । मैं समझता हूँ कि इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इस विभाग का क्या हाल है ?

श्री सभापति—२० मिनिट हो गये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चेयरमेन महोदय, मुझे २ मिनिट और चाहिए ।

अन्त में मैं एक दूसरे पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह विभाग किस ओर जा रहा है । यह राजस्थान सरकार पेरेलल से सरकार बनाकर बैठा है, राजस्थान सरकार के सचिवालय के पेरेलल सचिवालय बना कर बैठा है । वह सरक्यूलर भेजता है की कि आप लोग 'नवयुग' को सब्स्काइब करो, आप लोग 'कांग्रेस संदेश' को सब्स्काइब करो, 'किसानों के कानून' नाम की कांग्रेस असेम्बली पार्टी की पुस्तिका खरीदो, आप लोग 'राजस्थान-परिचय' नाम का ग्रंथ खरीदो, आप लोग पंचायत मार्ग खरीदो, और अभी अभी सरक्यूलर निकाला है अगस्त के महीने में सन् १९५५ में कि आप लोग 'राष्ट्रदूत' को मत खरीदो । यह सर्क्यूलर छपवा कर बांटा गया और यदि इसको चेलेंज किया जाता है तो एक दो कागज मेरे पास मौजूद हैं जिसमें पंचायत विभाग क्रम संख्या ३११०८६।५५, दिनांक २४ सितम्बर, १९५५, विषय, "राजस्थान-परिचय ग्रंथ की रकम चुकानी शुरू कर दें । आपको यह सूचित किया जाता है कि इनकी रकम चुका दें ।" इसी प्रकार राजस्थान के पंचायत विभाग ने जितने भी सरक्यूल जारी किये है उनका सदन के सामने पहले भी जिक्र आ चुका है । मैं पूछना चाहता हूँ, चेयरमेन महोदय, कि चीफ पंचायत ऑफिसर होता कौन है पंचायतों को हुक्म देने वाला ? यह हिटलर का चेला यहां कहां से आ बैठा कि जो चुनी हुई पंचायतों को हुक्म देता है कि अमुक पुस्तक को खरीदो । कौन होता है वह पंचायतों को आदेश देने वाला ? राजस्थान की चुनी हुई पंचायतों को एक टुच्चा अफसर हुक्म दे कि अमुक अखबार खरीदो और अमुक अखबार नहीं खरीदो । उसको आज शह दे रहे हैं हमारी सरकार के साथी । यह रामराज्य है, यह प्रजातंत्र है या यह फासिस्टी शासन है, आप इसका जवाब दीजिए ? अखबार मैं चाहूंगा वह खरीदूंगा, मुझको जो पसंद आयेगा वह लूंगा । पंचायतों में क्या आपको ठेकेदारी है, वे क्या आपके गुर्गे हैं, यह मैं आपको पूछता हूं । अरे हैं तो वे किसी राजनैतिक पार्टी को मानने वाले होंगे । अगर हैं तो कांग्रेस में विश्वास रखने वाले होंगे, या रामराज्य परिषद् में विश्वास रखने वाले होगे या कम्युनिस्ट पार्टी को मानने वाले हों । एक टुच्चे अधिकारी की यह हैसियत सरकार की नौकरी करने वाले की यह जुर्रत कि वह यह आदेश दे चुनी हुई पंचायतों कि अमुक अखबार खरीदो । मैं कहता हूं कि ऐसी हिमाकत करने वाले चीफ पंचायत ऑफिसर को बरखास्त करें नहीं तो सरकार अपना इस्तिफा देकर बाहर आ जाय । मंत्री महोदय ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या यह वाजिब है ? क्या यह किसी भी दृष्टि कोण से ब्रीच आफ कन्डक्ट में नहीं आता है कि किसी भी पार्टी के एक पत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक सरकारी अधिकारी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पंचायतों को इस प्रकार से आदेश दे। आज सरकार का चीफ सेक्रेटरी राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को हुक्म दे कि अमुक अमुक किताबें खरीदनी पड़ेंगी, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अभी तक यह किसी ने जुर्रत नहीं की, मगर कोई हिमाकत कर लेता है तो उसको माकूल जवाब दिया दिया जा सकता है; और मुझे ऐसा विश्वास है कि कुछ एसी पंचायतें होंगी और मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा कि होता कौन है चीफ पंचायत ऑफिसर हमें हुक्म देने वाला ? लेकिन यह स्थिति है। और यह स्थिति अगर प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने वाली स्थिति है, अगर यह पंचायत विभाग हमारी उन्नति का द्योतक है, समाजवादी राज्य तंत्र की निशानी है, प्रजातंत्र और रामराज्य को आगे बढ़ाने की तस्वीर है तो मैं यह कहूँगा कि तोबा इससे। इस सम्बन्ध में कम से कम अब तो ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। यह चीज सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिए, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है, चेयरमेन महोदय, और उसको प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय........

श्री सभापति:—श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह—माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के बारे में अर्ज करूंगा कि मेरा कटमोशन इस प्रकार है—

"मांग संख्या ३०, विषय ५७-विविध में १) रु० की कटौती कर दी जाय (ग्राम पंचायत में अव्यवस्था के प्रश्न पर बहस करने के लिए)।"

पंचायतों के काम करने के लिए यहां पर एक कानून बनाया गया और उसके जरिये चुनाव हुए। चुनाव किये गये मगर उस कानून में एक तरीका रख दिया गया और उसके खिलाफ चुनाव कराये गये। वह चुनाव हाई कोर्ट में चेलेन्ज किये गये, और यहां सदन में दूसरा एमेंडमेंट लाया गया। उस वक्त भी यहां सदन में काफी चर्चा हुई, काफी वाद विवाद हुआ था, और उस वक्त भी यह बातें सब सदन के समक्ष मंत्री महोदय के नोटिस में लाई गई थीं और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो तुरन्त दुरुस्त की जायगी। इसके बनिस्बत उनके नोटिस में एक जरिये लाया गया मगर उसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं फिर आपके जरिये उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस विभाग में जो चुनाव हुए हैं उनमें किसी एक तरह के वार्ड बनाने की स्थिति नहीं रखी गई। कहीं दो गांवों को मिलाकर एक वार्ड कायम कर दिया गया और कहीं एक गांव के दो वार्ड बना दिये। किसी वार्ड में १६००, किसी में ५००, किसी में १००, किसी में ८५ आदमी रख दिये गये। इस तरह की अनियमितता बरती गई। मैं आपके नोटिस में लाने के लिए अगर इस सूची को सुना दूं तो आपको मालूम होगा कि जो वार्ड बनाये गये हैं वह किस तरह के बनाये गये हैं —

[श्री भोपालसिंह]

रीयांबड़ी वार्ड नं० ४ में १००, आलनियास में एक में ८००, स्टेशन डेगाना मय चांचा में १६५०, गुणखली में ५६३, राजापुरा में ४२०, जैतपुरा में ४७५, देशवाल में ५८६, खेंत में ५७८, जगड़ में वास में ६६३, थारा में ५७६, लुनीयास में ४६२, बनवाड़ा में ७५०, टहला में ५२३ आदि आदि।

अब मैं छोटे वार्डों को आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। वे इस प्रकार हैं। धाणा में १११ आदमी का वार्ड, गेमलींवास में १०६ आदमियों का वार्ड, पुनीयास में १५२ आदमियों का वार्ड, मोटुस में १७७, करामोडा में १३५, नेणास में १६४, मोडरिया में २००, पीपलिया में २३४ का, बेड़ा खुर्द १७६ और कलां में १५६, मथानिया में १६१ आदि आदि।

इस तरह से और कई गांव हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको पेश कर सकता हूं। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कहीं ११६ की आबादी है तो वहां भी एक वार्ड बना दिया और कहीं आबादी हैं तो वहां भी वार्ड बना दिया। इस तरह से इस विभाग में कब अनियमितायें बरती गई हैं और पक्षपात किया गया है।

दूसरा मैं यह अर्ज करूंगा कि एक पंचायत सरकल के अन्दर आठ आठ हजार की आबादी कायम की गई और कहीं ८॥ हजार की आबादी के पंचायत सरकल कायम किये गये है। यह गौर करने की बात है और इस प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जानी चाहिये थी। कई गांवों में पंचायतों के हैड क्वार्टर्स हैं वे दस दस पन्द्रह पन्द्रह मील दूर रख दिये गये है और कई गांव ऐसे है कि जहां पंचायत कायम की गई हैं वहां के गांव की सीमायें आस पास मिलती हैं। इस तरह से यह पक्षपात पूर्ण रवैया अख्तियार किया गया। जो गांव एक दूसरे की सीमा के पास मिलते हैं वे ये हैं वरनी वगैरा।

(अश्रव्य)

ये सब गांव एक एक गांव के पास पास में हैं और इस तरह से डेगाना की जो तहसील का हैड क्वार्टर है उसको एक दूसरे गाव के साथ लगा दिया गया है। उसके लिये में बार बार सदन के अन्दर मंत्री महोदय के नोटिस में लाया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जाच करूंगा लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराई और अब तक स्टेशन डेगाना है, तहसील हैंड क्वार्टर है फिर भी उसको दूसरी जगह के साथ लगाया गया है। १६५० की आबादी का गांव है उसको दूसरे के साथ लगाया गया है।

जिस तहह का रामराज्य कायम किया जा रहा है उसमें इस प्रकार का पक्षपात शोभा की बात नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप न्याय देना चाहते हैं तो हिसाब से वार्ड बनाइये और हिसाब से पंचायतों के सर्कल बनाइये। एक तरीका करना चाहें तो कर सकते हैं।

[श्री भोपालसिंह]

लेकिन पक्षपात पूर्ण तरीके के आधार पर कोई न्याय करेंगे और पब्लिक का भला करेंगे यह राम राज्य में नहीं चल सकता। यही कह कर मैं अपना कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति—श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह—चैयरमेन महोदय, पंचायत विभाग के विषय में मेरा कट मोशन इस प्रकार है :

"That the demand No. XXX Major Head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/- (to discuss unsatisfactory working of the Panchayat Department.)

चेयरमेन महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव पंचायत विभाग के असंतोषजनक संचालन के विषय में है। इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा, आपके द्वारा मैं सदन के सामने यह निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा कि जिस लक्ष्य को लेकर हमने पचायत विभाग का और पंचायत संस्था का निर्माण किया है उस लक्ष्य को साधने में हमारा पंचायत विभाग हमको उस दिशा में ले जाने के लिए कितना साधक हो रहा हैं। मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जब इस तुलनात्मक दृष्टि से पंचायत विभाग की कार्य श्रेणी को हम देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। उस लक्ष्य को साधने की तरफ जाना तो दूर रहा लेकिन इस विभाग के कार्य संचालन से आयन्दा जाकर सरकार को तथा देश को जो हानियां होने की संभावना है उनका ख्याल करके बड़ा दुख होता है। मैं इसका लक्ष्य क्या है इस विषय पर पहले निवेदन करके जो संचालन में इस विभाग में त्रुटियां हैं उनका कम्परिजन करके निवेदन करूंगा।

चेयरमेन महोदय, पंचायतों की स्थापना गणतंत्र राज्य को स्थापना का एक मात्र साधन है। हम लोग इस पंचायत संस्था के द्वारा एकतंत्र शासन का पालन करके लोकतंत्र शासन कायम करने जा रहे हैं और इस गणतंत्र राज्य के द्वारा जनता को स्वावलंबी स्वायत्तशासी बनाना चाहते हैं। भारत के संविधान में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान रख गया है। संविधान की धारा ४० के अन्दर जो गणतंत्र की कल्पना की गई है उसको मैं निवेदन करता हूं।

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये अग्रसर होग तथा उनको ऐसी शक्तियां अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।"

कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने के साथ साथ राज्य के लिए ग्राम पंचायतें परमावश्यक हैं क्योंकि कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी कार्यवाहियां इन ग्राम पंचायतों के द्वारा ही की

[श्री सज्जनसिंह]

जावेगी। पूज्य महात्मा गांधी ने कैसी ग्राम पंचायती शासन की कल्पना की थी उसका मैं एक इदाहरण जो उन्होंने अमेरकी पत्रकार को दिया था वह निवेदन करूंगा। वे पत्रकार हैं ब्यू पीयर्सन। उन्होंने बताया कि सात लाख ग्राम हैं और हर ग्राम का संगठन उनके नागरिक की इच्छा से होगा और इसी प्रकार देश के ४२ करोड़ के स्थान पर ७ लाख वोट होंगे, अर्थात् एक ग्राम का एक वोट होगा। चुनावों के द्वारा यही ग्राम अपना जिला शासन चुनेंगे। यह जिला शासन एक (राष्ट्रपति) को चुनेंगे जो राष्ट्र के मुख्य कार्यकारी होंगे।

आगे चल कर कांग्रेस की पंचायत समिति ने भी इस चीज को महत्व दिया है और एक रूप रेखा हमारे सामने रखी है कि इसका लक्ष्य क्या होगा। चेयरमेन महोदय, कुछ विवरण पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि जिससे मालूम होगा कि इन पंचायतों की स्थापना में क्या लक्ष्य रखा गया है? कांग्रेस पंचायत समिति के निष्कर्ष से रिपोर्ट पेश की है, उसकी सिफारिश ५ में लिखा है कि ग्राम पंचायतों के विकास से एक ऐसा जनतंत्र विकसित होना चाहिये जो ग्रामीण समुदाय के सब तत्वों का प्रतिनिधान कर सके। ६-ग्राम पंचायतों की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि वे ग्रामों में किस हद तक एकता की भावना पैदा कर सकती हैं और ग्रामीण आबादी के विभिन्न तत्वों को विश्वास कहां तक प्राप्त करती है। अतः जहां तक संभव हो ग्राम पंचायतों को दलगत नीति से अलग रखना चाहिए।

चेयरमेन महोदय, मैं इतनी सी बातें निवेदन करके यह निवेदन करूंगा कि जिस सुनहरे स्वप्न की कल्पना हमने की है, पंचायत राज्य की स्थापना के द्वारा, उस सुनहरे स्वप्न को साकार करने के अन्दर हमारा पंचायत विभाग कहां तक सफल हो रहा है यह मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। जब हम इस कसौटी के ऊपर इस विभाग को कसते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है, बड़ा खेद होता है, जब हम देखते हैं कि जिस भावना को लेकर पंचायत विभाग की स्थापना की जाती है उसके कार्य से जो रिजल्ट नजर आता है वह विपरीत और बेकार नजर आते हैं। अभी मेरे साथी ने पंचायत के अन्दर अनियमितता, भ्रष्टाचार और पक्षपात किया जा रहा है, उसका थोड़ी देर पहले सदन के सामने जिक्र किया था। मैं उन्हीं चीजों को वापिस दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहूँगा। पहले जब ये चीजें सदन के सामने आती थीं तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बातें जिस रूप में और जिस मात्रा में कही जाती हैं, बहुत संभव है कि उस हद तक ठीक न हों और लोग बढ़ा बढ़ा कर कहते होंगे। चेयरमेन महोदय, मैंने अपने जिले के, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के इनके कारनामों को अपनी आंखों से देखा, लोगों से सुना और दरियाफ्त किया तो मुझे विश्वास हुआ कि इसके संचालन में जितनी गड़बड़ियें, जितना अंधेर है, मैं समझता हूँ और किसी विभाग में नहीं होगा।

मेरे साथियों ने आपके सामने पंचायत विभाग के बड़े से बड़े और अनेक नमूने रखे हैं जो सही हैं। थोड़े नमूने मैं भी अपने जिले के रखता हूँ। चेयरमेन महोदय, आपको सुनकर

[श्री सज्जनसिंह]

आश्चर्य होगा कि वहां एक पंचायत का निर्माण २०. ११.५४ को हुआ है लेकिन अब तक उसका चुनाव नहीं हो सका है ।

इसके अलावा एक बड़ाखोड़ा गांव है जहां पर पंचायत के चुनाव के बाद सरपंच का चुनाव होना था । चेयरमेन महोदय, मैं नहीं कह सकता कि कारण क्या है, लेकिन लगातार तीन चार तारीखें बदली गई और फिर बड़े मुश्किल से सरपंच का चुनाव हुआ । किसलिये ऐसा किया गया, यह एक इन्क्वायरी की चीज है ।

इसी तरह से दुधरी पंचायत के चुनाव में भी बड़ी अनियमितता बरती गई । कोई ४।। बजे यह कहा गया कि चुनाव स्थगित किये गये हैं और उसी रात को चुनाव कर दिया गया ।

इसी प्रकार गांव गुढ़ानाथवतान में चुनाव हुआ, वहां पर गंभीर बात हुई और वह यह कि शाम को ७ बजे चुनाव न होने के कारण स्थगित कर दिया गया और थोड़े दिन बाद क्या देखते हैं कि चुनाव अधिकारी तहसीलदार के सामने जाता है और शपथपूर्वक यह कहता है कि चुनाव हो गया है और जिसको सरपंच करना चाहते थे उसको सरपंच घोषित कर दिया गया । इसी प्रकार उमर पंचायत के लिये जब तहसील से १६ तारीख मुकर्रर की जाती है तो पंचायत के चुनाव १४ तारीख को ही हो जाते हैं । नतीजा यह होता है कि सब गांवों को सूचना प्राप्त नहीं हुई और जो थोड़े गांवों को हुई उसके लोगों ने जिसको वे चाहते थे उसको चुन लिया ।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, अभी १८ तारीख को देई गांव में सरपंच का चुनाव हुआ । वहां ४।। बजे लोगों ने निवेदन किया चुनाव अधिकारी से कि चुनाव सरपंच का हो जाना चाहिये । मैं यह मानकर चलता हूं कि चुनाव अधिकारी ने, क्योंकि विशेष पक्ष से सांठ गांठ रखता था, उसके पक्ष का पलड़ा कमजोर देखकर यह कहकर कि गड़बड़ी होने की संभावना है, चुनाव स्थगित करवाये गये । यह मालूम हुआ कि चुनाव स्थगित करने की वजह से वहां पर २०००, ३००० आदमी आये थे उनको इससे असंतोष हुआ और गड़बड़ी और हल्ला हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उसका भार पार्टी विशेष के आदमियों पर लाया गया । तो बड़ी गड़बड़ी मची और लाठी लपेट की नौबत आ गई और उसका दोष दूसरे आदमियों पर लगाया गया और चुनाव नहीं हुआ । ऐसी ही घटनाएं जर्मलपुरा में हुई हैं । ऐसा भी देखा है कि सरपंच ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने पंचों के खिलाफ वारन्ट निकालने शुरू किये हैं और धड़ाधड़ निकाले गये । आखिर यह बात तहसील पंचायत के नोटिस में लाई गई तो उन्होंने कण्ट्रोल करने की कोशिश की । इसके अलावा वहां (बूंदी जिले) की जनता चाहती है कि उनके यहां नये नये पंचायत सरकल बनाये जांय, जिसके लिए कई दरख्वास्तें दी गई । मुझे अफसोस के साथ कहना

[श्री सज्जनसिंह]

पड़ेगा कि पंचायत विभाग के कूए में उन दर्ख्वास्तों का क्या हुआ, कहां गई इसका पता नहीं लगा। इसके मुत्तलिक मंत्रीजी से निवेदन किया, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ेगा कि मंत्रीजी ने उत्तर देना तो दूर रहा बातचीत करने का प्रयत्न किया तो भी ध्यान नहीं दिया।

पीपलिया पंचायत के मुत्तलिक सचिव महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और आदेश दिया कि जल्दी ही चुनाव कराये जांय। मैं सोचता हूं कि पंचायत विभाग सचिवालय के आधीन है या नहीं, क्योंकि सचिव महोदय के आर्डर का पालन न करके उसकी अवहेलना की गई। ६ मार्च, सन् ५६ मुकर्रर हुई, उसे डिविजनल पंचायत ओफिसर कोटा, ने मुल्तवी कर दिया। जिस पंचायत का निर्माण ११। साल पहले हो चुका है उसका चुनाव आज तक नहीं हुआ। (हीयर हीयर)

चेयरमेन महोदय, यह है हमारे पंचायत विभाग का कारनामा, यह है उसकी कार्यवाही और इस पंचायत विभाग की इस प्रकार की कार्यवाही से नतीजा यह होता है कि आम जनता में इसके प्रति बड़ा असंतोष है, सरकार के प्रति असंतोष है और विभाग के प्रति तो असंतोष होना ही चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जिस कल्पना को लेकर, जिस सुनहरे स्वप्न को लेकर हम चले हैं पंचायत राज्य की स्थापना के लिये उसको साकार करने में हमारा पचायत विभाग इन कारनामों के होते हुए कहां तक सरकार और देश के लिये साधक हुआ? मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना मुनासिब समझूंगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इस विभाग में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार करेगी और समय रहते यदि सरकार ने कुछ कर दिया तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल से पहले मेरे मित्रों ने इस पंचायत विभाग के जो कारनामे बताये हैं उन कारनामों की वजह से हमारा प्रजातन्त्र जिसे शैशव काल में सींचकर प्लवित करना चाहते हैं बहुत संभव है उसके लिये खतरा पैदा होगा। तो मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देंगे। कुछ उच्च विभागीय अधिकारियों को अयोग्य कहकर जब उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो मैं नहीं समझ पाता कि इस पंचायत विभाग के चीफ पंचायत अधिकारी के खिलाफ जब इतनी शिकायतें हैं तो कारण नहीं समझता कि उनका स्थानन्तरण क्यों नहीं करें और योग्य अधिकारी को वहां लगाकर इस विभाग को ठीक तरह से चलाने का प्रयत्न क्यों नहीं करें? मैं इतना कह कर अपना कटौती प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ।

श्री **मानसिंह महार**—माननीय चेयरमेन, सदन के समक्ष पंचायत विभाग की गड़बड़ियों को व्यक्त करने के लिये मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मेरे कटौती के प्रस्ताव

[श्री मानसिंह महार]

अन्य कटौती के प्रस्तावों से भिन्न हैं। मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव है वह स्पेसिफिक परपज को लेकर पेश किया गया है इसकी भाषा यह है।

"to discuss the retention of the present Chief Panchayat Officer and the Deputy Chief Panchayat Officer."

माननीय चेअरमेन, डिप्टी से मेरा अर्थ यह था कि जो रीजनल पंचायत ऑफिसर श्री नाहरसिंहजी एक बहुत ही ऊंची कोटि के काबिल आदमी हैं और उनको किसी खास कारणों से पंचायतों में रिटेन किया गया है; इसलिये सदन को बता देना चाहता हूँ कि उनको किस लिये रिटेन किया गया और इसलिये मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। माननीय चेयरमेन, जिस समय श्री चौधरी कुम्भारामजी ने पंचायत विभाग का चार्ज हमारे वर्तमान मंत्रीजी को दिया तो राजस्थान के चीफ पंचायत ऑफिसर के हार्ट ट्रबल हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया। यह हकीकत है और मैं मानता हूँ कि इस बात को मंत्रीजी डिनाई नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह था कि उन महानुभावों को यह वहम हो गया कि पहले के जो उन्होंने काले कारनामें किये हैं वे अब शायद रोशन होंगे हम आशा करते थे कि मंत्री का पद बदलने के साथ साथ इस अधिकारी का रद्दो बदल तो जरूर होगा जिसके खिलाफ राजस्थान का स्वायत्त शासन को भ्रष्टाचारी व जातीयता के आधार पर बनाने और कायम करने का आरोप है। यह हम लोग आशा करते थे कि उसको जरूर हटा दिया जाएगा। मगर हुआ ऐसा नहीं। केवल मंत्री के बदलने से केवल हम यह समझ लेते कि स्वायत्त शासन में स्वच्छता आ जावेगी, यह बिल्कुल गलत बात थी। यह बात नीचे के कारनामों से स्पष्ट होगी। इसमें सबसे बड़ा कारनामा यह है कि चीफ पंचायत ऑफिसर ने जिसके खिलाफ इस ओर बैठने वाले और सदन के उस ओर बैठने वाले सदस्यों ने इतने आरोप लगाये और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय यह सदन में कह देंगे कि चीफ पंचायत आफिसर के खिलाफ आरोप लगाये गये वे झूठे हैं, वे कह सकते हैं। हो सकता है कुछ परटीकुलर आरोप झूठे हो सकते हैं लेकिन जितने आरोप लगाये गये अगर उनको वे झूठा साबित कर दें तो मैं यह कहूँगा कि मैं इस सदन से रिज़ाइन करने के लिये तैयार हूँ।

("हियर हियर" की आवाज)

मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे एक मंत्री ऐसे हैं जो हम लोग आरोप लगाते हैं चैलैंज करते हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन के सदस्यों ने चीफ पंचायत ऑफिसर पर ऐसे गंभीर आरोप लगाये हैं जिसे आपकी सरकार हिला नहीं सकती और अगर आप इसके लिये निष्पक्ष जांच करावें तो आपको मालूम हो जावेगा। अगर आप किसी बडे ऑफिसर से जांच करावें तो मैं आशा करूंगा कि राजस्थान में जो अन्याय हुआ है उसका किसी तरह से निराकरण हो सकेगा। इसके लिये भी मैं एक शर्त जरूर रखूंगा। आप एक दो आफिसरों के नाम रख कर टाइ रखिये। क्योंकि जांच करने वाले

श्री मानसिंह महार]

ऑफिसर अलग ही होते हैं। उनको न रख कर किसी दूसरे को नियुक्त किया जावें और 'एम' का फोर्मुला लागू हो जाता है, उसको लागू न होने दें।

एक माननीय सदस्य—'एम' के फोर्मुले से आपका क्या मतलब ?

श्री मानसिंह महार—मैंने उसको बार बार दोहरा दिया है, अब मैं समझता हूँ कि उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति—आप उस फोरमुला को न दोहरावें।

श्री मानसिंह महार—अगर 'एम' के फोरमुला को टाल दिया तो हम न्याय की आशा करेंगे।

यह कहा जाता है कि जब तक चीफ पंचायत ऑफिसर को पंचायत विभाग से नहीं जावेगा हटाया तब तक राजस्थान में जाटवाद का घृणित प्रचार खत्म नहीं होगा। राजस्थान की गली गली में, घर घर में जाटवाद फैलाया गया है और वह जाटवाद फैलने का सबसे बड़ा कारण है चीफ पंचायत ओफिसर।

("हियर हियर" की आवाज)

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस वाद को फैलाने व प्रोत्साहन देने का काम किया है वह अपने असिस्टेन्ट कहिये, या डिप्टी कहिये श्री नाहरसिंह अपने दूसरे कोम परस्त भाई को साथ लेकर किया है। राजस्थान के करीब २ सभी विभागों में किस तरह से काम होता है मैंने जा कर देखा है लेकिन हमारे पंचायत की तो एक विचित्र बात है। इसमें किस प्रकार से चीफ पंचायत ऑफिसर विराजमान होते हैं। ये और इनके एसिस्टेन्ट एक ही कमरे में विराजते हैं। एक ही मेज होती है, दोनों का एक ही कमरा है। कोई मिलने वाला जावेगा तो डिविजनल पंचायत ओफिसर श्री नाहरसिंहजी वहां भूत की तरह से बैठे डराया करते हैं। मैं यह कहूँगा कि उनके पास कोई काम नहीं। अगर इस प्रकार के ऑफिसर की जरूरत है तो उसको काम करने के लिये दूसरा कमरा दिया जावे। मगर होता क्या है कि इनका काम है तीन ऑफिसरों के टेलिफोन सुन कर उनके द्वारा जो आज्ञा आवे उसका पालन करना। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। वे तीन आदमी कौन कौन हैं, वे आदमी जो टेलीफोन से बोला करते है और बातें करते हैं और जो आदेश दिया करते हैं उनके नाम मैं आपको बतलाऊंगा। मगर इन तीनों आदमियों के टेलीफोन के कारण ही उनको तरक्की दी गई है और उसके लिये ए. जी. ओफिस ने एतराज किया है और उनके लिये

[श्री मानसिंह महार]

राजस्थान के बने हुए कानून को बदलने की हिम्मत कर रहे हैं। उन तीन व्यक्तियों के नाम हैं :

(१) श्री चौधरी कुम्भाराम। (२) श्री हरलालसिंह

(३) श्री नाथूराम मिर्धा

("शेम शेम" की आवाज)

आप इन्हीं तीनों व्यक्तियों के टेलीफोन को सुनते रहते हैं। फलां पंचायत का आदमी है उसको जिताना है, फलां जीत कर आगया है, उसकी शपथ नहीं होनी चाहिये। फलां यह होना चाहिये और वह फौरन होता है। इस प्रकार पंचायत विभाग में धांधलियें चल रही हैं। नाम तो और भी गिना सकता हूँ, मगर वे लोग मिनिस्टीरियल बैंचेज में हैं।

इसके बारे में दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, उसमें चीफ पंचायत ऑफिसर और एसिस्टेन्ट के बारे में यह कहा गया है कि अगर इनके काले कारनामों की जांच कराई जावे तो बहुत सहूलियत हो जावेगी।

इसके बाद माननीय चेअरमेन, मैंने दूसरा कटौती का प्रस्ताव पंचायतों के चुनाव में हुई अव्यवस्था के संबंध में रखा है। इस महकमें में अव्यवस्था ऊपर से शुरू होती है क्योंकि जहां पर टेलीफोन के बल पर चुनाव होते हैं और एक दूसरे के इशारे से काम होता हैं, वहां पर जो कुछ हो जाए वह थोड़ा है।

लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि राजस्थान में एक विचित्र प्रथा है मैं इसको फिर दोहराता हूं। एक तहसील पंचायत जहां खास तौर से उप मन्त्राणी के सपोर्टर थे, उनके अलावा जितने सरपंच के लिए आदमी खड़े हुए उस आदमी के इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया यह एक हिन्दुस्तान को नायाब मिसाल है। मजबूरन इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ी और उसके आदेश के मुताबिक वहां चुनाव फिर से हुए वे सारे के सारे आदमी दुबारा चुनाव में आगये और उप मन्त्राणीजी को मुंह की खानी पड़ी। मैं एक दूसरी मिशाल रखना चाहता हूं बैराठ तहसील पंचायत के चुनाव भी एक नायाब चीज हैं तहसीलदार पर दबाव डाला गया और नाजायज दबाव डाला गया। उसने ऐसी कार्यवाही की फैसला होजाने के बाद भी। चेयरमेन महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं आपके जरिये माननीय मन्त्रीमहोदय को उस तहसीलदार के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया कि तुमने इस प्रकार अन्याय पूर्ण हुक्म क्यों दिया। क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया गया ? सरकार कहती है कि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया उसके लिये दुबारा चुनाव कर दिया गया। लेकिन उस तहसीलदार का दिमाग किसने दुरुस्त किया, तहसीलदार के खिलाफ क्या कदम उठाया ? क्या उसको डिग्रेड किया या उसका ग्रेड इन्क्रमेन्ट रोका गया या उसको और कोई सजा दी गई ? मैं जहां तक इस बारे में जान पाया हूं उसको प्रोमोशन ही मिला होगा। इस सरकार के अन्दर कभी यह आशा नहीं कर सकते कि ऐसे आदमी को डिमोशन मिला हो। ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य

[श्री मानसिंह महार]

करने वाले तहसीलदार और पंचायत के एक एक नाम गिनाऊं और इस सदन के समक्ष रखूं तो मैं दो दिन तक इस सदन का पूरा समय लेकर भी नहीं बता सकता कि एक एक पंचायत के चुनाव किस तरह से स्थगित किये गये, किस तरह से आदेश देकर क्या क्या काम किए गए। मगर मैं यह जरूर कहूंगा वर्तमान मन्त्रीजी के ध्यान में इस प्रकार के जितने भी केसेज आये उनमें उन्होंने फौरन कार्यवाही की। जो कुछ कार्यवाही उनसे हो सकती थी, उनकी उस कार्यवाही से लोगों को न्याय जरूर मिला। ऐसी ही एक मिसाल बून्दी जिले के खेड़े की पंचायत की है। इस जगह के छ महिने से चुनाव स्थगित होते जा रहे थे। मैं अपने सौभाग्य की बात मानता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैंने कोशिश नहीं की। बूंदी के एक व्यक्ति मेरे पास आये, मेरे एक मित्र की चिट्ठी लेकर आये, उसमें उन्होंने लिखा कि इस प्रकार अन्याय हो रहा है इसलिये इन्हें वर्तमान स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से मिला दें। मैं उनको लेकर स्वायत्त शासन मन्त्रीजी के पास आया उस पर उन्होंने यह हुक्म जारी कर दिया जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा अब की दफा चुनाव स्थगित न हों, एक महिने में चुनाव हो जाने चाहिये। और मैं माननीय मन्त्रीजी को सूचित करूं कि वे ही व्यक्ति चुनाव जीत कर आये हैं। वहां चुनाव तो हो गया है किन्तु उस चुनाव को राजस्थान गजट में प्रकाशित नहीं किया गया। प्रकाशित होवे कैसे आपने तो हुक्म दे दिया था कि चुनाव हो जाने चाहिये, चुनाव हो गये यहां तक तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब उसके गजट में प्रकाशित होने का सवाल रहा। उसके लिये तो दफ्तर में हरिसिंह जाट मौजूद है नंगी तलवार लटकाये हुए। हरिसिंह जी ने आज तक उसको गजट में प्रकाशित नहीं करवाया, इसलिये वह उसको इलेक्टेड नहीं मानते हैं और उससे पंचायत भी वहां फंक्शन नहीं हो पा रही है। इस प्रकार की धांधलियां यहां हैं।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में मेरा कहना है कि मंत्रियों का पंचायतों के चुनाव में इन्टरफीअरेन्स हुआ। इसके बारेमें सदन के समक्ष चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि राजस्थान स्वायत्त शासन की जड़ें ग्राम पंचायतों के चुनाव ऐसे समय में हुआ जब कि हमारा स्वायत्त शासन विभाग एक ऐसे मन्त्रीजी के हाथ में था, जिनके लिए जो भी कुछ एडजेक्टिव लगाया जाय थोड़ा है। यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान मन्त्री जी को जब यह विभाग मिला, यह मिला बहुत देर से, जब कि कीचड़ और दल दल इस विभाग द्वारा होना था वह हो चुका था। पंचायतों के चुनाव, पंचायतों के वार्डस और जो भी कुछ काम होना था वह हो चुका था, इन वर्तमान मन्त्री महोदय को यह सब होने के बाद यह विभाग मिला। इन पंचायतों के चुनावों में राजस्थान के मन्त्रियों ने हद कर दी हस्तक्षेप की उन्होंने पंचायतों के चुनाव के समय हर इलाके में जाकर यह कहा कि अमुक व्यक्ति को वोट देना नहींतो आगे ठीक नहीं होगा। मैं और और इलाकों के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता मेरे साथी दूसरे इलाकों के बारे में कह देंगे मैं तो सिर्फ अपने इलाके की बात जानता हूं। तहसील आमेर और बैराठ इन तहसीलों में और तहसील जयपुर और सांगानेर जमवारामगढ़ के आसपास की तहसीलें हैं। उनके अंदर हमारी उपमंत्राणीजी ने कमाल का काम कर दिखाया है। मेरे एक मित्र ने जिनको पुतली का

[श्री मानसिंह महार]

संभाषण दिया था मैं तो यहां तक कहता हूं कि उन्होंने पुतली को भी मात कर दिया। वे फस्ट क्लास लिबास पहन कर रात को जीप में बैठ कर जाती थी और वोटरों को दबाती थीं। घोलो पंचायत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फर्स्ट क्लास लिबास में जीप और मोटर की खटाखट और ऊंची एड़ी के जूतों को टपटप करती हुई लोगों को जब आदेश देती थी तो लोग घबरा जाते थे। उपमन्त्राणी जी वोटरों पर यह दबाव डालती थी कि अगर मैं कहूं उनको वोट नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा, इसका प्रत्यक्ष नमूना ढ़ोली की पंचायत का है। अगर वे इस बात से इन्कार करती हैं कि वे धोली की पंचायत के चुनाव में नहीं गई तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आज ही मेरे साथ जीप में बैठ कर चलें, वहां मैं हजारों आदमियों से कहला सकता हूं। वहां चुनाव के मौके पर आपस में झगड़ा हुआ और जाटों ने और और कौम के आदमियों को पत्थरों से पीटा। पीटने में उपमन्त्राणी जी ने उनको मदद दी, उनका चालान हो गया था लेकिन उसको रोक दिया गया। लेकिन जाटों के बजाय उप मन्त्राणी जी के दबाव में पुलिस के ११ अन्य आदमियों को जिन्होंने किसी को नहीं पीटा था बल्कि उनके लगी थी, उनका चालान किया और उनमें दो तीन जाटों का भी चालान कर दिया। हम कांग्रेस की बैंचों पर बैठते हैं इसका यह मतलब नहीं चेयरमेन महोदय, कि हम अन्याय को सहन करें हमारा फर्ज हो जाता है कि जिस कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान को आजाद कराया, जिसका नाम उज्जवल रहा है उस कांग्रेस की सरकार में ऐसे अन्याय हों तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसके निराकरण का उपाय करें। जिस जनता में यह धारणा फैल रही है कि आज कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार में पक्षपात और अन्याय है उसे हम बर्दास्त नहीं कर सकते। आज हमने इसी लिए यह आवाज बुलन्द की और आयन्दा भी अगर इसी प्रकार का अन्याय होता रहा तो हम अपनी आवाज बुलन्द करेंगे, उससे यह जो अन्याय हो रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो म्हिने भर बाद या छः महिने बाद कभी न कभी तो सेन्टर सुनेगा ही, राजस्थान में अन्याय हुआ है उसकी रोकथाम करेंगे। मैं जोरदार शब्दों में यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस कांग्रेसी शासन में जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। चेयरमेन महोदय, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं राजस्थान की इन उप मंत्राणीजी ने पंचायतों के चुनावों के सिलसिले में इन तीनों तहसीलों में जो हथकंडे किये उसका नमूना शायद ही हिंदुस्तान के किसी भाग में मिल सके। अगर वे कहीं नहीं पहुँची हैं तो उनके पतिदेव वहां गये और वह भी सरकार की जीप में, जिसको तोड़कर लाये, एक्सीडेंट हुआ और आखिर उस रिपेयर के पैसों को भरने की नौबत सरकार को आई और वह खर्चा राइट आफ करना पड़ा। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने कहने सुनने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ। आज हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह आशा करूंगा कि हम लोग जिस प्रकार इनडीविजुल केस में जाकर आपके सामने दिक्कतों को रखते हैं और उसमें आप न्याय देते हैं उसी प्रकार आपके हाथ में सारी राजस्थान की पंचायतें हैं। आप उनके ट्रस्टी है आपको हर पंचायत के मामले में न्यायपूर्ण कदम उठाकर अपनी न्यायप्रियता का परिचय देना चाहिये। आपने घंटी बजा दी इसलिये मैं सदनसे निवेदन करूंगा कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव आपलोगों का ध्यान आकर्षित करनेके लिए रक्खा है कि राजस्थानकी स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रति बड़ा अन्याय हो रहा है। और इसको रोकने के लिए जो ये विचार व्यक्त

[श्री मानसिंह महार]

करके मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वे इस विभाग में रद्दोबदल करें। सी. पी. ओ. इतने अर्से से यहीं क्यों चिपका हुआ है? आप अपनी आत्मा को देखिए। आप लोगों के दबाव पर मत जाइये। आपकी आत्मा अगर कहती है कि यह आदमी वाकई इस पद के लिए वांछनीय नहीं है तो आप उसी के अनुसार काम करिये, अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाइये। ईश्वर का ध्यान रखिये, उसे देखिए वे क्या कहेगा। यह सरमन प्रीच करके मैं इस प्रस्ताव को वापिस भी ले लूंगा पर आप इस सी. पी. ओ. का तबादला करने की जरूर सदन में घोषणा कर दें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन, मेरा कटौती का प्रस्ताव एक साधारण कटौती का प्रस्ताव है और वह कराणा ग्रामों में अलग पंचायत बनाने में सरकार की असफलता पर विचार करने के लिए है। माननीय चेयरमेन, किशनगढ़ तहसील में कराणा नाम की एक पंचायत है उसमें जितने गांव हैं और जितनी जनसंख्या है शायद किशनगढ़ सब डिवीजन में इस तरह की पंचायत और नहीं है। इसमें १३ ग्राम हैं और इसका हैड क्वार्टर बलाणा है। इसमें कुछ गांव ऐसे हैं जो बलाणा गांव से १५।१६ मील पर हैं कुछ दस मील पर, कुछ आठ मील के फासले पर हैं और यह पंचायत तीन चार पटवार सर्किल को बना कर बनती है,

इस सम्बन्ध में कुछ गांवों के लोगों ने जो करीब छः, सात गांव हैं, मांडल भिंडाना खेड़ा, टिकवाड़ा आदि। इन करीब सात गांव के व्यक्तियों ने अपनी ओर से मांग की कि हमारी पंचायत अलग कर दी जावे और उस पंचायत का हैड क्वार्टर टिकवाड़ा रहे।

अब १३ गांवों के हैड क्वार्टर वाली पंचायत के मुकाबले में अगर ये सात गांव वाली पंचायत की जनसंख्या देखी जावे तो उससे तिगुनी होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो अलग पंचायत बनाना चाहते हैं वे एक गांव वाले नहीं हैं बल्कि छः सात गांव वाले बनाना चाहते हैं और उनके गांव इस पंचायत से दूर भी पड़ते हैं। इसलिये यह अलग पंचायत बनाना चाहते हैं।

और यह मामला राजस्थान सरकार के विचाराधीन भी कई सालों से करीब दो तीन साल से है और पहले जो स्वायत शासन मंत्री रहे हैं, जिनकी किशनगढ़ सब डिविजन के बारे में ज्यादा जानकारी थी उन्होंने इस सम्बन्ध में सारी बातें स्टडी करके अपनी ओरसे यह कह भी दिया था कि वास्तव में यह मांग उचित है और जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने इसके लिए आदेश भी दे दिये थे। पर पता नहीं वे आदेश कहां दबा दिये गये?

फिर गांव की ओर से कई प्रार्थनापत्र भी इस बारे में दिये हुए हैं और वे आज भी विचाराधीन हैं। टिकवाड़ा ग्राम के पास दो पटवार सर्किल भी हैं, इन सात गांव को मिलाकर बनाने पर और बरणा की अलग पंचायत रहे इसमें भी किसी को कोई एतराज नहीं। उसके पास

[श्री चांदमल मेहता]

भी दो पटवार सर्किल रहते हैं और पटवार सर्किल को आधार मानकर पंचायत बनाने की सरकार की नीति भी है दो पटवार सर्किल टिकवाड़ा में रह जाते हैं वहां काफी बड़े अच्छे शानदार मकान भी हैं। इसकी भी दिक्कत वहां नहीं रहेगी।

इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि साधारण सा मेरा कटौती का प्रस्ताव है और मैं, मन्त्री महोदय इस के लिये उचित आश्वासन भी देंगे, यह आशा करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंह (सभापति)—श्री भोलानाथ।
(अनुपस्थित)
श्री कस्तूरचन्द
(अनुपस्थित)
श्री रावराजा सरदारसिंह
(अनुपस्थित)
श्री सोहनलाल
(अनुपस्थित)
श्री चन्दनमल वैद
(अनुपस्थित)
श्री छीतरलाल शर्मा

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय चेयरमैन, मेरा प्रस्ताव मांग संख्या ३० विषय ५७ स्वायत्त शासन में एक हजार रुपयों की कटौती कर दी जाने का है। इस कारण से कि इसमें पक्षपात होता है और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है।

मेरा अर्ज करना यह है, कि जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, पहले मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं

इस पंचायत विभाग के अन्दर जितनी भी पंचायतों का चुनाव आजतक हुआ हैं और होते जा रहे हैं उनके अन्दर मन्त्रीगण और चीफ पंचायत अफसर का किस तरह से हस्तक्षेप रहता है और किस तरह से उनके अन्दर पक्षपात की कार्यवाहियां कराई जाती हैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बूंदी जिला के तहसील पाटन में एक बड़ा खेड़ा की पंचायत थी उसके सरपंच का चुनाव बड़ी मुश्किल से कराया गया। पर इसके साथ साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर उस सरपंच का चुनाव न कराते हुए जो रिर्टनिंग अफसर कोटा से मुकर्रर किया गया था उन्होंने वैसे ही अपने आप लिखकर भेज दिया कि फलां आदमी उप सरपंच चुना गया है, हालांकि उसका चुनाव नहीं हुआ।

[श्री छीतरलाल शर्मा]

इसी प्रकार मिशाल के तौर पर अर्ज करता हूं कि बूंदी जिले में तहसील नैनवां में करवर की एक पंचायत है। वहां पर चुनाव के लिये पंचायत इन्सपेक्टर गया, वहां पर चुनाव के सिलसिले में काफी रात हो गई। रोशनी का प्रबन्ध नहीं था। तो भी चुनाव कराके एक कांग्रेस केन्डीडेट का नाम सरपंच के स्थान पर घोषित कर दिया गया।

इसी प्रकार में अर्ज करता हूं कि चेतां एक ग्राम पंचायत है जो कि अलोद ग्राम पंचायत से डेढ़ मील दूर है। वहां एक पंचायत कायम कर दी गई और इसमें पंचों व सरपंच का चुनाव नही करा कर वहां पर पंच व सरपंच एक को नोमिनेट करके पंच और सरपंचों को मुकर्रर किया गया। हालांकि पंचायत के कानून के तहत नोमिनेटेड पंच और सरपंच ६ महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हैं पर आज तीन साल होने को आये वे ही वहां पर कार्य कर रहे हैं, हालांकि उनके बारे में मैं चीफ पंचायत आफीसर का और स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय का भी कई वार ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ पर आज तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई।

इसी प्रकार नाथावत्तों का गुढ़ा तहसील बूंदी में सरपंच का चुनाव शाम हो जाने से नहीं हुआ पर यह रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर ने कर दी कि पहले का ही सरपंच चुना है। उसके निर्वाचित होने की रिपोर्ट कर दी गई और उसी के आधार पर उस को गजट मे भी शाया कर दिया गया। मैं अर्ज करता हूं कि अलोद नामी ग्राम पंचायत तहसील हिंडोली में है वहां पर पंचायत का चुनाव १८ जनवरी को होने को था वगैर किसी कारण उस दिन पंचों का चुनाव कर के खास करके सरपंच का चुनाव को बढ़ा दिया व लिख दिया कि यहां पर ब्रीच आफ पीस होने का अन्देशा है, यह लिख दिया। इसके बाद ५ फरवरी को सरपंच का चुनाव हुआ। एक केन्डीडेट किशनलाल कांग्रेस का था, दूसरा बजरंगलाल स्वतन्त्र था। ६० वोटों से बजरंगलाल जीत गया। इसके कागजात यहां आये अरसा बीत गया। पर वे कागजात कहां पड़े है और उनका क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। चीफ पंचायत आफीसर से भी कहा गया, स्वायत्त शासन विभाग के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को भी कहा गया पर वे कागजात नहीं निकल रहे हैं और न वहां के चुने हुए पंचां और सरपंच का नाम गजट में शाया अभीतक हुआ है।

तो मुझे यह अर्ज करनी है कि इस पंचायत विभाग का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें हर तरह से अनियमितताएं और पक्षपात बरता जाता है। इस पर माननीय मन्त्री महोदय पूर्ण ध्यान देकर जो जो खामियां इस विभाग की मैंने बताई हैं या मेरे साथियों ने बताई हैं उनको जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि वे इन अनियमितताओं और पक्षपात को मिटाने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ साथ नगरपालिकाओं के बारे में जिक्र करूं। बूंदी का जहां तक सम्बन्ध है गणेशलाल वेदप्रकाश भाटिया कानून के मुताबिक चार मास के अन्दर होने वाली बैठक की

[श्री छीतरलाल शर्मा]

अवधी में उपस्थित नहीं हुए। पर इनकी कोई परवाह नहीं की गई। वहां के मेम्बरों ने मन्त्री महोदय को और वहां के कई पदाधिकारियों को इसकी इत्तलाएं दी। पर आजतक इसके मुतल्लिक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा यह अर्ज करना है कि मन्त्री महोदय इन अनियमितात्रों, भ्रष्टाचार और पक्षपात वगैर को जल्दी से जल्दी मिटाने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह कहकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन महोदय, डिमान्ड नम्बर ३० पर जो मेरा कटोती का प्रस्ताव हैं उसके समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

यह जो चीज है कि पंचायतों के जरिये हमारी सरकार ने भारत सरकार और दुनियां के दूसरे २ देशों के उदाहरण से यह तय किया था कि ग्राम पंचायतों के बनने के बाद रामराज्य और कल्याणकारी राज्य इस हिन्दुस्तान और राजस्थान में अवश्य हो जायगा। अब ग्राम पंचायतों का चुनाव होने के बाद जितना भ्रष्टाचार, बेइमानी, और भूठ ज्यादा फैला है उतना पहले बनिस्बत इस वक्त सबसे ज्यादा, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बावजूद फैला है इस राजस्थान के अन्दर और वह ज्यादा फैल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर कन्सॅन्ड और यदि आज मिनिस्टर कन्सॅन्ड भी नहीं हैं तो दूसरे मिनिस्टर उन पंचायतों के इलेक्शनों में जाकर उन अफसरों को और दूसरे पब्लिक के नुमायन्दों पर जो कि चुनने वाले थे, उन चुनने वालों पर इतना दबाव डालते हैं कि जिससे वे लोग चुने गये हैं जो कि चोरी करने वाले थे, जिन्होंने लोगों को नाजायज तरीके से दबा करके पैसा बनाने का एक तरीका बना रखा था। उनको उस तरफ बैठने वाले मेरे, दोस्त और एक मिनिस्टरानी साहिबा ने मदद की और हमारे इलाके में और दूसरी तहसीलों में ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने कि कांग्रेस के सिद्धांतों को तोड़कर कम्युनिस्टों के सिद्धान्त को अपनाने में पूरा सहयोग दिया। और उसका कारण यह था कि जो गांधीवाद का बाना पहनकर कांग्रेसमेन बन गये। मैं तो उस आदमी को कांग्रेस के सदस्य को, गांधीवादी कतई नहीं मानता हूँ, और जो लोग मानते हैं वे उसी तरह के हैं जैसे कि सी० आई० डी० के लोग खादी का कुर्ता पहना करते हैं, थोड़े दिन के लिए अपना चोला बदल देते हैं और स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ठीक है और बाद में उसको उतार कर फेंक देते हैं। उसी तरह से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में काफी लोग हैं जो इस तरह की कार्यवाही करने वाले हैं। आज नहीं तो कल या ६ महीने बाद टिकट नहीं मिलेगा तो वह इन्हीं बेंचों में आकर खड़े होंगे इलेक्शन के लिए और उसी तरह का स्थान लेगें। वहां ज्यादातर लोग इस तरह के मिलेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने भी वैसा ही किया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरे लिए यह कहते हैं कि मैंने इसीलिए छोड़ी है। गांधी-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

बाद को मैं आज भी मानता हूं और जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मानूंगा, परन्तु उधर बैठने वाले जो भ्रष्टाचार, चोरी करने वालों और शराब पीने वालों का साथ देने वाले और थोड़े घने खुद भी इस प्रकार का काम करते हैं, इस तरह के लोगों के साथ में मैं रहना पसन्द नहीं करता हूं। मैं मानता हूं गांधीवाद के सिद्धान्तों को, और मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं बनूंगा।

कुछ पंचायतों के चुनाव हुए। उन पंचायतों के चुनावों के अन्दर जिन अफसरों में ईमानदारी और सच्चाई से काम करके जनता के सामने एक उदाहरण पेश किया है और किसी पार्टी का पक्ष नहीं किया है उन पर दबाव डाला जाता है, उस तहसीलदार पर दबाव डालकर नाजायज तरीके से एक दफा ट्रांसफर किया तो उसको रोका रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ने। और उसके बाद जबरदस्ती दबाव डालकर उनको ट्रांसफर कराया गया। और यहां हाउस में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे पालीवालजी उन्होंने उस तहसीलदार के लिए बयान दिया था कि इस तरह का ट्रांसफर यदि होगा तो वह पंचायत राज्य क्या राक्षसी राज्य कहलायेगा। राजाओं की तरह एक मर गया दूसरा आया, दूसरा मर गया तीसरा आया वही की वही और उससे भी बुरी हालत है। राजाओं के जमाने में उनके मिनिस्टर थे वे ऐसा करते थे तो उनसे खुद से कह सकते थे लेकिन अब तो कहा जाता है कि १६० राजा हो गये। पहले २-४ ही थे। तो ऐसी हालत में पंचायत राज्य कैसे चलेगा। उनका जो जो केन्डीडेट खड़े किये जाते है उनका हमेशा से जरायम पेशा करने वालों से ताल्लुक रहा है। उन लोगों को पंचायतों में पंचों के लिए खड़ा किया जाता है ताकि वह दूसरे लोगों के ऊपर दबाव डाल सकें और उन अफसरों को दबाते हैं जो कि वैद हैं, डाक्टर हैं या मास्टर हैं। उनका ट्रांसफर करके उसको दबाते हैं और माननीय चेयरमेन, आपको ताज्जुब होगा, उदाहरण के बतौर मैं बताता हूं कि धूली पंचायत में (अश्रव्य) नाम का एक जाट है। वह एक आदमी को मार देता है। उसके केस को दबाने में माननीय मंत्राणी ने पूरी कोशिश की थी। डाक्टर को दबाया और जब तक मैं रशिया से वापिस न आया उस वक्त तक पुलिस ने चालान नहीं किया था और फिर बहुत मुश्किल से चालान कराया गया। उस छेत्रट का कुछ नहीं हुआ और वह जमानत पर छुटा हुआ है। वह खुल्लम खुल्ला बही दिखाता है कि मैं फलां मिनिस्टरानी से इतने रुपये मांगता हूं, और सारी दुनिया को दिखाता फिरता है। वह डाक्टर मौजूद है। केस मौजूद है और पुलिस के अन्दर मौजूद है। पुलिस के अफसर ने मुझ से कहा कि इधर पड़े तो कुआ और उधर पड़े तो खाई। तो ऐसी हालत में आप कहेंगे कि यह कोई रामराज्य और कल्याणकारी राज्य चलाने का तरीका है। ग्राम पंचायतें तो बनाई जाय सुधारों के लिए, परन्तु उन्होंने सुधार कहां किया ? वह सुधार नहीं है। ऐसी पंचायतों को खत्म कर दें और वैसी की वैसी जनता को रखें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप कहें तो मैं इस चीज को ज्यादा मैजोरिटी के दस्तखत करवाकर इस हाउस में इस बात के लिए दे सकता हूं कि हमें इस तरह की ग्राम पंचायतें नहीं चाहिए जिनमें मिनिस्टर वैदों को, डाक्टरों को, तहसीलदारों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

दबाये और कोई तहसीलदार पंचायतों का सच्चाई से चुनाव कराता है तो उसको दबाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और अपनी फेवर के तहसीलदारों से जायज नाजायज़ तरीके के कार्य कराये जाते हैं। ऐसे कार्य ग्राम पंचायतों में नहीं होने चाहिए। रूस में इस प्रकार का एक उदाहरण भी नहीं मिल सकता। सौ वर्षों में भी नहीं हुआ। वहां उन फौरन कंट्रीज़ में पं० जवाहरलालजी नेहरू आपकी वजह से बयान देकर आते हैं, लेकिन आप लोगों आपस में इस प्रकार की बातें होती हैं वे लोग क्या कहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग रहते हैं। क्या कद्र हो सकती है आपकी? जिस आदमी ने ईमानदारी की शपथ ग्रहण की उसका पालन नहीं करता है इस कुर्सी पर बैठ कर।

(घंटी)

तीन चार मिनिट में ही घंटी बजा देते हैं।

(हंसी)

ऐसी हालत में

श्री सभापति—आपको मालुम है कि आपने कितने बजे से भाषण शुरु किया।

श्री मुक्तिलाल मोदी— ऐसी हालत में मैं आपको बताऊं कि इन ग्राम पंचायतों के उदाहरण बताऊं, वहां फोरिन कंट्रीज में खुली पावर्स ग्राम पंचायतों को हैं। उन ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार हैं एजुकेशन के, स्कूलस् को चलाने के, दवाखानों को खोलने के, लगान वसूल करने के और दूसरे लोगों पर टैक्स लगाने के। परन्तु इस हिन्दुस्तान में और राजस्थान में, मैं यह भी अर्ज कर दूं माननीय चेयरमेन, कि वहां बजट बनता है तो ग्राम पंचायतों के द्वारा और प्लानिंग का काम करती हैं तो वे ही ग्राम पंचायतें, लेकिन यहां तो ऊपर से चीजें आजाती हैं, ऊपर से हुक्म दे दिया, वहां इस प्रकार का नहीं है कि ऊपर से हुक्म दे दिया जाय और उसके नीचे वाले तामील करें और लाखों रूपयों का बजट बनायें वह लेप्स हो जाय।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

इस हालत में वहां इस प्रकार बजट नहीं बनाया जाता। उस देश की उन्नति तब ही हो सकती है जब कि माननीय मंत्रीजी एक चीज को देखें, ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनमें क्या होता है, क्या नहीं होता, कहां गडबडी है? ग्राम पंचायतों के लोग क्या करते हैं? आपको ताज्जुब होगा कि ३।। वर्ष होगया चुनाव होते हुए। बैराठ तहसील में एक बड़ा कस्बा है जो कि किसी पचायत के क्षेत्र से नीचा नहीं है, वहां अब चुनाव नहीं हुए हैं। खोर नाम है उसका। ३।। हजार की

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

आबादी का वह क्षेत्र है और माननीय मंत्रीजी आये उसके पहले ही लिख कर दे दिया, पंचायत ओफिसर को लिख कर दे दिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे कितना भी पाप करो, बैराट की जनता जो है वह डरने वाली नहीं है (हंसी) कितने ही चुनाव करालें सो के सो आवेंगे। इस एक तहसील का और दूसरी तहसील का बताउं। सांगानेर के सरपंच यहां जयपुर में बैठे हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के ठेके लेते हैं और मिनिस्टरों के साजिशदार हैं, पी. डब्ल्यू. डी. में शिफारिश करते हैं और पांच वर्ष से सडक नहीं बनती है और जायज नाजायज करते हैं।

(हंसी एवं घंटी)

दो मिनिट और दीजिये

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—दो मिनिट और दीजिये साहब, बड़ा सुन्दर भाषण हो रहा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर लाखों रुपयों का गबन हुआ है। सरकार ने इन्क्वायरी जरूर की है यह मुझे मालूम है। लेकिन जितना, लाखों रुपया का गबन हुआ है वह पार्लियामेन्ट में जाकर मेम्बर बैठे हैं और उनका नाम है श्री बंशीलाल लुहाडिया। झुंझुनु, सीकर और मालपुरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्या हुआ हैं, क्या क्या कार्यवाही हुई हुई? उसके लिए लाखों रुपयों का इधर उधर होता है। चार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही क्यों रहे? मैंने साल भर पहले कहा था कि चार की यहां जरूरत नहीं है। किसानों से एक आना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम सेलिया जाता है। उदयपुर कोटा और दूसरे जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनमें एक पैसा भी नहीं लिया जाता है।

हम नहीं चाहते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर में ही रहे। सब जगह यदि लागू हो यह टेक्स तो वहां पर भी लागू हो। सरकार जो दावा करती है कि इसके लिए हमको दो तीन लाख ज्यादा दे दीजिये, वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमको नहीं चाहिए। उनमें किसानों का हित नहीं होता है, राजस्थान की दृष्टि में सोचना चाहिए। मिनिस्टरी भी दो तीन बदल गई और कोई आजायगा। जो कुछ करते हैं वह डिस्ट्रिक्ट के अन्दर करें। माननीय मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि पांच हजार से नीचे की आबादी जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में हो वहां ही पंचायत स्थापित कीजिए और अगर इससे ऊपर हो तो वहां हटा दीजिये और दूसरी बननी चाहिए। सारी बातों की इन्क्वायरी करनी चाहिए। आप हाउस में इसके लिए संतोष जनक उत्तर देंगे यही कह कर मैं आसन ग्रहण करता हूं।

(विपक्ष द्वारा "Hear Hear" व "Very good")

श्री ईश्वरीसिंह—मैं भी दो शब्द कहना चाहूं।

(घंटी)

श्री सभापति—आप जरा बैठिये।

Yes Shri Man Singh mahar

श्री मानसिंह महार—मैं तो मूव कर चुका हूँ।

श्री सभापति—श्री मानसिंह, ६७।

श्री मानसिंह महार—मेरा ही डि० नं० ६७ है।

श्री सभापति—वाटर बोर्ड के सिलसिले में।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, क्योंकि मैं पहले एक बार बोल चुका हूं, इसलिए सदन का अधिक समय न लेकर सदन के समय का ख्याल रखते हुए दो एक बातें अर्ज करूंगा।

कल परसों सदन के समक्ष एक लिस्ट पेश की गई थी, कुछ सवालों के सिलसिले में उत्तर दिये गये थे। उनमें बताया गया था कि उस जल बोर्ड में इन इन आदमियों को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कहते हैं कि इन सेक्रेट्रीज पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। उनको जल बोर्ड ही नियुक्त कर सकते हैं, हमारे हाथ की बात थोड़े ही है। लेकिन आपके हाथ की बात यह तो है कि आपकी मार्फत सारे काम होते हैं, आपभी उसके अन्दर सहायता वगैरा प्रदान करते हैं और अगर आप यह कहते हैं कि वह तो हमारे हाथ की बात नहीं है तो यह सरासर अन्याय है। अगर आप यह कहते हैं कि सेक्रेटरीज के अपोइन्टमेंट में हमारा हाथ नहीं है तो वर्क वगैरा देखने के लिए कलेक्टर और तहसीलदार क्यों गलती करते हैं? ऐसे जल बोर्ड में आपको अख्त्यारात नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे जल बोर्ड पर नियंत्रण मत रखिये। करने दीजिये जनता को, यह कार्य हुआ जनता जैसा चाहेगी करेगी। एक तरफ तो आप जल बोर्ड को से भी ओफिशियल बोडी बना लेते हैं, उसी तरीके पर चलते हैं और फिर आप यह फरमाते हैं कि जिला बोर्ड की कमेटीज होती हैं वे ही अपोइन्टमेंट्स करती हैं। यदि कहीं गलती नजर आती है तो आपको, उनको आदेश देना चाहिए चेयरमेन महोदय, मैं कहता हूं कि यह कोई बात हुई यदि आप देखते हैं कि जल बोर्ड में कोई सीमित दायरे से ज्यादा जाता है तो जनता में यह बात फैलाई जाती है जल बोर्ड के आदमियों द्वारा कि साहब पक्ष विशेष के आदमियों को रखा जाता है और वे चाहें जैसा करते हैं। इसको दूर करके इसमें सुधार करने की बात है। यदि गलती होती है तो शान से उसको मानिये। यदि उसको छिपाने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा। यह कहेंगे कि सिलसिला गलत है।

एक कमेटी में एम. एल. एज. मेम्बर्स हैं। मैं जानता हूं कि एम. एल. एज. वही मेम्बर होंगे जो आप के कृपा पात्र हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे एम. एल. एज. मेम्बर नहीं हैं। या तो वे लोग मेम्बर हैं जो आपके कृपा पात्र हैं या वे हैं जो आपकी हां में हां मिलाते हैं।

ी कंवरलाल जेलिया—आपकी जानकारी सही नहीं है दूसरे लोग भी मेम्बर हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं यह जानता हूं कि जयपुर वगैरह में जो जल बोर्ड की कमेटी है, उसमें नहीं है। आपके होने से मैं नहीं कह सकता, आप भी 'हां' में 'हां' करते होंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपकी धारणा गलत है।

श्री मानसिंह महार (जारी)—सदन में इस पक्ष में बैठने वालों को एसोसियेट कम किया गया है। ज्यादा करना चाहिये। यदि राजस्थान में हेल्दी अपोजिशन बनाना है तो अपोजिशन वालों को भी मौका देना चाहिये। यह प्रत्येक कमेटी के लिये लागू होना चाहिये। यह कह देना कि विरोधी पक्षवाले किसी काम के लायक नहीं है, ठीक नहीं है। जल बोर्ड जैसे शुद्ध काम में जो जनता को पानी देने वाला हैं उसमें भी यदि अपोजिशन वालों को नहीं लेते हैं तो यह गलत परंपरा है। उस तरफ बैठने वाले भी छांट छांट कर लिये जाते हैं। यह मैं दुबारा रिपीट करता हूँ। यदि इसकी मंत्रीजी इन्क्वयरी करेंगे तो मैं कहना हूँ जयपुर में जल बोर्ड की कमेटी बनी है उस में मैं मेम्बर नहीं हूँ। यदि होऊंगा तो भी आज तक मुझे मालूम नहीं है। आज तक मेरे पास कोई इत्तला नहीं आई है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि पंचायत विभाग की धांधलियों को रोशनी में लानेवाला आदमी हूँ इसलिये मुझे यदि जल बोर्ड में रखा गया तो वहां जो पक्षपात और ढीलेपन के जरिये जो पैसा खर्च होता है वह नहीं होने दूंगा, इसलिये मुझे नहीं रखेंगे। अपोजिशन की बात करते है तो उन बैंचों पर बैठने वाले भी मेम्बर नहीं हैं।

श्री ईश्वरसिंह—बीं से भी खतरो होंगो।

श्री मानसिंह महार—चौधरीजी फरमाते हैं कि उनसे खतरा होगा। यह बात अच्छी है। यदि जल बोर्ड में लिया जाता तो उन बातों की सदन को ज्यादा जानकारी देता। चौधरीजी खुद भी उसके मेम्बर नहीं है। ऐसी सूरत में जल बोर्ड के बारे में बहुत कुछ कह ओफिसर दिया गया है। पंचायतों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जल बोर्ड का काम भी पंचायत को दिया गया है। ऐसी सूरत में जल बोर्ड से क्या ज्यादा आशा की जा सकती, है मैं अधिक समय न लेकर मंत्रीजी से, चेयरमैन महोदय, यही निवेदन करूंगा कि जल बोर्ड में सब लोगों को अधिक से अधिक काम करने का मौका दिया जाय। इसमें पक्षपात वगैरह जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। ऐसा कह कर मैं अपना कटोती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—(**संबधित मंत्री से**) आप जवाब देंगे क्या?

श्री कस्तूरचंद जैन—मुझे भी बोलना है।

श्री भैरूसिंह—मैं कटोती प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूँ। मेरा कटोती प्रस्ताव तो नहीं है।

Page No 72

श्री सभापति—काफी समय हो गया है।

श्री भैरू सिंह—कटोती प्रस्ताव तो मंजूर न करें करें लेकिन मुझे समर्थन में बोलने का तो अधिकार है।

श्री सभापति—यह ठीक है कि बोलने का अधिकार जरूर है, लेकिन समय को देखकर मैं यही कहूँगा कि न बोलें तो अच्छा हो।

श्री भैरू सिंह—मैं तो बोलूंगा, तभी अच्छा रहेगा।

श्री सभापति—समय ज्यादा नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरू सिंह—यदि मैं आवश्यक सूचना सदन में प्रस्तुत करता हूँ तो उस के बाद समय के बारे में निर्देशन दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सभापति—टाइम की पाबन्दी पहले से ही करना अच्छा है ताकि आप ज्यादा विस्तार नहीं करें। इसलिये में आपको ५ मिनट देता हूँ।

श्री किस्तूरचन्द—चेयरमेन महोदय, पहले मैंने इजाजत मांगी है।

श्री सभापति—आप बैठिये साहब।

श्री भैरू सिंह—चेयरमेन महोदय, मैंने एक कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था इसके विषय में वह रिजेक्ट हुआ ? न मालूम क्यों रिजेक्ट हुआ। उसके बाद आज और दिया। पहलेवाले में पंचायतें, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक बोर्डस सबके बारे में निवेदन किया था। अलग अलग नहीं दिया इस कारण से शायद रिजेक्ट हो गया होगा। लेकिन जो नया दिया है उसमें अलग अलग दिया है। उसे यदि स्वीकार किया जाय तो अच्छा है लेकिन यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो भी कटोती प्रस्ताव के जितना समय तो मुझको दिया ही जाना चाहिये।

श्री किस्तूरचन्द—मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री सभापति—आप सब्र कीजिये। भैरू सिंहजी को उतना समय नहीं मिलेगा।

श्री भैरूसिंह—चेयरमेन महोदय, आज पंचायतों के विषय में जब सदन में चर्चा हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यह चर्चा जिस तरह से पहले इस सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और मांग की गई थी कि पंचायतों के विषय में जितनी धांधलियां हुई हैं उन सब की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय जिसके अध्यक्ष होंगे, राजस्थान राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री टीकारामजी पालीवाल और उस समय चर्चा ऐसी लगी थी कि उसके बाद

[श्री भैरूसिंह]

मुझे विश्वास था कि शायद कमेटी नहीं बने लेकिन मुमकिन है मैंने जो चार्ज लगाये उसकी इन्क्वारी करें, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विषय में मंत्रीजी कोई इन्क्वारी करा के किसी नतीजे पर पहुँचे होंगे यह बात आज किसी भी सूरत में मानने लायक नहीं है। क्यों कि यदि किसी बात की इन्क्वायरी करते तो जो चार्जेज लगाये गये थे अंधाधुन्धी के उनके बारे में मुझसे जानकारी तो प्राप्त करते, लेकिन आज तक जानकारी नहीं की गई। मैं मानता हूं कि आज मंत्रीजी की परिस्थिति जिस तरह की परिस्थिति में वे मंत्री पद पर आये थे, वह आज नहीं हैं।

श्री सभापति-मैं जानना चाहता हूं कि किस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आप बोल रहे हैं?

श्री भैरूसिंह—पंचायत विभाग के संबंध में।

श्री सभापति—पंचायत विभाग के संबन्ध में कई कटौती प्रस्ताव आये थे उनमें से किस प्रस्ताव के समर्थन में आप बोल रहे हैं?

श्री भैरूसिंह—श्री मानसिंह ने जो मूव किया था उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ।

श्री कस्तूरचन्द जैन—उन्होंने मूव नहीं किया था।

श्री सभापति -(श्री किस्तूर चंदसे) आप बैठिये।

श्री भैरूसिंह—मंत्री जी से उम्मीद थी कि इस बात की और दूसरी सारी बातों की जांच करते। लेकिन आज प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न का उत्तर देते समय यदि स्पष्ट रूप से कहूं कि मंत्रीजी ने जान बूझकर न सही बल्कि अनजाने में हो सकता है कि उनको अधिकारियों ने मुगालता दिया इस कारण से सही, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज उन्होंने असलियत को छिपा कर झूठी बातें मुगालते में रखने वाली बातें सदन में प्रस्तुत कीं। एक मेरा प्रश्न था झुन्झुनू तहसील की एक पंचायत के बारे में। एक जिसका चुनाव नहीं हो, सरपंच घोषित नहीं नहीं हो, उसका नाम प्रकाशित हुआ गजट में जिस आदमी का चुनाव हुआ उसका नाम प्रकाशित नहीं किया गया। उसके पीछे रहस्य था और वह यह कि जो आदमी चुना गया, सरपंच बना उसकी कम उम्र थी और कम उम्र के कारण वह सरपंच नहीं चुना जा सकता था। यदि उसका नाम घोषित किया जाता है तो पंचायत एक्ट के मातहत उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन होती है और मुमकिन है कम उम्र के कारण उसका इलेक्शन खारिज होता। तो पंचायत विभाग वालों ने एक षडयंत्र रचा कि दूसरे का नाम गजट में घोषित कर दो। इसका झगड़ा चलता रहेगा जितने में समय निकल जायगा और उसकी उम्र बराबर हो जायगी। उसका नाम था दयाराम और नानग का जो नाम घोषित किया गया उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन का सवाल नहीं उठता। वह न तो चुना ही गया था और न उसने पंचायत में काम ही किया। इलेक्शन पिटीशन

[श्री भैरूसिंह]

नानगराम के खिलाफ हुई। जब इलेक्शन पिटीशन उसके खिलाफ हुई तो उसने कह दिया कि न तो मैं सरपंच के लिये खड़ा हुआ था और न कोई मेरे सामने हार जीत का प्रश्न है। मेरा नाम झूठा लिख दिया गया है। इस असनाय में जिस व्यक्ति को वे सरपंच बनाना चाहते थे उसकी उम्र पूरी हो गई और उन्होंने उस व्यक्ति को सरपंच बना दिया, वह आज भी जबरदस्ती सरपंच बना हुआ है। इस प्रकार की धांधली को रोकने के लिये पब्लिक ने शिकायत की तो माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की धांधीली को रोकने के लिए आश्वासन दिया। इतना ही नहीं इस पचायत के चुनाव के बारे में इधर और उधर बैठने वाले लोगों ने सरकार पर यह चार्ज लगाया कि इस पंचायत के द्वारा जातीयता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वह जनहित के लिए घातक सिद्ध होगा अगर इसको नहीं रोका गया। इसकी इन्क्वारी की मांग की गई और चीफ पंचायत आफिसर को वहां से हटाने के लिए प्रार्थना की गई मगर उसकी इन्क्वारी करना तो दूर रहा, चीफ पंचायत आफिसर को वहां से हटाना दूर रहा उल्टी उसकी तो तरक्की ही हुई होगी। इतना ही नहीं मुझे ऐसा मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं अपने विभाग को स्वायतशासन में मिलाने के लिए मांग रखी और अपने प्रस्ताव को केबिनेट में रखा और यह मांग की कि स्वायत शासन और पंचायतों को एक जगह कर दिया जाय। इस प्रकार की राय विश्वनाथन ने भी अपनी सिफारिश में की थी मगर यह जनता की बदकिस्मती है कि उनकी यह कोशिश पूरी न हो पाई और अब वे इस बात के लिए निर्थक से होकर बैठ गये हैं। ऐसी सूरत में जब हम एक तरफ यह मानकर चलते हैं कि म्युनिसिपेल्टी, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो भी स्वायत शासन में आते हैं उनको सबको एक विभाग मान लिया जावे। उनका सबका चुनाव का तरीका स्थाई हो जिससे चुनाव में कोई किसी प्रकार की गल्ती न हो सके। मगर इस विभाग को इसीलिये अलग अलग रखा है कि अपनी मनमानी कर सकें। यहां पर आप देखेंगे कि छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर ऊपर से ऊपर का अधिकारी एक ही कौम का रखे। अगर हमारे यहां के चीफ पंचायत आफिसर के कौम आदमी हों तो उनको नियुक्त कर दिया जाता है। आप देखेंगे चीफ पंचायत अफिसर, डिप्टी चीफ पंचायत अफिसर से लगाकर इन्सपेक्टर और दूसरे कर्मचारी और नौकर तक आपको एक ही जाति के मिलेंगे। इन्सपेक्टरों को ले लीजिये, मनोहरलाल, दुर्गालाल को ले लीजिये, इसके अलावा जितने भी टेम्परेरी एपोइन्टमेंट किये थे उनके फिक्सेशन कर दिये गये उसके लिये पब्लिक सर्विस कमिशन ने लिखा कि यह कानून के विरुद्ध है। मैं तो हमारे मित्र चीफ पंचायत ऑफिसर की हिम्मत की सराहना करूंगा कि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमिशन की भी व मिनिस्टर की भी परवाह न करते हुये भी इन्सपेक्टर का पक्ष किया और यह लिखा कि इन्सपेक्टर की कोई शिकायत नहीं आई, है इनका एक साल का अनुभव है इनको रखा जावे। इतना होते हुये भी माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि हमारे पास इन्सपेक्टर की कोई शिकायत नहीं आई आपके पास कैसे शिकायत आई? आप पी. एस. सी. के कागज मंगा कर देखें, नियुक्ति के कागजात देखें। टेम्परेरी एपोइन्टमेंट ६ महनों तक के लिए होता है। बाद में जब उसको पी. एस. सी के पास भेजते हैं फिक्सेशन के लिये तो पब्लिक सर्विस कमिशन कहता है कि इस व्यक्ति की नियुक्त इस पद पर नियमानुसार नहीं हो सकती। मगर फिर भी चीफ पंचायत ऑफिसर साहब लिखते हैं कि इनको एक साल का अनुभव है इस वजह से इनको नियुक्त की जावे। मुझे इस बात का अफ.

[श्री भैरूसिंह]

सोस है कि उन्होंने माननीय मन्त्री के हुक्म की और पब्लिक सर्विस कमिशन के आदेश की परवाह नहीं की। अगर इस प्रकार कोई दूसरा हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट हिम्मत करता तो उसको खराब से खराब जगह जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा परेशानी होती भेज दिया जा सकता था। मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं बार बार यहां पर कहता आ रहा हूं और सरकार को बार बार कहते आ रहे हैं कि आप इस प्रकार की संस्थाओं पर कौम परस्तों का जाल डाल देंगे तो आप प्रजातन्त्र के मूल पर आघात करने वाले हैं। कुछ सदस्यों ने इस बात की मांग की कि राजस्थान में मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और चीफ पंचायत ऑफिसर ने इसमें जातीयता को प्रोत्साहन दिया है, इसके लिये जांच कराई जावे और पता लगाया जावे कि कितनों में प्रोत्साहन दिया है। चीफ पंचायत ऑफिसर को हटाया जावे। और फिर जांच की जावे। मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह शिकायत चीफ पंचायत ऑफिसर के खिलाफ थी। मगर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पहले सिरसी पंचायत में चुनाव हुए और उसमें भी बड़ी धांधली हुई। उसमें भी उप मंत्राणी ने एक कम्पाउडर को हस्तवेजा मे रोका और उससे कुछ बातें कहलाने की चेष्टा की और उससे जबरदस्ती दस्तखत करवाये गये। इसकी शिकायत होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ....

(घंटी)

मैं समझता हूँ कि आप उप मंत्राणी, चीफ ऑफिसर के खिलाफ या उसके इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो आपने २४ लाख रुपये बाहर गांवों में पानी के प्रबन्ध के लिये दिये उसका तो हिसाब बताइये। अगर उनसे कोई हिसाब पूछे कि ३१ मार्च १९५५ तक उन २४ लाख रुपयों का हिसाब देवें तो आपको पता लगेगा कि उनके पास हिसाब नहीं है। जिन लोगों के इन्सपेक्टर बने हुए हैं, जो मिनिस्टर हैं या डिप्टि मिनिस्टर हैं, सब में दखल करते हैं और जो रुपया हिसाब में बाकी निकलता है वह इन्हीं के रिश्तेदारों में निकलेगा और जिन लोगों ने हिसाब दिया है उन्होंने गल्त हिसाब दिया है। अगर माननीय मत्री महोदय और सभापति चाहें तो मैं लिस्ट पढ कर सुनाऊंगा कि किन किन लोगों से गल्त हिसाब दिया है और किन किन लोगों में हिसाब के रुपये बाकी हैं और जिन लोगों में यह रुपया बाकी है वे सब किसी न किसी के रिश्तेदार ही है। पहले वाले मंत्री के स्थान पर दूसरे पूछने वाले मंत्री आये जैसा क जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब पूछने वाले मंत्री आए तो चीफ पंचायत ऑफिसर के हार्ट ट्रबल हो गया और चूंकि मेडिकल विभाग उनके पास था जो उनकी प्रोटेक्शन दे रहे थे इसलिये उनका इलाज हो गया। उनके हार्ट ट्रबल इसलिये हुआ कि नये मंत्री कोई न कोई नईकार्यवाही करने वाले हैं। मगर इस हार्ट ट्रबल और ब्लड प्रेसर में किसी प्रकार की बात नहीं हुई यह हमारे माननीय मंत्री की कमजोरी और राजस्थान की पब्लिक की बदकिस्मती है। मैंने स्वयं सूरतगढ तहसील के पंचायत चुनावों के बारे में चीफ पचायत ऑफिसर के खिलाफ चार्ज लगाया कि पंचायतों का चुनाव गड़बड़ हुआ है इसकी जांच कराई जावे। इस पर माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि लिस्ट पेश की जावे।

[श्री भैरूसिंह]

मैं यह निवेदन करूंगा कि लिस्ट उसके खिलाफ पेश की जावे। जो एक गल्ती करता हो, दो गल्ती करता हो या तीन गल्ती करता हो लेकिन जो व्यक्ति सैकड़ों गल्तियें करता है उसको ठीक करना सरकार का कर्तव्य है। आप एक बात पर जांच करें। अगर हमारा कहना सही हो तो उसको सजा दी जावे। अगर इसके लिये दूसरी रिपोर्ट भी आती है तो जांच कराई जावे और अगर जांच कराने पर आप यह नतीजे पर पहुँचे कि जिसने शिकायत की है वह गलत, तो यह माना जा सकता है कि दूसरी जो शिकायत की गई है वह भी गलत हो सकती है।

अब मैं आपका ध्यान एक पुस्तक प्रकाशित हुई है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं, पंचायतों के लिये नियम और विज्ञप्ति के नाम की किताब है।

इस किताब में पंचायत विभाग की ओर से विज्ञप्ति का संकलन है। इसका मूल्य रखा है तीन रुपये। अगर इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति किताब छापे या इस प्रकार के छापे वाली किताब बाजार में मोल लें तो उसको १।।) में मिल सकती है। इसके नीचे लिखा है पचायत प्रकाशन, खेतान भवन, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर। आप खेतान भवन में जाकर देखिये कि कोई पंचायत प्रकाशन है या नहीं, आपको पता लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के विज्ञापनों का संकलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन इस किताब वाले ने लिखा है सर्वाधिकार सुरक्षित। इसके माने यह हुए कि दूसरा इस प्रकार का संकलन नहीं कर सकता।

इसी प्रकार की पाबन्दी उस पर डाल दें। इसके अन्दर आगे क्या होता है? इसमें जितने भी ज्यादा विज्ञप्तियां नवयुग के बारे में और जितने भी पत्र है उन पत्रों के बारे में मुख्य पंचायत अधिकारी ने किस किस प्रकार के आदेश दिये? वे पंचायतें अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाव जूद खरीदने का प्रबन्ध करें। वे ही विज्ञप्तिया एक किताब के रुप में आती हैं। हो सकता है माननीय मंत्रीजी यह कहें, ऐसी बात नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी सेशन के खत्म होते ही जीप में बैठकर हमारे साथ चलें। सीकर के इन्स्पेक्टर के कार्यालय में जाकर देखें इस किताब की २०० प्रतियां पडी हुई है। उस पर वहां इन्स्पेक्टर को यह आदेश है कि तुम हर पंचायत के हरपंच को यह किताब बेची और बेचनी पडेगी। अगर आप उस जगह नहीं चलते हैं तो आप चीफ पंचायत आफिसर के यहां जाकर देख सकते हैं, उस किताब की कितनी प्रतियां पडी हैं? अब सवाल यह आता हैं यह प्रतियां इस तरह क्यों बेची जाती हैं? इसका एक ही उत्तर है केवल अपने फायदे के लिये। यह जहां से प्रकाशित हुई है उस खेतान भवन में कोई प्रकाशन विभाग नहीं। नाम जरुर रख दिया है और उसमें भी सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया गया है और इस किताब की कीमत तीन रुपया रख दिया गया। इसका मतलब यह कि चीफ पंचायत आफिसर को यह रुपया मिलता रहे ताकि वे एक मकान तो जयपुर में बना ही चुके हैं एक उदयपुर में और एक भीलवाडे में और मकान बनालें। चाहे उनको तनखा कितनी ही मिले किन्तु वे नये नये भवन खडे करते रहें। चेयरमेन महोदय, इस प्रकार की किताबें

[श्री भैरूसिंह]

आज राजस्थान सरकार के स्वायत शासन मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता की छत्रछाया में बिक रही हैं जिसकी कोई रोकथाम नहीं होती।

(घंटी)

सभापति महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मैं इतनी तथ्यपूर्ण बातें रख रहा हूँ, किन्तु समय का अभाव है। मैं अब वाइन्ड अप ही कर रहा हूं।

मैं चेयरमेन महोदय अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत आफिस में जो आज काम हो रहे हैं। पब्लिक सरविस कमीशन की सिफारिशों को जहां रिजेक्ट कर दिया जाता हैं, उसके लिये श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता स्वायत शासन मंत्री इसी सदन में घोषणा करें कि उन लोगों को राजस्थान पचायत की सेवाओं से अलग कर दिया जायगा जो पब्लिक सरविस कमीशन से रिजेक्ट कर दिये गये है और जितने भी चीफ पचायत ऑफिसर पर चार्ज लगाये गये है मैं समझता हूं कि उन चार्जेज की इन्क्वायरी करने का आश्वासन दें नहीं तो क्या होगा कि दूसरे जितने भी अधिकारी हैं और दूसरे हथियार हैं उनको काम में लाना पड़ेगा। यह मैं चेतावनी के रुप में कहना चाहता हूँ। तब वह मौका आयगा जब राजस्थान सरकार और हमारे स्वायत शासन मंत्री दोनों को मजबूर होकर चीफ पंचायत ओफीसर को हटाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। चाहे आप इसको धमकी के रुप में लें, कोई अशोभनीय काम न हो इसबात की सूचना हमने आपको दे दी हैं। हम जो न्यायपूर्ण मांग कर रहे है उस पर आप ध्यान देंगे। इतनी सब बातों को रखते हुए मैं २४ लाख रुपये जो जल बोर्ड में थे उसका हिसाब नहीं, जिन व्यक्ति को पंचायत आफिसर भूंझनू में लगाकर रखा है उसको पब्लिक सरविस कमीशन ने एप्रूव नहीं किया हमारे स्वायत शासन मंत्री से लिखा पढी की उनकी चलती नहीं, एक इन्स्पेक्टर हटा नहो सकते पंचायत अफसर पर एक्शन नहीं ले सकते। चीफ पंचायत आफीसर से डरते हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ आपसे ये सब बातें नहीं होती हैं तो आप मंत्री पद छोडकर चले आइये, आपके बिना भी काम चलता रहेगा। इन शब्दों के साथ जमवा रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटोती प्रस्ताव रखे हैं उनका समर्थन करता हूं और उनको स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करता हूं। इसके साथ साथ जिन्होंने ये कटोती के प्रस्ताव रखे हैं वे अनुशासन के डर से अपने प्रस्ताव को वापिस न लें, यही मेरी उनसे भी प्रार्थना है।

श्री **कस्तूरचन्द**—माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री **सभापति**—Order! Order!! जिन सदस्यों के नाम कटोती प्रस्तावों के समय पुकारे गये थे वे उस समय उपस्थित नहीं थे, इसलिये उनके बोलने का हक चला गया। मैं अब बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री कस्तूरचन्द--सभापति महोदय, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति--Order, please !

(श्री हरलालसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति--आपका कटोती का प्रस्ताव तो नहीं है, आप किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री हरलालसिंह--सभापति महोदय, में प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। जिस प्रकार जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन भैरोसिंहजी ने किया मैं भी प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री सभापति--आवश्यक तो नहीं है। (श्री हरलालसिंह के पुनः खड़े होने पर) Order please !

(विराम)

Shri Badri Parsad Gupta

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--माननीय चेयरमेन महोदय, पंचायतों के सम्बंध में बहुत से कटोती के प्रस्ताव पेश किये गये और उनके संबंध में बहुत से सदस्यों मे बहुत सारी बातें कहीं। मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण कर दूं तो शायद आपति नहीं होगी। आज जब यह बात कही गई कि पंचायत विभाग और डाइरेक्टर लोकल बोडिज विभाग को एक करने के संबन्ध में मैंने प्रस्ताव रखा और वह माना नहीं गया। मैं इस बारे में निवेदन कर दूं माननीय सदस्य इस हाउस में जो भी बातें कहें वे जरा अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। गलत बातें नहीं कहीं जायं इससे सदन में असर ठीक नहीं पड़ता है।

श्री भैरोसिंह--मैने ये बातें आपकी ही मुंह से सुनी हैं कि आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--(जारी रखते हुए :) मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं केबीनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है और नहीं गिराया गया है। यह जरूर है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी जरूर बिठाई गई है वह कमेटी अपने विचार इस सम्बन्ध में जांच कर रही है उसने अपने प्रस्ताव गवर्नमेंट को दे दिये हैं और वे प्रस्ताव केबीनेट में भेजे जा रहे हैं। न को केबीनेट में प्रस्ताव आया है और न गिराया गया है। इसमें इस बात का जरूर विचार किया गया कि इन दोनों विभागों को एक कर दिया जाय और एक डाइरेक्टर लोकल बोडिज बना दिया जाय। और साथ ही इस बात की व्यवस्था की गई है कि हरेक सब डिवीजन में एक सब इन्सपेक्टर जरूर होना चाहिये ताकि पंचायत का काम अच्छी प्रकार से हो सके।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इसके साथ साथ पंचायतों के वार्डस के सम्बन्ध में जो बतलाया गया उसके बारे में प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने यह निवेदन किया था कि पंचायतें और वार्डस जो कायम किये गये हैं अभी तक संख्या के लिहाज से कुछ थोड़ी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के कारण कुछ पंचायतें बड़ी और कुछ छोटी बन गई हैं इन सारी बातों को देखने के लिये हमने एक कमेटी नियुक्त की है, वह इन सारे प्रश्नों पर विचार करेगी। उसमें यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत जिस तरह से पटवार सर्कल बने हुए हैं उसी आधार पर इस प्रश्न को जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। फिर उस पर विचार किया जायगा। जिस प्रकार पटवार इलाका है उसी प्रकार यह भी रहे। इसके साथ साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है कि हमारे जो विलेज वर्कर्स हैं, कम्युनिटी एरिया को किस तरह से डिजाइन कर दिया जाय? तीनों एरिया, पंचायत एरिया, पटवार एरिया और कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया विलेज वर्कर्स का एरिया ये तीनों एरिया करीब करीब एक से हो जायं। इन प्रस्तावों के आ जाने के बाद गांव के बारे में जहां एक पंचायत के बारे में बहुत दिनों से बातें चल रही हैं मेरे ध्यान में आई। मैं समझता हूं यह स्कीम कार्यान्वित हो जाने पर ये सब बातें खत्म हो जायंगी।

अब केवल दो बातों की शिकायतें बाकी रहीं, विभाग और उसके अधिकारियों के बारे में। एक माननीय सज्जन ने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि वे मेरे पास आये और मुझे शक था कि फलां फलां तहसील के चुनाव में अव्यवस्था है, इसलिये आप रिपोर्ट मंगा लीजिये और जांच कराइये। मैंने कहा यह कोई जांच का तरीका नहीं, सारी तहसील पंचायत के सब रेकर्ड मंगाकर देख कर स्पेसिफिक जांच कैसे हो सकती है? यदि कोई स्पेसिफिक बात बताते है तो मैं जांच करने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं आप से कहूं वे दुबारा मेरे पास नहीं आये और इस प्रकार कोई शिकायत नहीं आई। किसी अफसर या इन्सपेक्टर के बारे में और किसी के बारे में कोई शिकायत मेरे सामने होगी उस संबंध में जरूर जांच कराउंगा और नियम के अन्तर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जनरल तौर पर यहां बातें कहना कि चीफ पंचायत आफिसर ने जुल्म कर दिया, इस प्रकार की ज्यादती करता है तो इस तरह की बातों पर मैं कहूँगा कि नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। और जैसा मैं अभी कहता हूं यदि इस प्रकार के चार्जेज मेरे ध्यान में लाये जावेंगे तो उस पर जरूर कार्यवाही की जावेगी।

चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, इस प्रकार की बातें अफसरों की बैक पर कही जाती हैं जब कि उनको जवाब देने का मौका नहीं मिलता। तो जिनको जवाब देने का मौका नहीं मिलता उन के बारे में इस तरह के आक्षेप उनकी अनुपस्थिति में करना हमारे सदन के लिए उचित बात नहीं होगी। इन्डिविजुअल केस के बारे में डिस्कस किया जाना कोई उचित बात नहीं है।

मुझे इस बात की इस पंचायत के बारे की डिबेट को सुनकर बड़ी निराशा हुई की पचायतों की आलोचना करने वाले तो बड़े बड़े हमारे साथी हैं पर किसी भी सज्जन ने इस पचायत विभाग के कार्यों को तरक्की देने के लिये, पंचायतों का काम ठीक तरह से चलाने के लिए क्या

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कार्यवाही होनी चाहिये इस सम्बन्ध में कोई सूचना या सुझाव नहीं दिया, न यहां सदन में और न बाहर ही। मेरे दिमाग में एक नक्शा जरूर है जिसके अनुसार मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। पर सदन के सदस्यों से भी कहता हूँ कि वे इस प्रकार के रचनात्मक सुझाव देंगे तो मैं उनका आभारी होऊंगा और उनको कार्यान्वित करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा।

श्री भोपालसिंह—आप हमारी सही शिकायतों की जांच तक कराने को तैयार नहीं, तो फिर क्या सुझाव दें आपको ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक बात मैं निवेदन कर दूं कि चुनाव के सम्बन्ध में, जो चुनाव हो चुके उनको रद्द करने या उनके बारे में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का पॉवर सरकार को नहीं है। इसको आप चुनाव याचिका द्वारा ही ठीक करा सकते हैं। पंचायत के ऐसे ही नियम हैं। नियमानुसार यह याचिका कलक्टर के यहां होनी चाहिये और बहुत सी याचिकाएं ऐसी हुई भी हैं और बहुत सी तो हाई कोर्ट में रिटें भी हुई हैं और उन रिटों पर कार्यवाही भी हुई हैं। तो जो एक कानून है उसके अन्तर्गत कार्यवाही होने के बाद सरकार के पास कोई अधिकार उसमें हस्तक्षेप करने का नहीं रह जाता। चुनाव होने से पहले अगर किसी गड़बड़ी को ठीक करने की बात हो तो सूचना मिलने पर सरकार उस नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है और इस तरह के चुनावों को रोका भी जा सकता है। पर इस पर सदस्य सरकार पर आरोप लगाते हैं कि इस तरह से चुनाव रोक दिये गये, तो यह बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सोच समझ कर सरकार को सारा काम करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्य इस बात का पूरा विश्वास रक्खें कि गवर्नमेंट के पास नियमानुसार जो पावर हैं उनके अन्तर्गत सरकार की ओर से कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसे मेरे ध्यान में लाया जाय, मैं अवश्य उचित कार्यवाही करूंगा और यह भी निवेदन करदूं कि आज तक भी किसी गड़बड़ी की ओर किसी माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया हो और मैंने उस पर कार्यवाही न की हो ऐसी मिसाल भी आप बताएं। तो ध्यान में आने के बाद मैंने अवश्य जांच कराई है और उस पर उचित कदम उठाया है और वही आश्वासन आगे के लिये भी देता हूँ कि अगर कोई शिकायत इस तरह की आई तो मैं अवश्य उस पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा और जांच करूंगा, सदस्य इस बात का यकीन रक्खें।

साथ ही इस प्रकार की बात है कि यदि कोई पंचायत काम करने लग गई और दूसरा गांव उसमें शामिल किया जावे तो इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही होती है। किसी चुनाव पंचायत को रद्द करने का सरकार को पॉवर नहीं है।

दूसरी बात कही गई कि विभाग ने चुनाव में धांधली बरती। तो ये चुनाव रेवेन्यू विभाग के आदमी कराते हैं, तहसीलदार कराते हैं या नायब तहसीलदार कराते हैं या इलेक्शन विभाग कराता है। इसमें विभाग का कोई आदमी नहीं है, तो फिर इस विभाग द्वारा धांधली कराये जाने का प्रश्न नहीं उठाता।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

एक बात एक सदस्य ने कही वाटर बोर्ड और P. S. C. के बारे में। मैं समझता हूं कि उनका कट मोशन इस सम्बन्ध में नहीं था। कट मोशन न होते हुए भी कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है तो मैं इस सम्बन्ध में डिटेल में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्टीग्रेशन विभाग में यह सारा प्रश्न इस समय विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर विचार करके उचित कार्यवाही की जावेगी। कोई कट मोशन नहीं था इसलिये इस मामले में डिटेल्ड जानकारी मैं नहीं ला सका।

दूसरी बात जल बोर्ड के सम्बन्ध में २४ लाख रुपयों की कही गई। वाटर बोर्ड के बारे में ऐसी शिकायत आज तक नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जल बोर्ड नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। यह रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम (rural drinking water supply scheme) के बारे में है और इसी के तहत का यह मामला है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने वाटर बोर्ड के बारे में जिक्र किया था। वह तो इस साल बना है, वाटर बोर्ड का तो काम ही इस साल हुआ है। अकाउन्ट ए० जी० के पास जाने का और ओब्जेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं क्लेरिफाई कर दूं। वाटर बोर्ड तो इस साल बना है पर पहले इसके रूरल ड्रिन्किंग वाटर सप्लाई स्कीम थी जो कि पंचायत विभाग के अन्तर्गत था। यही विभाग इसका काम करता आया है। पुराने वर्षों के काम के सिलसिले में जो काम चीफ पंचायत ऑफीसर के जरिये किया गया उसके बारे में ऑडिट ऑब्जेक्शन आये हैं जिनमें अधिकतर पेन्डिंग में पड़े हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है और जो जवाब नहीं दिया गया है उसकी रकम २४ लाख के करीब है और जो सरटीफिकेट दिये गये हैं इस रकम के बारे में वे फरजी दिये गये हैं और आप कह रहे हैं वाटर बोर्ड के बारे में, आपको ऑडिट रिपोर्ट देखने से मालूम होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऑडिट रिपोर्ट देखूंगा और बस सम्बन्ध में और जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यों कहिये। लाखों रुपया दिया है और हिसाब नहीं आ रहा है वाटर बोर्ड के बारे में तो अब कहूँगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तो मैंने यह निवेदन किया था कि यह जो हिसाब की ओर ए. जी. के ओब्जेशन की बात है उसकी जानकारी प्राप्त करके कुछ कह सकूंगा।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

अब वाटर बोर्ड के इन्सपेक्टर्स जो अपोइन्ट होते हैं उसके बारे में कहा गया, मैं निवेदन कर दूं कि इनकी तनखा वाटर बोर्ड द्वारा दी जाती है इसलिये इस पर हाउस को डिसकस नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सरकार का मनी नहीं है। गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल तो है वाटर बोर्ड पर और इन्सपेक्टरों पर भी और इसके सम्बन्धों में कोई शिकायत की बात होगी तो मैं जरूर उसे देखने की कोशिश करूंगा।

अब पंचायतों के चुनावों में धांधली हुई है और निर्वाचन क्षेत्र बनाने में धांधली हुई है, यह कहा गया। इनके बारे में बहुत बार कह चुका हूं कि कोई स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट मुझे बतावेंगे तो इसके बारे में मैं जरूर एन्क्वाइरी कराऊंगा पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इलेक्शन हो जाने बाद इसको दूर करने का तरीका इलेक्शन पिटीशन ही है।

रामगढ़ की पंचायत के चुनाव के बारे में खास तौर से एक माननीय सदस्य ने कहा। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा कि जो यह शिकायत करने वाले हैं उनके खिलाफ मुझे शिकायत है कि उन्होंने ६ बार जब कि उनकी पार्टी उस इलेक्शन में हारने वाली थी तो जबर्दस्ती चुनाव को रोकने की कोशिश की और जब आखिरी बार चुनाव कराने की हमने कोशिश की तो ब्रीच आफ पीस किया। उसके मुकदमे दर्ज किये गये फौजदारी की धारा में। तो एक तरफ तो वे यह बात कहते हैं कि चुनाव नहीं कराया जाता, दूसरी ओर चुनाव कराते हैं तो ब्रीच आफ पीस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दो तीन उदाहरण मेरे ध्यान में हैं और बताऊं माननीय सदस्य उसे जानते भी हैं। जो बात अपनी पार्टी की नहीं बने और हारने की नौबत आवे तो ब्रीच ऑफ पीस करें और ऐसी स्थिति में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हैं।

हमने चुनाव कराने की कोशिश की तो लाठी ले ले कर पहुंच गये और चुनाव को रुकवाने की कोशिश की। किसी वोटर को नहीं आने दिया। कई बार उपद्रव शुरू होने की शिकायत हुई। और वे यहां आकर शिकायत इस बात की करते हैं कि गवर्नमेन्ट धांधली करती है और वह चुनाव नहीं होने देती है।

श्री मानसिंह महार—आपने कहा कि रामगढ़ में तो, इसके बारे में खुलासा कर दिया जाय क्योंकि मैं जमुआ रामगढ़ से आता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं राजगढ़ की बात कहता हूं।

श्री चन्दनलाल बैद—राजगढ़, जिला चुरू?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जी हां, राजगढ़, जिला, चुरू की बात कह रहा हूं। पर्चे निकाले गये और जबरदस्ती वोटर्स को रोक दिया गया। हर तरह से चुनाव के लिए आने वाले वोटर्स को लाठी और डंडे ले लेकर रोक देते हैं और यहां आकर शिकायत इस बात की करते हैं कि गवर्नमेन्ट धांधली करती है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें गड़बड़ किस पार्टी की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह मुझे मालूम है कि इसमें किसने गड़बड़ की है। वह अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं ? वे प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और लाठी लेकर फौजदारी करते हैं, और यहां आकर चुनावों के खिलाफ शिकायतें करते हैं। यह तरीका प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्त के बिल्कुल खिलाफ है। वह कम्युनिस्ट या किसान सभा ही अपना सकती है। जब आप कहते हैं कि इस देश में प्रजातन्त्र होना चाहिए तो प्रजातन्त्र का तरीका ही आपको अपनाना चाहिए और इस प्रकार के तरीके अपना कर आप चुनाव में गड़बड़ करते हैं तो यह बात ठीक नहीं है।

इसी प्रकार अखबारों के बारे में यह बात कही गई कि अखबारों को खरीदने के लिए हिदायतें निकाली हैं, लेकिन जिस प्रकार एक अफसर हिदायत देता है उसी प्रकार की है, वह ऑब्लीगेटरी नहीं है, आर्डर नहीं है, डाइरेक्टिव नहीं है कि फलां फलां अखबार खरीदो। अखबार वह चाहें तो खरीद लें, न चाहें तो पंचायतें न खरीदें।

श्री चंदनमल वैद—अखबारों का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह एडवाइस देने वाले होते कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हमारे एक सीनियर अफसर आर. ए. एस के खिलाफ शब्द कहे गये हैं वह अनपार्लियामेंट्री हैं। 'टुच्चे' शब्द कहा गया है, एक हमारे उच्च सीनियर ऑफिसर हैं उनको। यह हाउस की डिगनिटी के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि वे सज्जन इन शब्दों को वापिस लेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे पूरे जिद्दी हैं और अपने शब्द वापिस नहीं लेंगे। उस परसन के काम के बारे में आप लोगों को शिकायत हो सकती है क्योंकि जो लोग चुनाव हार गये हैं वे अब यहां खड़े होकर जाटवाद की दुहाई देते हैं। ज्यादातर शिकायतें करने वाले वे लोग हैं जो चुनावों में हार गये हैं। वे पंचायत ऑफीसर और जो डिप्टी मिनिस्टर यहां बैठी हुई हैं उनकी शिकायतें करते हैं। वे शिकायतें निराधार हैं और उनमें तथ्य नहीं है, वर्ना जैसा कि मैं पहले हाउस में कह चुका हूं कि अगर तथ्य की बात हो तो उसके लिए मैं जांच करवाने को तैयार हूं। लेकिन आज तक मुझे कोई शिकायत लिखित या मौखिक रूप में आकर नहीं बतलाई। यहां हाउस में जबानी जमाखर्च करते हैं। यह जरूर है कि उनको यहां पर बोलने का प्रिविलेज है, लेकिन वे हाउस का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, जब कि जाटवाद की बात कहते हैं यह वे ही जानें। आप जब गलत बात का प्रचार करेंगे तो गलत बात के प्रचार का खराब प्रभाव दूसरे पर कोई पर न पड़ने वाला है, वह आप पर ही पड़ने वाला है। अच्छी बातें करें और उन्हें भी बुरा कहेंगे तो वे भी बुरी बन जाने वाली हैं। इस बात से किसी को अच्छाई नहीं मिलने वाली है। हमेशा तक उसी एक बात को चलते रहने देना यह समझ में आने की बात नहीं है इस सदन के।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अखबार वाली उस बात का क्या उत्तर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अखबारों के बारे में कट मोशन नहीं था इस लिए मेरे पास जानकारी नहीं है कि अखबारों के बारे में क्या है ? लेकिन मैं यह समझता हूं कि चीफ पंचायत ऑफिसर उस डिपार्टमेंट की चीफ कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है । उसे कानूनन आपने अधिकार दिये हैं । यदि वह अखबारों के लिये कहता है कि चाहें तो पंचायतें खरीदलें इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। किसी पंचायत पर कोई कम्पल्शन नहीं है । मैं समझता हूं कि इस सरक्यूलर के बाद किसी पंचायत ने शायद खरीदा भी न होगा । लेकिन यह कोई ओब्लीगेटरी हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो सिर्फ पंचायतों के नाम एक सरक्यूलर है कि गवर्नमेंट इन पत्रों को ठीक समझती है, आप चाहो तो खरीद सकते हो उसके लिए हमारी मजबूरी नहीं है। चूंकि वह चीफ कंट्रोलिंग आफिसर है इसलिए कानूनन मुझे कोई आपत्ति उसमें मालूम नहीं होती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, सरक्युलर यह है 'जयपुर से प्रकाशित' ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I am in the possession of the House, please-

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिना वजह डिस्टर्बेन्स किये जा रहे हैं ।

ऐसी बात है कि वह पंचायतों के लिए ओब्लीगेटरी नहीं है । कोई सदस्य ऐसा समझता है तो अपनी पंचायतों को कह दें । यदि पंचायतें न खरीदें तो उन पंचायतों को कोई मजबूर नहीं किया जायगा ?

एक बात अम्रव्य के चुनाव के बारे में कही गई कि तहसीलदार ने बहुत से फार्म रिजेक्ट कर दिये और बहुत सी ज्यादतियां कीं, वे चुनाव हाईकोर्ट में गये तो वहां से रद्द हो गये, लेकिन उसके (तहसीलदार) के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो इलेक्शन पिटीशन हुई है और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको मैने देखा है, इस इलेक्शन पिटीशन के फैसले को मैंने देखा है । उसमें तहसीलदार के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है । हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें तहसीलदार के खिलाफ कोई बात नहीं है । यदि हाईकोर्ट के सामने ऐसी बात होती तो हाईकोर्ट देखती । यदि तहसीलदार की गलती होती तो वह गवर्नमेट को उसके खिलाफ कार्यवाही करने को लिखती । तहसीलदार के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उसमें बात इतनी ही थी कि ७ दिन का नोटिस नहीं दिया गया इसलिए इल्लीगल करार करते हुए हाई कोर्ट ने रिइलेक्शन की इजाजत देदी । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जिस वक्त शिकायत लेकर हाई कोर्ट में चले गये और हाईकोर्ट के सामने बात आई और वहां हाई कोर्ट में आपने शिकायत नहीं की कि तहसीलदार ने फार्म गलती से रिजेक्ट कर दिये और अब यहां हाउस में कहना चाहते हैं ! हाई कोर्ट में इस बात को प्रेस नहीं करते हैं और यहां पर प्रेस करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद गवर्नमेन्ट का डिसीजन खत्म हो जाता है । जब वह मामला हाईकोर्ट में चला जाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्यवाही कैसे कर सकती है और उस पर ऐसी बात

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कहते हैं कि जांच करवाने को तैयार हैं क्या ? वे हाईकोर्ट में यह बात कहते कि तहसीलदार ने यह गलती की है तो उसके साथ में उसके ऊपर जरूर कार्यवाही की जाती ।

इसी तरह बूंदी की पंचायतों की शिकायतों के बारे में बातें कही गईं, और इस प्रकार से डेगाना की पंचायतों के सम्बन्ध में बातें कही गईं । इसके बारे में यद्यपि मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारी जो पंचायतें बनी हैं वे १९४१ की सेन्सस रिपोर्ट जो है उसी आधार पर बनी हुई हैं। उसी की जनगणना को ध्यान में रख कर पंचायतें बनाई हैं ।

श्री भोपालसिंह—कौनसी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१९४१ की सेन्सस के आधार पर।

श्री भोपालसिंह—सन् १९५१ की क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सन् १९५१ की सेन्स की रिपोर्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, आउट होने वाली है । जब तक वह आउट नहीं हो जाती है तब तक सन् १९४१ की जनगणना ही हमारा आधार है पंचायतें कायम करने का । डेगाना के मुतल्लिक मैंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि सन् १९४१ की जनगणना के आधार पर जो आधार कायम किया था वह दर्ज की गई थी और जो कि ठीक है ।

श्री भोपालसिंह—पहले जवाब दिया था वह क्या गलत था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जवाब जो था वह सन् १९४१ की सेन्सेस से ही था ।
जब पंचायतों का पुनर्गठन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आवेगी । एक किताबी छपाई के बारे में बात कही गई है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बात मेरी जानकारी में नहीं है और इसके लिये मैं जानकारी प्राप्त करूंगा ।

इलेक्शन के बारे में सवाल रखा । मैं अर्ज करूंगा कि मैंने उनको प्रश्न के उत्तर में कह दिया था कि मैंने उस फाइल को देख लिया था और रिटर्निंग ऑफिसर ने नाम भेजे हैं और कोई बात नहीं है । अन्डर एज की बात कोई गवर्नमेन्ट के सामने नहीं की । अगर कोई आदमी अन्डर एज की वजह से डिस्क्वालिफाइड है तो गवर्नमेन्ट उसको हटा सकती है, इलेक्शन पीटिशन हो सकती है । जिस जिस तारीख को इलेक्शन हुआ और उस तारीख को वह क्वालिफाइड है तो वह कानून लागू होता है । अगर उस तारीख को अन्डरएज था तो मैं इसकी जांच करा लूंगा । मेरी जानकारी में नहीं है कि अन्डरएज है और ऐसी जानकारी मेरे पास पहले भी नहीं थी और न किसी द्वारा कराई गई । फाइल को भी देखा था, शुरू में रिकमेन्डेशन आयी थी और इलेक्ट हो जाने के बाद वह रिटर्निंग ऑफिसर की आई ।

[श्री बद्रीप्रासद गुप्ता]

इसके अलावा कुछ मंत्रियों के बारेमें और उप मंत्राणी के बारे में शिकायतें की गई। मैं समझता हूं कि ये उनके पर्सनली एक्सप्लेन करने की बात है, वे चुनावों में गई या नहीं गई, इन्टरफियरेन्स हुआ है गवर्नमेन्ट की ओर से यह मेरी जानकारी में तो नहीं है कि ऐसी बात हुई हो और न इस प्रकार की शिकायत ही आयी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उपमंत्राणी जी कोई बात क्लीयर करना चाहें तो कर सकती है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—

(करतलध्वनि)

श्री ईश्वरसिंह —बाग बाग का उत्तर नहीं दिया है; और तो सब आगया है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने और आज से कुछ दिनों पहले कुछ अति सम्मानीय सदस्य ने बहुत ही सुन्दर और लच्छेदार भाषा में बजट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। उस बजट के सम्बन्ध में जवाब देना था सो तो मन्त्री जी और मुख्य मंत्री जी ने दे दिये। कुछ ऐसी बातें अधिक थीं, सत्यता के ऊपर आधारित हैं उनको सदन में पेश किया और चूंकि उसका सम्बन्ध व्यक्तिगत मेरे से था, जब पहली बार सदस्य महोदय बोले तो मैं उस समय में नहीं थी और मुझे उसकी जानकारी नहीं हो पायी लेकिन उनको सब्र नहीं हुआ, और फिर से उन्होंने दोहरा दी, बड़ी गर्जना से दोहरायीं। उसी के साथ दो तीन बातें सम्मानीय सदस्य ने रखी उनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। सबसे पहले बात यह कही गई है कि बेराठ में कुछ पंचायतों के चुनाव हुए और खास तौर पर तहसील पंचायतों के चुनाव हुए उसमें श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल ने अपना व्यक्तिगत दबाव डाला, उन चुनावों में हस्तक्षेप किया और दुनिया में मिसाल कायम होगई कि सारे के सारे ओपोजिशन के पेपर्स खारिज हो गये और उनके साथियों के थे वे मंजूर हो गये। एक मिसाल करना चाहते हैं, अच्छा है, उपाध्यक्ष महोदय, नोमिनेशन दाखिल हुये। नोमिनेशन की स्क्रुटनी के वक्त दोनों तरफ के उम्मीदवार मौजूद थे, बहस हुई और तहसीलदार ने ओपोजिशन के नोमिनेशन रिजेक्ट कर दिये और अति लोकप्रिय पत्र में छाप दिया कि उपमन्त्री महोदया उपस्थिति थीं और उन्होंने रिजेक्ट करवाया, मैं उस समय जयपुर और बैराठ में क्या राजस्थान में ही नहीं थी बल्कि दो दिन पहले ही दिल्ली में बैठी हुई थीं। ये सत्यता की बातें हैं जो यहां सदन में पेश की जाती हैं और उसी पर स्वस्थ परम्परायें बनाना चाहते हैं, पब्लिक ओपिन्यिन बनाना चाहते है, आप अन्दाज लगाइये। और जैसा उन्होंने कहा और मन्त्री महोदय ने उसको स्पष्ट किया कि पंचायतों के रिट हुये थे, इसलिये खारिज नहीं हुये थे कि तहसीलदार ने कोई बेईमानी की हो, मन्त्री महोदय या उपमंत्राणी ने कोई दबाव डाला हो। लीगल खामी रह गई थी, सात दिन का नोटिस पूरा नहीं किया था और इसलिये वे खारिज हो गये। यह तो हुई बैराठ तहसील की बात जिसके लिये बहुत उछल उछल कर और बड़े गर्व से कहा गया था।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

दूसरी बात है जो धोली के सम्बन्ध में कही गई। उपाध्यक्ष महोदय, बताया गया कि उपमंत्राणी ने वहां पर पत्थर फिकवाये, जाटवाद का नारा लगवाया, लोगों को घायल करवा दिया, और कितने ही अस्पताल में लोग दाखिल हुए। धोली का जहां तक सवाल है मैं उस समय वहां गई थी जब कि पी. सी. सी. के चुनाव हो रहे थे और बैराठ तहसील से लड़े गये थे। उस वक्त हर एक गांव का मैंने दौरा किया और एक बार नहीं दस बार किया लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पंचायतों के इलेक्शन हो रहे थे उस समय लोगों पर दबाव डाला गया, उपमंत्राणी हूं इसलिये खबरदार है कि अगर दूसरे को वोट दिया। मैंने न तो लोगों पर दबाव डाला और उन लोगों के लिये यह कहना शोभनीय है। और जैसा कि गौर वर्ण रूसी रिटर्न मोशिये ने कहा कि एक आदमी को गांव के एक आदमी से मरवा दिया। मैं जवाब देना चाहती हूँ कि धोली में मेरे से वह नहीं मिला, मारने वाला कौन था मुझे आज तक खबर नहीं। खबर यह है कि पास की पंचायतों में........

(श्रीअध्यक्ष पदासीन)

आपस में झगड़ा था और वह झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसमें से एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। उस आदमी के मारे जाने के लिए, उस चीज़ को राजनैतिक रूप देने के लिये कुछ सम्मानीय लोगों ने एक मीटिंग की और जो व्यक्ति कभी चवन्नी सदस्य भी कांग्रेस का नहीं था और जो मरते दम तक भी जन संघ का था, उसकी मौत से फायदा उठाया और लोगों में यह प्रचार किया गया कि वह आदमी श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल का था जिसने इस आदमी का खून किया है। अगर आदमी श्रीमती कमला कुमारी बैनीवाल से मरता है या उसकी हवा से मरता है अध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा कोई दोष नहीं।

(करतलध्वनि)

दूसरी बात सरसी के संबन्ध में एक अति सम्मानीय सदस्य महोदय ने कही। मैं कहती हूं कि जितनी सदन में बहस हुई है और उस बहस का सोल्यूशन निकाला जाय तो सबसे ज्यादा झूठी बात अगर किसी ने कही है तो उसी सदस्य मोहदय ने कही है। सरसी के एक कम्पाउन्डर कर्मचारी को बुलाना, हवालात में बन्द रखवाना, सिपाहियों के पहरे में और जबरदस्ती उससे कोर्ट में जाकर लिखवाना और धमकी दिलाना कि नहीं लिखेंगे तो बरखास्त कर दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहती हूं तो न मैं उन सदस्य महोदय को जानती हूँ, न वे मेरे घर पर आये, न उनसे मुलाकात हुई और जब मुलाकात ही नहीं हुई तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो मुझे बतादें कि कौन से रूम नम्बर में किस स्थान के अन्दर, किस तरफ के कमरे में, किस दिन और कहां बंद किया। इस तरह की गलत बातें सदन में कहकर वाहवाही लूटने की कोशिश करना स्वस्थ्य परंपरा नहीं जिसकी कि आप घडी घडी दुहाई दे रहे हैं यह झूठा आरोप है। और यदि खुद के मन में सोचते हैं, कहने वाले कर्मचारी मन मे सोचता है तो मन में तो चाहे जो कुछ सोचते रहें लेकिन सूर्य देखता है और धरती देखती है उसके बीच में तो कहीं.......

श्री भैरू सिंह—उसका तो हाई कोर्ट में पता चलेगा।........

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—आप बोलियेगा मत, बहुत बोल गये हैं झूठा सच्चा, एक सदस्य ने कहा कि मंत्राणी जी इतना अच्छा लिबास पहन कर गांवों में जाती हैं कि जिसका लोगों पर इतना असर पडता है, उनके पति देव साथ में जाते हैं, उनके कारण इतना असर पडता है कि लोग सही राय देने में असमर्थ रहते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि यदि मेरे लिबास को देखते हैं और आपको उससे फायदा दीखता है तो कुछ दो चार साड़ियां मेरे पास स्पेअर है, आप उनको पहनिये और फायदा उठाइये।

('हीयर, हीयर' एवं करतल ध्वनि)

अध्यक्ष महोदय, एक दो स्पष्टीकरण मुझे इसलिये करने पड़े कि जब से मैं इधर आई हूं और बदकिस्मती से मुझे इस बेंच पर बैठने का मौका मिला है तब से कुछ लोगों को खटकने लगा है और बार बार सदन में, अखबारों में, और जहां कहीं मौका मिलता है वहां मेरे खिलाफ कहा जाता है। मैं समझती हूँ इससे उनकी मनोभावना प्रगट होती है, असलियत नहीं। इतना बड़ा सदन है उसमें एक औरत, जिसको आप औरत न मानकर जाटनी मानकर चलते हो। मैं कहती हूँ कि कुर्सियों से हट सकते है, नीचे बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं लेकिन आप यह समझते है कि एक जाति के आने से जाटवाद हो गया, एक जाट कर्मचारी के आने से जाटवाद हो गया तो नीचे तो कितने ही लोग बसते हैं, ऊपर से आप कितने ही को निकालेंगे लेकिन जहां कोंस्टीट्युशन को असलियत में काम में लाने का सवाल आता है वहां आप समझते होंगे कि चुनाव करा लेंगे और हमीं बन जायेंगे और नीचे वालों का जोश चला जायगा। यदि आप यह सोचते हैं तो गल्ती करते है। जिस घर में लोग रहते हैं उस घर से आप उनको नहीं निकाल सकते, इसमें जाटवादी और पार्टी और दूसरी बातों की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। इस सदन के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के लिये शोभा की बात नहीं रहती है। दो तीन बातों का मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया था इसलिये मुझे कहना पड़ा, नहीं तो इस तरह की बातों की मैं परवाह नहीं करती।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—साड़ियों के साथ में चूड़ियां भी भेज देना।

श्री अध्यक्ष—Order plaese।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमें रिप्लाई देना है।

श्री अध्यक्ष—इस पर कई लोग बोल चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—हम इसका जवाब देगें सभी, नहीं तो झगड़ा होगा।

श्री अध्यक्ष—फिर एक डिमान्ड रख लें और बाकी पर गुलेटिन लगा देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छा कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतने दिनों तक मुझे यह वहम था कि पंचायत के मामलों में सुधार होने की कुछ कुछ गुंजायश है और शायद मंत्री महोदय इस ओर प्रयत्नशील नजर आते हैं, लेकिन मुझे खुशी भी है और अफसोस भी कि वह अब मेरा वहम टूट गया। जो बातें ऐसी थीं जिनका कोई जवाब उनके पास नहीं था उनको यह कहकर टाल दिया गया कि इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। यदि..........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपका कट मोशन नही है, यह कहा था मैंने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि मेरे कट मोशन में विस्तृत उल्लेख नहीं होने के कारण यह हालत पैदा हो जाय राजस्थान सरकार की कि सन् ५२ में पी० एस० सी० से लिस्ट आई या नहीं इसकी जानकारी मार्च ५६ तक भी न हो, यदि कट मोशन न आवे, तो न हो, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आलोचना का विषय ही और क्या है। कट मोशन आने के बाद जानकारी उपलब्ध करना, यह मंत्रियों का काम नहीं है। विधान सभा का मेन्डेट यह है कि लगातार जानकारी करते रहें। सन् ५२ से ५६ तक जानकारी नहीं है उस मामले की जो विचाराधीन पड़ा है तो फिर यह कहना कि इन्टीग्रेशन में गया है तो यह अधूरी जानकारी आपको कैसे हुई ? अधूरी सी जानकारी से ही काम चलावें तो और क्या अर्ज करूं।

चीफ पंचायत ऑफिसर के बारे में कड़ी भाषा का जिक्र किया था, वह उनको एतराज के काबिल लगा। इससे भी ज्यादा एतराज काबिल लगता है मुझे उनका जवाब। मै जानता था कि शायद वास्तविक जानकारी नहीं होगी इसलिए मैंने सर्कुलर्स सेवा में प्रस्तुत किये लेकिन वे कहने लगे कि डिस्टर्ब किया जा रहा है। वस्तुस्थिति के सामने आने से आपके लिए डिस्टर्बेन्स की हालत पैदा होती है तो मेरा भ्रम निवारण ठीक ही है। क्योंकि सर्कुलर कि भाषा साफ है कि जयपुर से प्रकाशित होने वाले नवयुग पत्र के लिये कोई रिकमन्डेटरी पत्र लिख देते लेकिन लिखा यह कि पंचायत पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिये इस दैनिक पत्र को अपने यहां २४ रु० वार्षिक शुल्क मनिआर्डर द्वारा भेजकर मगाने का प्रयत्न करें। यह ऑर्डर है या एडवाइस, यदि एक ही है तो कोई बात नहीं एक और पत्र पढ़कर सुनाता हूँ; परिपत्र, जयपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक कांग्रेस संदेश को राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिये आदेश संख्या इतना द्वारा स्वीकार कर लिया है अतः इस समाचार पत्र को शीघ्र मंगाने का प्रबन्ध करें। एक और पत्र पढ़कर सुनाता हूं;

"पंचायत विभाग, राजस्थान

क्रमांक ३११६१।पत्र।५५ दिनांक २४ सितम्बर, १६५५

विषय: पत्र"

लिखा उसमें यह है:

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"उपरोक्त विषय में अंकित किया जाता है कि अमुक अमुक पुस्तक जिसकी प्रतियें आपके पास बहुत अर्से पूर्व से भेजी जा चुकी हैं, उनकी कीमत अभी तक आपके द्वारा सम्बंधित व्यक्ति के पास नहीं पहुँची हैं, अतः अंकित किया जाता हैं कि आप शीघ्रातिशीघ्र ग्रन्थ का मूल्य निम्नोंकित पते पर पहुंचाने की कृपा करें।"

यह किताब पहले से भेजी जा चुकी है, पैसे तो दो। अब यह एडवाइस है ? मंगाने का प्रबन्ध करें, यह एडवाइस है ? शीघ्र मंगाने का प्रबन्ध करें, पैसे भेज दें, यह सलाह है ? सलाह यदि है तो यह सलाह दी जाय कि पंचायत विभाग के लिये जो जो रिकोग्नाइज्ड़ पत्र-पत्रिकाएं हैं उनको ठीक समझे तो मंगालें। लेकिन पत्र विशेष की क्या खासियत ? इस पर कहा गया कि एडवाइजरी तौर पर कहा है। कितनी गलत बात सदन में रखीं गई बचने के लिये। मैं कहता हूँ कि रत्ती भर भी आंशिक रूप में जिम्मेदारी महसूस करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो तो सरकारी अधिकारी को फालतू का प्रोत्साहन देने के बजाय आज्ञा देते उस ओफिसर की बर्खास्तगी का, बर्खास्तगी का ओर्डर देते और कहते की गलती हुई उसको स्वीकार करते हैं और उस ओफिसर को सस्पेन्ड कर दिया गया है। लेकिन पत्र को सामने रखा जाता है, पढ़ने को कहा जाता है तो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं। यदि आप इसको डिस्टर्ब होना कहते हैं तो आज ही नहीं आगे तक इस प्रकार का डिस्टर्बेन्स होता रहेगा.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह ओब्लीगेटरी नहीं समझा जाय। मैंने अर्ज किया कि उनका कटमोशन नहीं था, इसलिए जानकारी नहीं की गई। आप कट मोशन के खिलाफ जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—That is a matter of interpretation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) अध्यक्ष महोदय, यह सही है और मैं उन लोगों में से हूं कि जो अच्छा काम होता है उसकी सराहना भी करता है। आज अभी जो माननीय मन्त्री महोदय ने सूचना दी है उसके लिए तो मैं पहले ही उनकी सराहना करता हूं और कहता हूँ कि वह तो ठीक ही काम किया लेकिन मैं जवाब यह चाहता हूँ कि ऐसा दुसाहस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। आपने कहा कि अब गल्ती सुधार दी गई, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल सिद्धान्त का है कि पहले गल्ती को उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? जिसने गल्ती की उसका क्या होगा ? जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता चाहिये। वाटर बोर्ड के लाखों रुपयों के हिसाब का मामला है। ओडिट के ओब्जेक्शन्स आये हुए हैं कि हिसाब गल्त है।

अन्त में आपने यह इल्जाम लगाया कि राजगढ़ तहसील में किसान सभा के लोग प्रजातंत्र की हत्या करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को वोट देने के लिये जाने नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य—यह बिल्कुल सही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं खुद मानता हूं कि यह सही है क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो, कार्य करके पलट जायें। जो काम होता है उसके बारे में इन्कार नहीं करता। मैं भी यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहता हूं कि यह सही है और मैं तो यह कहूंगा कि उनका ऐसा करना वाजिब था क्योंकि उनका यह कदम प्रजातन्त्र की रक्षा का एक मात्र तरीका था अगर आप स्वयं जाट होते और वहां पर होते तो आप भी वहीं करते। इसके लिए हुआ क्या ? हुआ यह कि पंचायत विभाग ने सक्यूंलर भेजे कि नोमिनेशन करके प्रस्ताव भेजो और जहां पर जो पंचायते कांग्रेसी पार्टी के विरोध में कामयाब हो गई और उस पार्टी की तरफ से जो नोमिनेशन का सुझाव और नाम भेजे उसमें से विशेष नामों को काट कर और नामों का हुक्म जारी किया। मगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष के लोगों ने जो नाम वही नाम रख दिये और किसी भी नाम को नहीं काटा। इस प्रकार ४१ नोमीनेटेड नामों को इधर से उधर करने की कोशिश की गई और ४ ऐसे थे जिनको रिटर्निंग ओफिसर ने भेजे थे और चीफ पंचायत ओफिसर ने उसमें गड़बड़ की। तहसीलदार ने कहा कि ४१ और ४ कुल ४५ की गड़बड़ है उसको दुरुस्त करो उसके बाद चुनाव किया जावे। मगर सुनता कौन ? आज वे कागज भी रेकर्ड में मौजूद हैं और आज्ञा भी मौजूदा है, कि इन शिकायत को दुरुस्त करके चुनाव किये जावें। चीफ पंचायत ओफिसर के सभी आदमी थे उन्होंने कहा कि आप हरिजन पंचों के वोटस बढ़ा दें। शिकायत की गई तहसीलदार ने इलेक्शन्स को मुल्तबी करने की आज्ञा दी कि जब तक यह शिकायत दूर नहीं हो चुनाव मुल्तवी कर दिये जावें। मगर चीफ पंचायत ओफिसर ने कहा कि यह शिकायत बाद में दूर होगी और चुनाव पहले होंगे। लोगों ने कहा कि शिकायत पहले दूर होगी और चुनाव बाद में होंगे। वहां के लोगों ने शिकायत की यह वहां के लोगों की शिकायत मौजूद है। जब शिकायत को दुरुस्त नहीं किया गया तो वहां के हलके के लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने यह तय किया कि हम इस धांधलीबाजी को सहना नहीं करेंगे और वे हजारों की तादाद में सड़कों पर लेट गये और कहा कि जो वोट देने के लिये जाना चाहता है वह हमारे सीनों पर पैर रख कर जा सकता है और जो वोट देने जानेवाला है वह गला घोटने वाला है। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी हमारे पुराने जमाने में रियासते थीं और राजा लोगों के जमाने में इलेक्शन कराये जाते थे और उधर बैठने वाले और हमने उनके इलेक्शनों का बहिष्कार किया और वह कह हमने लोगों में दलीलें दी कि हजारों और लाखों की तादाद में ५ मत देने के लिये गये। और यही हाल था राजगढ़ तहसील में पंचायतों के चुनाव का। २०० से ज्यादा लोगों में से दो व्यक्तियों ने अपना वरडिक्ट दिया है। यह प्रजातन्त्र में चुनाव का तरीका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह नजर आई कि दो सौ में से दो वोट पड़ते हैं और इनके द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वह है ९। ९ व्यक्ति चुन कर आये। यह बात किस दुनिया के सामने की जा रही है प्रजातन्त्र युक में।

एक माननीय सदस्य—एक समय....

श्री अध्यक्ष—I will give you full protection but sum it up, protection against interruption.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am quite prepared to give a suitable reply, but unfortunately I did not hear what he said.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं तो अर्ज कर रहा था मैं इनकार नहीं करता उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने उसका बहिष्कार किया। मैं समझता हूं कि वे नोन वायोलेन्स के तरीकों से लेट गये और उन्होंने इस बात को प्रकट किया किया कि जो कार्य किया जा रहा है वह गलत है और ऐसा करके उन्होंने प्रजातन्त्र की रक्षा की। इसलिये ऐसा कह देना कि उन्होंने प्रजातन्त्र का गला घोट दिया, किसने किसका गला घोट दिया है यह तो कौन जानता है? वहां के लोगों ने कह दिया कि वोट देने वाले हमारी छाती पर पैर रख कर जावें! २०० में से सिर्फ दो लोग गये, यह स्थिति है आपके चुनावों की। यह सारा जवाब सुनने के बाद भी वस्तु पर आंख मूद कर चला जा रहा है इससे गडबड़ी का अन्त नहीं होता अतः इस संबन्ध के साथ मैंने अपना यह प्रस्ताव रखा है। आशा करता हूं कि इस पर माननीय सदस्य अपनी राय के लिये अपना कदम आगे बढ़ावेंगे।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुना। उन्होंने गोलमाल उत्तर दिया है और वह इसलिये दिया है कि वे जानते हैं कि हमारा बहुमत तो है कि जो कुछ हम चाहेंगे वैसा होगा फिर चिल्लाने दो। आपने अपने जवाब में १६४१ की की सेन्सस के आंकड़े बताये। आज उस बात को १५ वर्ष हो गये। आपने कहा कि १६४१ के आंकड़ों को आधार मानते हैं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। १६४१ में ३०० की आबादी नहीं थी यह भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ इसलिये आपका जो जवाब है वह ठीक नहीं है।

इसके अलावा कहीं १०० पर कहीं ८०० पर और कहीं दो सौ पर वार्ड बनाये गये उसके लिये आपने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मैंने जो शिकायत की थी कि इसकी जांच कराई जावे। आपने यह जवाब दिया कि किसी ने इसके लिये रिपोर्ट नहीं की। मैं यह निवेदन करता हूँ कि मैंने रिपोर्ट दी और जब रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर यहां पर सुझाव दिया गया। जब यहां पर सुझाया जाता है तो फिर आपका फर्ज हो जाता है कि आप उस पर गौर करें। हमें आपसे उम्मीद तो काफी थी कि आप आये हैं, आपके आने से स्थिति बहुत सुधर जावेगी। लेकिन जब हमने आपका यह जवाब सुना तो मालूम हुआ कि आप भी उस गुट में मिल गये और कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन खैर, जनमत अपने आप करा लेगा। लोगों के भी दिल होते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप धमकी मत दें।

श्री भोपालसिंह—आप बहुमत के आधार पर गलत बात को भी दुरुस्त नहीं करते। मगर मैं यह कहूँगा कि आपको यह शोभा नहीं देता। कांग्रेस का शासन आज छोटी छोटी जातियों को भी ऊंचा उठाता है तो फिर जब स्वायत्त शासन का महकमा बना हुआ है और पंचायतों में गड़बड़ी होती है और इस बात को लोग कहते हैं कि यह कार्यवाही गलत हो रही है तो सरकार उसको क्यों नहीं सुनती है यह समझ में नही आता? जब ऐसी बातों का समर्थन करते हैं तो लज्जा की बात है। कांग्रेस का नाम नहीं रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपको कुछ पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं?

श्री भोपाल सिंह—मैं ठीक ही कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, अगर कोई झूठी बातों का समर्थन करते हैं तो यह लज्जा की बात है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! आर्डर। श्री मानसिंह महार।

श्रि मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मेरे कटोती के प्रस्तावों के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ फरमाया उन पर मैं चन्द बातें निवेदन कर दूं। मैं आशा करता था कि मंत्रीजी वास्तविकता की ओर कदम बढ़ायेंगे, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने वास्तविकता से दूर भागना पसन्द किया, फिर भी मैं उनको बधाई देता हूं जिस ईमानदारी की छाप मेरे इस प्रकार के कटोती के प्रस्ताव रखने के बावजूद भी कि चीफ पंचायत आफिसर और डिप्टी चीफ पंचायत आफिसर के रिटेन्शन के बारे में खास तौर से मेरा कटोती का प्रस्ताव है। इसलिये मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने कहा उसका जवाब दे रहा हूं। किन्हीं व्यक्तियों पर आक्षेप करने के निमित्त से नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उन चीफ पंचायत ऑफिसर और डिप्टी पंचायत ऑफिसर पर आज हमारे स्वायत्त शासन मंत्री ने ईमानदारी की सील मोहर लगादी और इस प्रकार ईमानदारी की सील मोहर लगाकर शील्ड करने की कोशिश की, उसके लिये मैं उनको मुबारिकबादी पेश करता हूं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा अगर आप शिकायतें करेंगे तो जांच करूंगा मैंने शील्ड नहीं किया है।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखतेहुए)जिनकी शिकायतें करते २ अध्यक्ष महोदय, इस असेम्बली का काल खत्म हो गया: नये चुनाव होने जा रहे हैं। अब भी माननीय मंत्री यह महसूस कर रहे हैं कि शिकायतें नहीं आई तो फिर शिकायतें करने की गुन्जाइश ही कहां है ? अब भी माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि शिकायतें उनके सामने रखी जाये तो मेरी समझ में शिकायत की नई परिभाषा ढूढ़ीं जायगी तो उचित होगा। यहां इतना करने के बाद भी मैंने आशा की थी कि जिन इल्लीगल लोगों का पोस्टिंग हुआ है पी. एस. सी. की लिस्ट को ताक में रख दिया गया, उन सब बातों का आपने कुछ जवाब नहीं दिया, अगर माननीय मंत्री महोदय यह बता देते कि हमने इनको इस पोस्ट पर इसलिये रिटेन कर रखा है तो हमें सन्तोष हो जाता। जिस तरह से आपने शिकायत की नयी परिभाषा करके सन्तोष किया यहां पर भी यही मैं कह सकता हूँ। फिर मुझ पर यह आरोप लगाया गया है अध्यक्ष महोदय, कि मैंने जो कुछ बातें कही या मेरे मित्र ने कही वे गलत हैं। सिरसी के पंचायत के बारे में दो दिन से यहां बात चल रही है एक व्यक्ति के हलफ नामे को पढकर सुनाया गया जो उसने हाई कोर्ट के सामने दिया, उस पर भी यह कहा जाता है कि बहुत सी बातें कहीं वे निराधार बातें हैं। अब तक तो एक पर्सनल एक्स्प्लेनेशन की तौर पर क्लेरिफिकेशन की बात हुई। हलफनामा सदन में सुनाया गया अगर अध्यक्ष महोदय फरमायेंगे तो वह सदन की मेज पर भी रख दिया जायगा इससे यह साबित हो जायगा कि हम लोग झूठे हैं या सरकारी बैन्चों पर बैठे हुए जो सदन को गुमराह कर रहे हैं वे झूठे हैं।

धोली की पंचायत के बारे मैं कहा गया। में चेलेन्ज करता हूँ कि सदन के अन्दर जो स्टटेमेन्ट रखा गया है वह गलत है। धोली पंचायत के धोलीपाडा नामक पंच ने एक आदमी को

[श्री मानसिंह महार]

मारा, यह आदमी रहने वाला है छिपटा वाली ढाणी का। यह मैं एक बार फिर दोहरा कर कहता हूँ।

जब इस प्रकार का प्रश्न सदन में पूछा गया तो गोलमाल जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस केस की जांच की चालीस रोज तक अपनी जीप को लेकर मैं इस केस की तफतीश में फिरा हूं मैंने इसके तथ्य इकट्ठे किये हैं। धोली की पब्लिक यह कहती है कि उस सरपंच को उप मंत्राणी ने पांच खून माफ कर दिये हैं वह खुद कहता है कि मुझे पांच खून तो उपमंत्राणी ने माफ कर दिये, मेरे कौन हथकड़ियां डाल सकता है ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर धोली पंचायत के सरपंच की जांच कराई जाय तो सदन को पता चल जायगा कि हम झूठे या वे झूठे हैं।

अब मैं बैराठ तहसील की पंचायत के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। तहसील बैराठ की तहसील पंचायत के चुनाव के बारे में यह जवाब मिला मंत्रीजी की तरफ से कि वहां टाइम की कमी की वजह से यह हुआ। जब हाईकोर्ट में यह रिट हुई तो हाई कोर्ट के आदेश से वह चुनाव रुकवाना पड़ा। आप लोगों के पास डेपूटेशन आया फिर भी आप लोग इस बात की जिम्मेवारी से बरी होना चाहते हैं ठीक टाइम का नोटिस नहीं था सात दिन का नोटिस नहीं था और वह फीजिबल भी नहीं था। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपकी तरफ से उस तहसीलदार को शाबाशी मिलनी चाहिये।

एक बात और कही गई जिसको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वे साड़ियां दें या चूड़ियां, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि दूसरों को प्रेजेन्ट की हुई साडियां मैं नही लेता। यह मेरा साड़ियों के लिये जवाब है। और दूसरी रही साड़ियां पहनने की बात, सो अध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी कोई शकल सूरत भी नहीं कि साड़ियां पहन कर जनता को आकृष्ट कर सकूं।

अन्त में यह बात भी कही गई कि जो नीचे दबे हुए हैं वे ऊपर आयेंगे ही अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऊपर नीचे की बातों में पड़ना पसन्द नहीं करता। ये चन्द बातें कहकर मैं सदन से अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता और श्री मानसिंह महार को अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मानसिंह महार—मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं और साडियें वापिस देता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव लेता हूँ।

श्री छीतरलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, जो कटोती के प्रस्ताव मैंने रखे उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया और न उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि पंचायत विभाग की तरफ से या उनकी तरफ से इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे। मैंने निवेदन किया है कि कई ऐसे पंचायत क्षेत्र हैं जहां चुनाव तहसीलदार द्वारा नहीं हुए ऐसे पचासों गांव मैं गिना सकता हूं। जैसे बरुधन, नयावा, नाथवितों का गुढा, देई, करबर, दुगारी, बड़ाखेड़ा, अलोद, बडान्यागांव, हिन्डोली, रामगंज, तालेड़ा, आदि इन सब क्षेत्रों में पंचायत के चुनाव नहीं हुए तहसीलदार ने नहीं कराये वरना मैं उनको बतला सकता।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि कि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आये अमोर के श्री बजरंगलाल और मैं खुद २४ फरवरी को श्रीमान् से मिला था कि चीफ पंचायत ओफिसर उस आदमी के नामजद करना चाहते हैं जो ६० वोटों से हारा है क्यों कि वे कांग्रेस का सदस्य है। लेकिन उसके लिये आजतक कार्यवाही नहीं की गई अब भी मैं उम्मीद करता हूं इस संबन्ध में आगे कार्यवाही होगी।

बड़ा खेड़ा और अलोद के सब पंचों के चुनाव हो जाने के बाद भी उनके नाम गजट में शाया नहीं हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सब कार्यवाही हो चुकी है और इसे गजट में शाया करने के लिये भेज दिया गया है।

श्री छीतरलाल शर्मा—(जारी रखते हुए)श्री मान् को अभी तक मुगालता दिया जा रहा है आपके ध्यान में होना चाहिये कि पंचों के गये हैं सरपंचों के नहीं गये हैं आपको मुगालता दिया जा रहा है कि निकाल दिये गये हैं। इन सरपंचों बडाखेड़ा और अलोद के श्री बजरंगलाल के नाम निकालने की कोशिश करेंगे। इस आशा के साथ मैंने जो बातें कहीं उन पर ध्यान दिया जायगा मैं अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री छीतरलालजी को उनके प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री छीतरलाल—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्षजी, मेरे प्रस्ताव पर माननीय उपमन्त्राणी ने जो बातें मेरे बारे में कहीं कि अति गौरवर्ण रूसी रिटन्र्ड मोशा हूँ, यह हूँ, वह हूँ, तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान की डेढ़ करोड़ की जनता ने अपने एक क्षेत्र से चुनकर मुझ यहां भेजा है और मैं बताऊं कि कुछ काबलियत मुझ में नहीं होगी तो ईमानदारी होगी, इसलिये

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

यहां भेज दिया । पर उनकी ईमानदारी, सच्चाई झुठाई और इधर उधर जाने की आदत, ये सब उनको·······

श्री अध्यक्ष—जरा भाषा जो बोलें संयत भाषा बोलें, क्रोध में ऐसी बात न करें जो संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध हो ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कहते हैं साहब कि गौर वर्ण हूं, यह हूं, वह हूं, जो हूं, सो हूँ ।

श्री अध्यक्ष—गौर वर्ण को गौर वर्ण ही कहेंगे, कृष्ण वर्ण थोड़े ही कहेंगे ।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो मैं रूसी थोड़े ही बन गया हूं साहब, पैदा तो राजस्थान में ही हुआ हूँ, आप भी जानते हैं ।

(हंसी)

तो माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहूँ कि दूसरी पंचायत में एक आदमी मर गया था, वह कांग्रेस मेन नहीं था । मैंने उस पंचायत का जिक्र भी नहीं किया और मेरे ऊपर यह कह दिया कि मैंने वहां पैसे इकट्ठे किये । मैं यहां वहां ही नहीं, बल्कि सदन के सामने और सदन के इतने सदस्यों के सामने वादा करता हूं कि अगर एक पैसा मैंने इकट्ठा किया हो तो इसका सौ गुना पैसा देने को मैं तैयार हूं ।

(हियर—हियर)

किसी काम के लिए मीटिंग, सभा या कोई चीज भी की हो तो कांग्रेस वालों ने की होगी। मुझको पता नहीं । मैंने तो सिर्फ उस आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बाल बच्चों का गुजारा हो जावे इस ख्याल से उसकी सिफारिश जरूर की है थोड़ी बहुत । वह भी पूरी नहीं की है ।

(हंसी)

गौरू क्षेत्र का नाम लिया था । वह उनकी बहू ने यह खाता नहीं लिखा था, उनके पति ने खाता लिखा है । वह पीपली पंचायत के पंच हैं । दो आदमी वहां मारे गये । एक स्त्री और एक पुरुष । स्त्री के मुकद्दमे को दबा दिया गया और पुरुष का मुकद्दमा चल रहा है । मैं इसके लिये अगर झूठ कहता हूं तो रामकिशोर जी (गृहमंत्री) से पूछ लीजिये अध्यक्ष महोदय ।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(हंसी)

और माननीय अध्यक्षजी, मैं उस डाक्टर को यहां बुलाकर ला सकता हूँ, एस. पी. को ला सकता हूँ। मिनिस्टर साहब टेलीफोन करके न रोक दें यह बात दूसरी है, मिनिस्टराणी बोले छे कि मिनिस्टर बोलूं छूं। तो यह मैं कह सकता हूं। चार और सदस्य थे। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने सपोर्ट किया। पर जिस राजपूत ने उनको मारा उसके भाई उसका सपोर्ट लेने के लिये अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—बस, कह दिया आपने।

श्री मुक्तिलाल मोदी—और दूसरी बात यह कही कि मैं पंचायतों के चुनावों में नहीं गई अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। वे गई और मैं उनकी गाड़ी का नम्बर बता सकता हूं। और वे गई उसका सबूत दे सकता हूँ कहां कहां गई, इसको साबित कर सकता हूं। रात को जावे या दिन को जावे, यह अलग बात है।

(हंसी)

दूसरी बात आज यह अर्ज करूं कि आज पैसा लाने की बात कहने वाले वृन्दा देवी के पास से १५ हजार रुपया लेकर आये और कांग्रेस टिकट पर लड़ने वाले की मुखालफत की, जिसका नतीजा आज हमारे लिये दिया जाता है।

(हियर—हियर)

(वक्ता महोदय के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे या क्या करेंगे ? जोश में भूल गये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरे प्रस्ताव को मैं वापिस नहीं लेता।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—सदरे मोहतरम, रिहेबिलिटेशन के बारे में मैंने एक कटोती का प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा था कि रिहेबिलिटेशन महकमे के लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं। इस महकमे की चन्द मिसालें और चन्द ऐसी शिकायतें, जो चारों तरफ से लोगों को सताने की हैं, मैं बताना चाहता हूं। इस हाऊस में खास तौर से इस सिलसिले में हमारे मन्त्री महोदय ने जिक्र किया। मैंने बजट पर राजप्रमुख के भाषण के वक्त बताया था कि किस तरह से रिहेबिलिटेशन के महकमे में धांधलियां हो रही हैं। अलवर, भरतपुर से सन् ४० में लाखों की तादाद में मेव उखड़े व बरबाद हुए थे और वहां से लोकल हिन्दू भी उजड़े थे। उस समय हरिजन जो वहां काम करते थे, वे भी बरबाद हो गये थे, वहां के लोकल दूसरी कौम के लोग थे वे भी बरबाद हो गये

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

और जो वहां बनिये कारबार कर रहे थे वे भी बरबाद हो गये। आज शरणार्थियों को भी वहां परेशानी है, मेवों को भी परेशानी है और लोकल हिन्दुओं को भी परेशानी है, मैंने अपनी उस तकरीर के दौरान में बताया था कि हमारा मसला साफ और सीधा है। अपनी जमीन और अपने मकान हम चाहते हैं। दूसरी चीजों का सवाल जैसे यहां राजप्रमुख की स्पेशल पी० ए० की बाबत चीफ मिनिस्टर साहिब ने मिसालें दी कि बम्बई के गवर्नर को और पंजाब के गवर्नर और सौराष्ट्र के राजप्रमुख को भी यही स्पेशल पी० ए दी जाती है। मगर मेवों की बाबत जब सवाल आता है तो चीफ मिनिस्टर साहिब तमाम मिसालों और विधान को भूल जाते हैं। सारे हिन्दुस्तान में उजड़े हुए मुसलमानों को अपनी जमीन और अपने मकान पर आबाद किया जा रहा है मगर अलवर भरतपुर में ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि अपनी जमीन व मकान से महरूम रक्खा जा रहा है। और इसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी साफ कहा है कि दफा १६ की दरख्वास्तें जानबूझकर रोक रक्खी गई हैं, क्योंकि दफा १६ का सर्टिफिकेट मिलते ही इनको विधान के मुताबिक अपनी जमीन व अपना मकान देना पड़ता है। सेन्टर की गवर्नमेंट हमें वे हकूक मिलकियत देना चाहती है पर राजस्थान का रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट वे हकूकें हमें देना चाहती। अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो आपके पड़ोस पंजाब सूबे में जो हुआ उसकी नकल क्यों नहीं करते वहां जो हुआ वह देखें और उसको यहां भी लागू करें। ७ जनवरी सन् ५६ को वहां के मिनिस्टर सरदार उज्जवलसिंह साहब का एलान है जिसकी नकल मेरे पास मौजूद है जिसको पेश कर रहा हूँ कि शरणार्थियों को कितना ही कम्पेन्सेशन देना पड़े तो पड़े पर मुसलमानों को उनके मकानों व जमीन पर आबाद करेंगे। आप इसको देख सकते हैं जब दूसरे सूबे इस तरह से कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत महसूस होती है। पर दिक्कत यह है कि आपके दिमाग में यह बात है कि मेवों को तो किसी तरह से बसावट मिल जायेगी, अगर न भी आबाद किया यहां तो भी इनके वोट मिल जावेंगे, अगर इनको सतावेंगे तो भी यह वोट हमें ही देंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यह ख्याल आप दिमाग में से निकाल दें और इस मसले के सुलझाने की तरफ गौर करें। रिहैबिलिटेशन के महकमे में हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है और जिसके कारण आज तक हमें हमारे हकूक नहीं मिले। हमारी जमीनें छीनकर शरणार्थियों को आबाद किया जाता है। हमारी जमीनें खुवाह कस्टोडियन के कब्जे में हों या शरणार्थियों के कब्जे में वापिस की जायें और हक्के मिलकियत दिया जाय। इसी तरह से जिला गुडगांव में आबाद किया गया है राइट और हकूक भी वह्‌ दे दिये गये हैं तो आज जिस तरीके से एक जाट और गूजर की जमीन नहीं छीनी जा सकती। इस तरीके से हमें हकूक मिल जाते तो हमारी जमीनें भी नहीं छीनी जाती मैंने कहा कि २५ हज़ार बीघा जमीन सिर्फ एक तहसील नगर में सन् ५४–५५ में मिल चुकी थी और वह इसी वजह से छीनी गई कि हमें मिलकियत नहीं मिले।

उसके बाद रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने बहुत सी बातें कहीं और बहुत सी दलीलें दीं मगर कोई माकूल दलील नहीं दी थी कि हमारे मुल्क में गैर मुल्क बस्तियां हैं जैसे पांडचेरी, गोआ, उनका निकालने के लिये बच्चा २ बेचेन है, और वह इलाके आजाद होकर रहेंगे, और

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

उन पर हमारा हक है। मैंने यह मिशाल दी थी और इस मिसाल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह हकीकत है कि मैंने उस वक्त यह कहा था कि जैसे आपने शरणार्थी भाइयों को बसाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, और नगर बसाये हैं वहां इन मेवों के लिए एक फूटी कौडी भी खर्च नहीं की। हमारे शरणार्थी भाई दूसरी जगहों पर तबादले के लिये तैयार हैं। दरख्वास्तें उन्होंने पेश कीं हैं सेन्ट्रल के मिनिस्टर साहब जनरल भोंसले को १६ जनवरी को और सत्यम भाई के जरिये पेश की है कि हमें गंगानगर या और दूसरी जगह भेज दिया जाय। मेवों की जमीनें और उसका घर एक दूसरा शख्स दबा कर उसके सामने रखता है और वह गरीब उफ तक नहीं कर सकता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर हमारे मुताल्लिक यह कहते हैं कि ऐसा वातावरण बना रहे हैं हालांकि वातावरण वे खुद बना रहे हैं। रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर ने अलवर में मस्जिद के ऊपर हिन्दुस्तान की आईन के खिलाफ हुक्म देकर कटले वाली मस्जिद को अलवर शहर में सन् ५५ में गुड़ की मण्डी बनाई गई। जो कि हिन्दुस्तान के विधान के खिलाफ है तो खराब और भयानक वातावरण तो वे खुद बना रहे हैं हम नहीं बना रहे हैं। (घण्टी)

दूसरी रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने ऐसी बातें कही कि उन्होंने मेरे बाबत कहा था कि २५०····

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दे रहे हैं या········ ···

श्री गोपीलाल यादव—इन्होंने अभी मूव नहीं किया है।

श्री कस्तूर चन्द—कटमोशन मूव नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—मूव करने में ही जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पहले का जवाब दे रहे हैं।

श्री गोपीलाल यादव—········

श्री मोहम्मद इब्राहीम—कि मौलवी साहिब ने कहा है कि सिर्फ २५० आदमी बगैर बसे रहे हैं। हालांकि मैंने नहीं बतलाया था कि बल्कि खुद रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर राजस्थान ने, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जनरल भोंसले आये थे तो उनसे कहा था कि २५० के करीब आदमियों को और बसाना है तो उन्होंने (जनरल भोंसले) ने एक लिस्ट मांगी थी कि इन २५० आदमियों की लिस्ट दी जाय। मैंने कहा था कि हजारों आदमी हैं और उन्होंने कहा था कि २५० हैं। इस पर १६—१—५६ को सत्यम भाई ने २४०० खानदानों की लिस्ट पेश करदी कि ये बे बसे आदमी हैं जिनको कि जमीन और मकान नहीं मिले हैं। मैंने कहा था कि १५० आदमियों

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

की लिस्ट तो मेरे पास है जिनकी जमीनें मकान लोकल बाशिन्दों के कब्जे में है। वे कहने लगे कि १५० आदमी ही हैं तो मैंने यह कहा था कि जो मेव यहां मौजूद हैं उनकी भी जमीनें मकान दूसरे लोगों के कब्जे में हैं। अगर मेवों और शरणार्थियों को सरकार हकूक मिलकियत दे देवे तो बकाया जमीन लोकल पट्टेदारों को मुस्तकिल दी जा सकती है। आज जिस तरह से मेव परेशान हैं, उसी तरह से लोकल बाशिन्दे परेशान हैं, हरिजन परेशान हैं, उनको हर साल रिश्वत देनी पड़ती है। रिहेबिलिटेशन का महकमा तब तक खत्म नहीं होता है तब तक कि मेवों को हकूके मिल्कियत और लोकल बाशिन्दों को मुस्तकिल पट्टे नहीं मिलते हैं। अगर उनको मुस्तकिल पट्टे हो जाते हैं, ५ साल के लिये पट्टे हो जाते हैं तो वे इत्मिनान के साथ काश्त कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन महकमें में यह जुल्म हो रहा है के साथ तो दूसरों के साथ भी जुल्म हो रहा है शरणार्थी भाइयों को हकूके मिल्कियत नहीं मिले हैं तो उनके साथ भी यही जुल्म है। शरणार्थियों और मेवों को राजस्थान की केबिनेट हकूके मिल्कियत देकर और पट्टेदारों को मुस्तकिल तौर पर पट्टे करके बसाया जाय। जमीनों का मामला जहां सन् ४६ में शुरु हुआ था और सन् ४६ से लेकर आज तक दूसरे सूबों में वह खत्म हो गया है लेकिन राजस्थान में वह वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। सन् ५१ में सरकार ने यह फैसला किया था कि मेवों के पक्के मकान फौरन वापिस किये जायें लेकिन आज तक एक मेव को भी पक्का मकान वापिस नहीं दिया गया। और जिन मेवों के कच्चे मकान शरणार्थियों के कब्जे में हैं उसके बाबत यह तय हुआ था कि मेव को १०० रु० फी इमदाद दी जाये, लेकिन आज तक किसी एक मेव को भी ये इमदाद नहीं दी गई और ये फैसला जो कि एक एक काश्तकार को एक एक मकान के लिये १०० रू० दिये जावें लेकिन काश्तकार का एक मकान में गुजारा नहीं हो सकता है। उसको एक मकान मवेशियों के लिये चाहिये, एक चारे के लिये चाहिये एक खुद के लिये, चाहिये और एक आने जाने वाले मेहमानों के लिये चाहिये। मिनिस्टर साहब ५, ६ कमरों में रहते हैं तो ३, ४ आदमियों का एक मकान में कैसे गुजारा हो सकता है, उसको एक मवेशियों के लिये चाहिये, एक चारे के लिये चाहिये। उसके लिये १०० रु० देकर बड़ा तीर मारा, हातिमताई के बाप बन गये। १०० रु० फी घर के हिसाब से दिये। उनके घर और जमीनें छीनीं और उनको १०० रु० की इमदाद देते हैं। और वह भी सिर्फ कागज पर यह फैसला तो हुआ लेकिन आज तक एक पैसा दिया नहीं। सन् ५३ में फैसला होता है कि कच्चे मकानों के १०० दिए जायं जिनके मकानात शरणार्थियों के पास हैं। हमने यह भी मन्जूर कर लिये लेकिन आज तक वह मेवों को नहीं दिया गया।

जब अजितप्रसाद जैन रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि सरेदस्त मेवों को हम उनकी अपनी जमीन देने से मजबूर हैं। मेव इस वक्त तो अपने गांव के करीब ५ मील के एरिये में जमीन ले लें जब मेवों की जमीनें रफता २ खाली होंगी तो वह उनको फौरन दी जायेंगी। अगर हमने आज देखा कि ५ मील के एरिया में क्या १५ मील के एरिया में भी जमीनें नहीं मिलती हैं। और अगर किसी जगह मिलती हैं तो उसकी कीमत की बराबर देनी पड़ती हैं तब वह जमीन मिलती है। इस बिना पर अब इसके सिवाये कोई चाराये कार नहीं कि उनको तब (मेवों) अपनी जमीन और अपना मकान दिया जाय जो हिन्दुस्तान के विधान के एन मुताबिक है।

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

साहब ५ मिनिट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—खत्म करियें २ मिनट में।

(घंटी)

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैं तो सदर साहब थोड़ा ही बोला हूँ। सारी दुनिया का कानून है कि अगर किसी आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाती है तो पहली सजा मौत की सजा है और दूसरी देश बदर की सजा होती है। राजस्थान की हुकूमत किस बिना पर हमको यह देश बदर की सजा देती है? हमको वतन से खारिज करें तो यह किस बिना पर सजा दी जाती है। हमारी जमीनों और मकानों का जब सवाल आता है तो कोई नहीं देखता है। मैंने कहा था एक दफा कि शरणार्थियों को बसाने के लिये मकान बनाने के लिये १७००) रु० दिये हैं और मेवों को १००) रु० सिर्फ कागज पर दिये हैं, इन बातों को देखकर मैं कहता हूं। क्योंकि हमारे यहां जम्हुरियत है, डेमोक्रेसी है, तो उल्टा हमको दबाने की कोशिश की जाती है। यह नहीं होना चाहिये। मिनिस्टर साहिब की तरफ से बल्कि कलेक्टरों तक को हिदायत की जाती है कि देखना यह आदमी हमारे गुरूप का नहीं है इनकी बात नहीं मानी जाय और इसी तरह कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और लीडर नीचे के हुक्काम से कहते हैं कि यह हमारे गुरुप का नहीं है इसकी बात न मानी जाय जिसका मैं सबूत पेश कर सकता हूं कि इस किस्म से मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह हमारे खिलाफ बोलते हैं इनकी बात न मानी जाय। और यह तो खुदाए कुद्दस को फैसला कि जो हुकमरा पार्टी इन्साफ नहीं करेगी उसकी हुकुमत दुनियां में रह नहीं सकती और उसकी हुकुमत रह सकती है जो पार्टी या जमात इन्साफ करने वाली हो।

(घंटी)

श्री **अध्यक्ष**—आप क्या बोल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कट मोशन पर बोलिये।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—रिहेबिलिटेशन के बाबत जो धांधलियां हो रही हैं मैंने बार बार हाऊस को मुत्तिवज्जोह किया था, सदर साहब को कस्बा सीकरी जिला भरतपुर के मेवों की जैसी बुरी हालत है और टूटी हुई झौंपड़ियां हैं वे उनको दिखाई थीं मैं फिर से हाऊस को सदर साहब के जरिये अर्ज करूंगा कि यह मेवात का जो मसला है वह ऑल इंडिया मसला है, इसको अच्छी तरह से हल करना है और हमारे साथ इन्साफ होना चाहिये, इन्साफ के सिवाय हम और कोई चीज़ नहीं मांगते यही चीज मांगते हैं कि।

(घंटी)

उन मेवों को उनके झौंपड़ों में बसा दीजिये अपनी जमीनें उनको दे दीजिये इस अल्फाज के साथ मैं अपना कटोती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मौलवी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने ही जोरदार रखा है।

श्री भोलानाथ—उनकी आवाज गुम न हो जाय। जिनको वास्तव में दर्द होता है वे इसी तरह से कहते हैं।

मेवों को बसाने का सवाल है वह अलवर भरतपुर में एक पेचीदा सवाल है और उसको हल न करना और उसको टालते रहना हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। जिसका मकान छीना जाय, और पक्का मकान छीना जाय, और उसके एवज में उसको सौ रुपया दिया जायं और वह भी वक्त पर न मिले तो जले पर नमक छिड़कने की बात हो जाती है। जिन लोगों को जमीन मिली हैं उन लोगों को जमीनें तो मिल गई हैं लेकिन उनके हकूक नहीं मिले हैं, उनको जमीनों के पट्टे नहीं मिले हैं और आज दिन तक नहीं मिले हैं, लोगों को निराशा होती है, उनके दिल में एक तरह का भय रहता है कि न मालूम कब वापिस उनकी जमीनें छीन न ली जायं और जमीनों के हकूक नहीं मिलने से उनकी हैसियत में फर्क आता है। इसलिये जल्दी से जल्दी उनके जमीनों के पट्टे मिलने चाहिये. उनको हकूक जमीनों के प्राप्त होने चाहिये।

तीसरी बड़ी बात कही वह उन जमीनों के मालिकों के लिये कही गई है जिनको जमीनें तो मिल गई हैं लेकिन उनको उन जमीनों से उखाड़ा जा रहा है। अगर यह बात सही है तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिये और उस पर पूरी तरह से कार्यवाही होनी चाहिए। कानून के मुताबिक किसी के जमीनों के हकूक नहीं छीने जा सकते जब तक कि उनको कोई कम्पेन्सेशन न दे दिया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही कतई शोभनीय नहीं कही जा सकती है। मौलवी साहब कहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब तक यह मामला चलता रहा है, जब कि इस मामले को कभी का निपटाया जा सकता था। प्लानिंग का मसला हमारे सामने है, मेवों को बसाने की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई और जब मौलवी साहब के गरमागरमी भाषण होते हैं तो लोग नाराज होते हैं। मैं जानता हूं कि उसका कारण क्या है ? मेरे पास भी यह महकमा था और मैंने भी उस इलाके का दौरा किया था। मेवों और अन्य लोग जो वहां बसे हुए हैं उनके हकों का फैसला हो जाना चाहिये।

इस इलाके में जो शरणार्थी भाई हैं उनको भी जमीनोंके हकूक नहीं दिये गये हैं। कुछ भाइयों को क्लेम्स में जमीनें दी जा रही हैं जो गवर्नमेंट की पोलिसी के खिलाफ है। एक तरफ जागीरें ले रहे हैं और दूसरी तरफ नये जागीदार क्लेम्स देकर खड़े कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक समय फैसला किया था कि अलवर व भरतपुर में जिले में जमीनों पर प्रेशर ज्यादा है इसलिये यहां के लोगों को गंगानगर के भाखरा से सिंचाई वाले इलाके में बसाया जावेगा, परन्तु अब मुझे मालूम नहीं है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है ?

अलवर भरतपुर में जमीनों की कमी है। अलवर भरतपुर में क्लेम्स में जमीन देने के बजाय उन लोगों को ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिये जहां कि नई नई खेती योग्य जमीन निकाली जा

[श्री भोलानाथ]

रही है। यह पोलिसी परस्यू करना चाहिये थी लेकिन उसको परस्यू नहीं करने से गरमागरम भाषण सुनने को मिलते हैं, मेवात की चर्चा होती है. प्रेशर ऑफ लैन्ड की वजह से वह उन्हें बसा नहीं पाते। जिन लोगों को बसाना था ठीक तरह से बसाना था। यह भी तय नहीं कर पाते हैं कि कितने के हकूक हैं, कितनों को दे दिये हैं, कितनों को नहीं दिये हैं, दुगुना लगान देना है कि सवाया। यह सब खटकने वाली बातें। किसी से दुगुना लगान है, किसी से सवाया है, लोकल लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं पट्टे की जमीन क्लेम्स न दे दी जाय। आज यह व्यवस्था चल रही है। लोकल्स में भी अशान्ति पैदा करते हैं और उस अशान्ति की वजह बार बार यहां इस प्रकार के गरमा गरम भाषण भी सुनने को मिलते हैं बजट पर बहस चल ही रही है, पहले भी राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस सुनने को मिली थी।

अब इस इलाके में झगड़े होते हैं उनके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। माचा एक गांव है, वहां शरणार्थी और मेव दोनों हैं। बराबर २ के हैं ६० मेवों के घर हैं तो ७० शरणार्थियों के मेवों की मस्जिद में गुरुद्वारा बनाया हुआ है। बार बार लोग कहते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुद्वारे को खाली करादें। मेवों को अगर बुला कर कहा जावे तो वे चन्दा करके खुद गुरुद्वारा बनाकर दे सकते हैं मस्जिद वाले गुरुद्वारे चार दफा में आग लग जाने से गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमा चला एक मेव मारा गया इससे शरणार्थी भी मुकदमें की पैरवी के लिये आने जाने में परेशान हुए वहां पर अशान्ति का वातावरण बना रहता है, शरणार्थी और मेव दोनों ही इससे बरबाद होते हैं। अत: यह जो पेचीदा स्थिति है उस पर गौर करना चाहिये। और मौलवी साहब ने जो जोर से बातें कही हैं उनका विरोध नहीं करना चाहिये, शरणार्थी और मेव दोनों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह रिहेबिलिटेशन का ऐसा सवाल है कि जिस पर मैं भी अपने विचार प्रगट करना चाहता हूँ। यह मेवों को बसाने का सवाल सन् १६४६ में तय हुआ। उसके पहले भरतपुर और अलवर से मेव लोग छोड़ कर कुछ गुड़गांव चले गये, कुछ दूसरी जगह चले गये, और ज्यादातर पाकिस्तान चले गये। मेवों की मर्दुमशुमारी कराई गई मेवों को बसाने के लिए गर्वनमेंन्ट ऑफ इंडिया की तरफ से और उस मर्दुमशुमारी का सारे भारतवर्ष में एलान किया गया कि फलां तारीख को मर्दुमशुमारी होगी। हर एक आदमी रजिस्टर कराये अपना नाम। उस समय मेवों की तादाद जो हिन्दुस्तान में थी वह ३८ हजार के करीब थी। उसके बाद मेवों को बसाने का सवाल पैदा हुआ। मैं खुद उन आदमियों में से था जिन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू से मिल कर के केबिनेट से पास कराया और अब सवाल यह है कि केबिनेट से पास क्या हुआ, तय क्या हुआ? तय यह हुआ था कि ३८ हजार मेवों को एकदम बसा दिया जाय और उनको ओरीजिनिल होल्डिंग पर बसाया जाय लेकिन यह ध्यान रखा जाय की शरणार्थियों को जो जमीने दी गई हैं वहां से शरणार्थि डिस्टर्ब न किये जांय और ऑल्टर्नेट होल्डिंग मेवों को दिया जाय। उसके बाद मेव बस गये। एक चीज़ हुई वह न मेरे मित्र मोहम्मद इब्राहिम ने कही, मेवों की तादाद बढ़ती गई और उसका कारण था पाकिस्तान की हालत खराब होना और

[श्री गोपीलाल यादव]

जो लोग पाकिस्तान से आये उनमें से मेजोरिटी मेव वे थे जो कि पाकिस्तान चले गये थे। मेवों की पेचीदा समस्या जो बन गई है उसका कारण यह है कि वहां से मेवों का मेजोरिटी में आते रहना। हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट और राजस्थान की गवर्नमेन्ट ने इन्तजाम नहीं किया कि कौन आदमी आ रहे है और कौन नहीं आ रहे हैं। पहले बसाया तो यह तय किया गया था कि मुर्दुमशुमारी का सर्टिफिकेट लाओ। जो लाये उसको बसा दिया। बाद में कांग्रेस सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि शायद उनके इलेक्शन में वोट की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मुर्दुमशुमारी सर्टीफिकेट छोड़ दिया और उससे आज एक मुसीबत खड़ी कर दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुसीबत किस तरह से बढ़ गई। मेव आये, उन पर मुसीबत बढ़ गई, शरणार्थी मेवों की जमीनों पर बैठे हुए थे, लोकल काश्तकार जो मेवों की काश्त करते थे वे करते थे। अब मेवों को कहां बसाया जाय, यह सवाल आया। शरणार्थी हटाये नहीं जा सकते थे, मेवों को बसाना था। नतीजा यह हुआ कि ५० फी सदी जमीनें छीन लीं।

वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेवों के साथ कोई रियायत नहीं हुई, लेकिन मेवों ने एक एक बीघा जमीन के लिये पटवारियों और तहसिलदारों को इतनी रिश्वत दी है जितनी उस जमीन की कीमत भी शायद नही है, नतीजा यह हुआ कि मेवों ने तो कोशिश करके जमीन ले ली लेकिन लोकल काश्तकार बेदखल हो गया। इतनी जमीन उनसे छीन ली जो १०० साल से उस जमीन पर बतौर काश्तकार के रहते थे, उनके पास जमीन नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि इन सब को कहां और किस प्रकार बसाया जाय? मैंने गवर्नमेन्ट के सामने एक स्कीम रखी थी कि मेवों को. शरणार्थीयों को और लोकल टिनेन्ट्स को कायम रखना है। शरणार्थी लोग पाकिस्तान से अपनी जमीन जायदाद छोड़ कर आये, मेव पाकिस्तान चले गये थे और वापिस आये और लोकल काश्तकार यहीं बसे हैं। आप यह कहते हैं कि लोकल काश्तकारों को डिस्पलेस करते हैं। शरणार्थी और मेव तो डिस्प्लेस्ड हुए ही हैं लेकिन यह गलती न करें कि लोकल काश्तकारों को भी डिस्प्लेस्ड कर दें। शरणार्थियों को रहने दें। मेवों को जितनी असल जमीन मिलती है उतनी उनको असली दे दें। मेव उसी जमीन को क्यों लेना चाहते हैं? उसका कारण यह है कि मेवों की जमीन पर कूए थे और पक्के मकान बने हुए थे। मेव चाहते हैं कि कूए और पक्के मकान उनको मिलें और वे कहते हैं कि पक्के मकान उनको दिलवाइये। पक्के मकानों में ८ साल से शरणार्थी बैठे हुए हैं। वहां उनकी जमीन कूए और पक्के मकान पाकिस्तान में छूट गये। उन्होंने कंपेनसेशन के बारे में कई दर्ख्वास्ते दीं कि हमारे मकान और जमीन का कंपेनसेशन दें उन्होंने कहा कि २५००० रु. से नीचे के क्लेम नहीं लिये गये, आप को पक्के मकान और जमीन मिल चुकी हैं इसलिये क्लेम्स नहीं लिये गये। अब हो क्या रहा है कि क्लेम देने का टाइम निकल गया और इस कारण से उनको कुछ मिलनेवाला नहीं है। अब यदि शरणार्थियों से लेकर मेवों को वापिस दी जाय तो नतीजा यह होगा कि एक बार तो वे अपने मकानात पाकिस्तान में दे आये उनके बाद ८ साल से यहां बसे हैं, मजदूरी करते हैं मेहनत करते हैं। अब फिर उनको वापिस निकालेंगे तो कहां जायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ

[श्री गोपीलाल यादव]

कि गवर्नमेंट को पक्की नीति बरतनी चाहिये। वह पक्की नीति क्या हो? मेव घर चाहते हैं, वे इसलिये नहीं चाहते हैं कि दूसरी जगह अच्छी नहीं मिलेगी। मेव पक्के मकानों में पहले रहते थे तो मेवों के लिये पक्के मकान बनवा दीजिये। शरणार्थियों को मेवों के कुए मिल गये हैं तो ऑल्टरनेटिव होल्डिंग्ज में मेवों के लिये एक एक कुआ बना दीजिये। मेवों के लिये तो यह कर दीजिये। आपको हर एक आदमी को बसाना है, लोकल को भी कायम रखना है और शरणार्थियों को भी बसाना है। वहां अगर जमीन नहीं है तो दूसरी जमीन पर बसा दीजिये। मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि उनको यह कोशिश नहीं करनी चाहिये कि जो शरणार्थियों बसे हैं उनको वहां से निकाला जाय क्योंकि ऐसा करने से ८ साल के बाद उन पर फिर मुसीबत आयगी। लोकल काश्तकारों को भी वहां से नहीं निकालना चाहिये मेवों की समस्या इतनी बडी नहीं है लेकिन बड़ी महसूस होती है। आज जागीरदारों की जमीन लाखों-करोडों बीघा ले ली गई है आज भरतपुर में काश्तकार हैं, जमीन पर काबिज हैं, क्योंकि कानून पास हो गया कि जो काबिज हैं वे रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी कानून की तहत केवल मेवों की जमीन छीनी जा रही है दूसरे लाखों की जमीन छीनी जा रही है। जहां एक मेव के पास ४५० बीघा जमीन थी लेकिन उसमें से खुद काश्त करते थे ५० बीघा जमीन पर और बाकी जमीन पर काश्तकार काश्त करते थे। लेकिन बाद में पटवारियों और तहसीलदारों से मिलकर उन्होने जमीन ले ली और दूसरों को बेदखल कर दिया। समस्या को अच्छी तरह से हल करना है। मेवों को मकान और कुए बना दीजिये। जो लोकल काश्तकार हैं उनको डिस्प्लेसेड मत करिये और शरणार्थी जहां बसे हुये हैं वहां उनको बसा रहने दीजिये इस काम में १०-५ करोड रुपये खर्च हो जाय तो कोई बात नहीं है मेवों की तरफ से यह कोशिश होगी कि शरणार्थियों और लोकल काश्तकारों को भगाया जाय तो समस्या और पेचीदी होगी इसलिये मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि शरणार्थियों और लोकल काश्तकारों को डिस्प्लेस्ड नहीं करना चाहिये और लीगली बसाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैंने, मौलाना साहब ने जो आज अपने जज़बात जाहिर किये सदन के अन्दर उनको सुना और जब पहले बोले थे इस बारे में उसको उस वक्त भी गौर से सुना और जो बातें आज इस कटौती के प्रस्ताव के ऊपर बोलते हुए उन्होंने उठाई हैं वे ही सारी की सारी बातें उन्होंने अपने पहलेवाले भाषण में भी पेश की थी और उसका जवाब भी उनको उस समय दिया गया था। वास्तव में जो समस्या है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और उस समस्या का निराकरण होना भी आवश्यक है। लेकिन उस समस्या के अन्दर कई पेचीदे कानूनी सवालात उलझे हुए हैं जिन्हें सब को मिल कर उसका हल निकाला जाना है। जैसा की हमारे भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया ये बहुत उलझे हुए सवाल हैं और इसमें काफी पैसा खर्च होगा। तभी ये समस्याएं सुलझ सकती हैं, वरना यदि मेवों को जमीन दिलावेंगे तो शरणार्थियों को बेदखल करेंगे। तो आज मेव जैसी तकरीर करते हैं वैसी ही कल दूसरे करेंगे कि हमको उखाड़ा गया है और क्यों उखाड़ा गया है? तो ये समस्याएं ऐसी मिली हुई हैं कि जिनका हल एक तरफ से नहीं निकाल सकते। लेकिन इसको बिलकुल संतुलित होकर सही हालत

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

में हम सोचें तो हमारे सामने सिवाय इसके कि कानूनी तरीके पर जिनको हक हासिल है, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक, हक हासिल रहता है। यदि उनकी प्रोपर्टी के अन्दर किसी को हक मिला है तो उनको हटाने से उनके ऊपर आघात पहुँचता है और जमीन के ऊपर जहां तक बसाने का संबन्ध है उस दिन भी जाहिर किया गया था सदन में, कि जितनी लिस्टें पेश हुई उनमें से जहां तक हो सका उन लोगों को बसाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी जो लोग बचे हुए हैं वे भी सरकार के विचाराधीन हैं। उनको या तो जमीन दूसरी जगह देकर या किसी और तरीके से उनके निर्वाह के लायक जमीन उपलब्ध करके किसी प्रकार का प्रबन्ध अवश्य किया जायगा। और जगह भी जमीन बहुत है राजस्थान में और जगह उनको दी जा सकती है। जिन लोगों को इस तरह से जमीन मिल सकती है उस तरीके से रहने के लिये और निर्वाह के लिये आलटरनेटिव होल्डिंग के जरिये देकर इन्तजाम किया जा सकता है। जैसा कि उस दिन माननीय मित्र कह रहे थे जितने लोग हैं उनकी लिस्ट मांगी उस वक्त लिस्ट नहीं दी गई। इस समय दी जायगी तो बसाने के लिये अवश्य कोशिश की जायगी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। १०० रुपये मंजूर शुदा नहीं मिले इसके विषय में यह कहना चाहता हूँ कि यदि रुपये मंजूर शुदा हैं और नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं। इसकी मैं जांच करूंगा और जांच पड़ताल के बाद मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंजूर हुआ है तो अवश्य मिलेगा।

उनको बसाने के बारे में जो समस्या है उसके बारे में उस दिन माननीय चीफ मिनिस्टर ने और श्री यादवजी ने पूरी तरह इसका जवाब दे दिया था और मैं समझता हूं कि उससे मौलाना साहब को संतोष होना चाहिये। वे इस बात का संतोष कर ले कि जहां तक हमसे हो सकेगा हम रिहेबिलिटेशन के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते है कि सब लोग सुखी रहें। किसी को दुख न मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ क्यों कि पहले इसका स्पष्टिकरण हो चुका है। और मैं समझता हूं मुझे इसपर ज्यादा कहने की जरुरत नहीं है। मौलाना साहब अपना कटोती का प्रस्ताव वापिस ले लेगें।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—सदरे मोहतरिम, मेरे रिजोल्यूशन का वजीरे खजाना ने कोई तसल्लीबख्स जवाब नहीं दिया। उन्होंने लिस्ट मांगी। मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है कि वैसे मुसलमान जो करीबन २५०० हैं उनकी लिस्ट सन्यूम ते सेंटर को दे दी है। मेरे भाई नगर से आने वाले मेम्बर ने बताया कि जुलाई में मरदमशुमारी सारे भारतवर्ष में हुई यह बिलकुल गलत है। मेवों की मर्दुमशुमारी सिर्फ अलवर, भरतपुर और गुड़गांवो में हुई थो और एलान उसका कोई नहीं हुआ था। और कोई वजीरे बहालियात ने भी तसल्लीबख्स जवाब नहीं दिया और आज तो बिल्कुल ही गोलमाल जवाब दिया गया है और चीफ मिनिस्टर ने भी कोई माकूल जवाब नहीं दिया। अब मैं एक ऐसी मुश्किल में पड गया हूँ कि प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ तो मुश्किल और न लेता हूं तो मुश्किल। मुझे वजीरे आज़म, वजीरे खजाना की यकीन दहानी पर मुझे

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

ऐतमाद है कि वह आइन्दा मेवों के मामलात को सुलझाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे । इसलिए मैं सदरे मोहतरम, अपना रिजोल्यूशन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मोहम्मद इब्राहीम को कटोती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मै अपना रिजोल्युशन (कटोती प्रस्ताव) वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटोती का प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

कटोती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री भोपालसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटोती का प्रस्ताव श्री भोपालसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

कटोती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री सज्जनसिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटोती का प्रस्ताव श्री सज्जनसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(प्रस्ताव वापिस लेने के लिये श्री सज्जनसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—No. It has been put to vote.

श्री सज्जनसिंह—I was absent, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री सज्जनसिंह द्वारा प्रस्तुत कटोती प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(अस्वीकृत)

कटोती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मुक्तिलाल मोदी। वे स्वयं भी नहीं हैं।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटोती का प्रस्ताव श्री मुक्तिलालजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटोती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो मांग संख्या ३० मुख्य शीर्षक ५७-विविध के संबन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ७७२५-००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे के विषये में वित मंत्री ने रखी है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष--We should not waste even five minutes. Time is so precious.

Tomorrow I will apply guillotine.

मांग संख्या १४-शिक्षा (अपूर्ण)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के संबन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ४. ४३, ५०, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास अपना कटोती का प्रस्ताव पेश करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, अब समय नहीं है। दो-तीन मिनट ही रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—If the Hon' ble Menbers want more time they should sitmore

श्री जसवन्तसिंह—When we are prepared that the guillotine bee applied.........

श्री अध्यक्ष—आप शुरु करें। We can sit upto 5. 3o.

श्री जसवन्तसिंह—No, upto 5.oo

श्री अध्यक्ष—Please begin

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जो मांग प्रस्तुत हुई है उस संबन्ध में मेरे कटोती के प्रस्ताव बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष—सब को एक साथ पेश कर दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहला प्रस्ताव यह है कि मांग संख्या १४, विषय ३७-शिक्षा में १०००) रु० की कटोती कर दी जाए, क्यों कि विद्यार्थियों से जमा किये गये रुपयों का ठीक से हिसाब नहीं रखा जाता।

(२) प्रस्ताव कि मांग संख्या १४ विषय ३७ शिक्षा में १०००) रु० की कटोती कर दी जाय (बहस करने को कि शिक्षकों की मांगों के प्रति दुर्लक्ष किया जा रहा है।)

(३) प्रस्ताव है इस सिल सिले में है कि जहां संस्थाओं को सरकारी सहायता दी जाती है उनके हिसाब की पूरी जानकारी नहीं की जाती।

(४) प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीयकरण की पुस्तकों की छपाई व वितरण में गड़बड़ की गई है।

(५) प्रस्ताव यह है कि सामान खरीदने के मामलों में अनियमितता बरती जा रही है।

[श्री हरीकृष्ण व्यास]

(६) प्रस्ताव यह है कि पुस्तकों के तय करने के मामले में गलत नीति अपनाई जा रही है।

इन प्रस्तावों में अलग अलग विषयों की ओर संकेत करने की दृष्टि से मैंने इनको इन रूपों में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में कुछ शब्द सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

पहला प्रस्ताव विद्यार्थियों से जमा की गई फीस से है। इस सिलसिले में स्थिति यह है कि कालेजों, स्कूलों में जो ट्यूशन फीस व सरकार की तरफ से ली जाती है उसके अलावा दूसरी फीसें भी कई ली जाती हैं, जैसे लाइब्रेरी के रुपये जमा किये जाते हैं, खेल कूद की फीस, सोशियल गेदरिंग की तथा इस प्रकार के कई पार्ट हैं जिससे कि रुपया लड़कों से जमा कराया जाता है। यह रुपया कालेज के कोष में जमा होता है और जहां तक इसको ठीक तरह से रखने का सम्बन्ध है और हिसाब की जांच—पड़ताल का सम्बन्ध है, उसकी बाकायादा विद्यार्थियों को रसीद मिल सके, इस बात के लिए पूरी तरह से अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है।

नतीजा यह होता है कि यह इस प्रकार से जो रूपया जमा होता है वह इधर उधर रह जाता है इतना ही नहीं उन रूपयों का आगे चलकर यह होता है कि समय पर उपलब्ध होता है या नहीं इस बारे में काफी गम्भीर स्वरूप की स्थिति पैदा हो जाती है।

मैं अर्ज करूं, छोटी–मोटी बातों का जिक्र न करके, इस बारे में केवल इतना ही अर्ज करूं कि इस बारे में इतनी छानबीन और देखभाल करना संभव है या नहीं। लेकिन अपने इस जयपुर शहर के महाराजा कॉलेज की ऐसी हालत है कि विद्यार्थी जो कॉशन मनी के दस रूपये जमा कराते हैं कई बार उसकी रसीद मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। ऐसे केसेज भी बहुत बार सामने आते हैं कि विद्यार्थियों ने एक बार रूपया जमा करा दिया, जब वह ऊपर की क्लासों में जाते हैं तो वे कह देते हैं कि फलां फलां समय रूपया जमा किया गया है उसको अब फिर से हमारे नाम पर दर्ज समझा जाय, कि एडमिशन समझा जाय। लेकिन क्या होता है उसके पास रसीद नहीं होने की वजह से कई बार दिक्कतें पेश आई हैं। बराबर शिकायत आने के बाद भी न तो इस सारे रूपये का हिसाब कराया जाता है और नहीं उन विद्यार्थियों के गार्जियन्स को सन्तोषजनक उत्तर देने की स्थिति पैदा की जाती है। इस सिलसले में........

श्री अध्यक्ष —Should we sit more or rise for the day ?

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

So we adjourn for tomorrow. If the Honjble Members so like we can sit upto 6.00. If they want to speak more, we will see tomorrow

(विराम)

In any case tomorrow gaillotine will be applied.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Guillotine may be applied day after tomorro w Sir ?

श्री अध्यक्ष—No. We adjourn for tomorrow at 11.00.

(सदन की कार्यवाही ५ वज कर ३ मिनट सायं पर दिनांक २२ मार्च, १९५६ के ११ बजे मध्यान्हपूर्व तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२१ मार्च १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनको प्रकाशित करने की सम्बधित-मन्त्री महोदय की अनुमति है)

१८६. (१६।ए. टी. एम.) श्री प्रभुदयाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ११द:—क्या कृषि-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर वैटेरिनरी कालेज में छात्रों की यूनिफार्म किस रंग की है ?

(ख) क्या सरकार की ओर से एक ही रंग की यूनिफार्म रखने का कोई आर्डर निकाला गया है ?

(ग) अगर हां, तो कब ?

(उत्तर).

(क) नहीं, कालेज खुले को अभी डेढ़ साल ही हुए हैं और छात्रों के लिये कोई यूनिफार्म नियत नहीं हुई है ।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अगले वर्ष, ११५६–५७, एक ही रंग की युनिफार्म रखने की चेष्टा की जायगी, अगर लड़के इतने गरीब न हुये कि वे युनिफार्म न बनवा सकें।

(घ) जरूरी समझती है।

१६२. (३८।एम. एल. एम.) श्री प्रभुदयाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ११६;—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर टी. बी. हास्पिटल में कुल कितने बैड्स हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बीमारी बीकानेर में इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी है कि लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है ?

(ग) आउट-डोर के मरीजों की सख्या कितनी है ?

(घ) क्या सरकार इस बीमारी से जनता को बचाने के लिए आउट-डोर मरीजों के लिए क्वार्टर्स व झोंपड़ियां बनाने का विचार करेगी ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No 113

उत्तर

(क) पुरुषों के लिये ६६ बैड्स तथा स्त्रियों के लिए २६ बैड्स।

(ख) सारे देश में यही हालत है, बीकानेर के लिये कोई विशेषता नहीं।

(ग) औसत ५३ है।

(घ) यह ठीक नहीं है कि ऐसे रोगियों के लिए क्वार्टर्स व झोंपडियां आदि बनवाकर एक बस्ती बनाली जावे। इसके लिये उचित यह है कि राजस्थान के अन्य अस्पतालों में भी टी. बी. के बीमारों के लिये बैड्स की व्यवस्था की जावे जहां उनका इलाज किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसी प्रकार के ४०० बैड्स बढ़ाने के लिये प्रावधान रखा गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

204. (50 M. L. M.) Shri Sohan Lal M, L, A, Division No. 145,—Will Health Minister be pleased to state —

(a) How many doctors of what qualifications are kept in an a clas hospital of Rajasthan ?

(b) Has the General Hospital, Udaipur been raised to thé status of A class Hospital ?

(c) If so how many doctors of what qualifications have been deputed in this hospital uptil now.

उत्तर

(अ) ऐसे अस्पतालों में सीनियर स्पेशलिस्ट, जूनियर स्पेशेलिस्ट क्लास एक और क्लास दो सब असिसटेन्ट सर्जन आदि सब श्रेणियों के डाक्टर रखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के डाक्टरों की संख्या अस्पताल के बेड्स की संख्या पर निर्भर है।

(ब) जी हां।

(स) सीनियर फिजीशियन	१
जूनियर आई स्पेशलिस्ट	१
पैथोलेजिस्ट (जूनियर स्पेशलिस्ट)	१
सी. ए. एस. क्लास एक	६
सी. ए. एस. क्लास दू	१५

डेन्टिस्ट १
....
२५
....

२०६. (५१।एम. एल. एम.) श्री अवनिकुमार मुकर्जी, एम. एल. ए., डिवीजन नंबर १:—क्या स्वस्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि मौजूदा डाइरेक्टर, जन स्वास्थ्य विभाग को नये ग्रेड मिलने पर भी सरकारी गाड़ी उपलब्ध है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर गत वर्ष से अब तक कितना पैट्रोल खर्च हुआ ?

(ग) क्या सरकार उनसे गाड़ी लेने का विचार रखती है ?

(उत्तर)

(क) यह सवाल अभी इस समय विचाराधीन है।

(ख) पैट्रोल का खर्चा डी. एम. एच. एस. खुद करते हैं।

(ग) (क) के उत्तर से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

२०७. (५५।एम. एल. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ५६:—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिला बोर्ड द्वारा गत ३ वर्ष में कितने कुऐ खुदवाने हेतु कितनी सहायता दी गई ?

(ख) इन कुओं में हरिजनों के लिये कितने कुए बनवाने को, कितने रुपयों की सहायता दी गई ?

(ग) इस वर्ष कितने कुए बनवाये गये हैं ?

(उत्तर)

(क) जयपुर जिला बोर्ड द्वारा गत ३ वर्षों में कुल ३४ कुये बनवाने के लिये २८,८७७ रु. की सहायता दी गई है।

(ख) उपरोक्त ३४ कुओं में से हरिजनों के लिये २७ कुओं को बनवाने के लिये २०,२६७ रु. की सहायता दी गई।

(ग) इस वर्ष कुल १२ कुये बनवाये गये जिनमें ८ हरिजनों के लिये एवं ४ सार्वजनिक थे।

परिशिष्ट २

अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये।

२१ मार्च, १९५६

१. (१यू० एस०) श्री तनसिंह एम० एल० ए० (१४८)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क. भूस्वामी आन्दोलन में गिरफ्तार कितने व्यक्तियों ने माफी मांगी ?

ख. उनके नाम क्या २ हैं और वे किस २ जेल से छोड़े गये हैं ?

२. (१३।एच. एम.) श्री चाँदमल मेहता एम० एल० ए० (८७)—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क. राजस्थान में किस २ जिले में कहां २ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जा चुके हैं ?

ख. २ अप्रेल को कहां २ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने की योजना है ?

३. (१५।एम० एल० एम०) श्री भोपालसिंह, एम० एल० ए० (२०)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क. तहसील मेडता तथा डेगाणा सब डिवीजन मेडता में जलबोर्ड द्वारा सन् ५४-५५ व ५५-५६ में कहां २ कुएं और तालाब, कितनी २ लागत से तैयार कराये गये और रुपये किस २ को दिये गये, उनकी वल्दियत व कोमियत क्या है और क्या यह कार्य समाप्त हो चुका है ?

ख. क्या सरकार इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

ग. क्या मंत्रीजी पालियास तहसील डेगाणा, कलरू तहसील मेडता, डांगावास, तहसील मेडता के कुए खुदाये गये जिनका हिसाब सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

घ. नागौर डिवीजन की ८ तहसीलों में नियुक्त जलबोर्ड के इन्सपेक्टरों के नाम क्या हैं और वे किस जाति के हैं व उन्हें कितनी २ तनख्वाह मिलती है ?

Page No 116

अतारांकित प्रश्न ? यू० ए० का उत्तर

(क) तारीख ८-३-५६ तक भूस्वामी आन्दोलन में गिरफ्तार ३८५ व्यक्तियों ने माफी मांगी।

(ख) इस सम्बन्ध में साथ लगा हुआ स्टेटमेन्ट देखिये।

Statement showing the names of Bhooswami Prisoners who have been released on their submitting written apology along with the names of Jails from where released.

No.	Name and Parentage of the prisoner released	Jail from which released.
1.	Bhoopal Singh s/o Rawat Singh.	Central Jail Jaipur.
2.	Dungar Singh s/o Pem Singh.	—do—
3.	Bhim Singh s/o Chatarsal Singh.	—do—
4.	Mansingh s/o Bhanwar Singh.	—do—
5.	Madan Singh s/o Mool Singh.	—do—
6.	Mool Singh s/o Chhatu Singh.	—do—
7.	Bahadur Singh s/o Kalyan Singh.	—do—
8.	Sal Singh s/o Himmat Singh.	—do—
9.	Hanuman Singh s/o Sugan Singh.	—d0—
10.	Rishore Singh s/o Agar Singh.	- do -
11.	Sawai Singh s/o Ugam Singh.	- d0 -
12.	Raghubir Singh s/o Ramkumar Singh.	- do -
13.	Sheobu Singh s/o Sabal Singh.	- do -
14.	Jai Singh s/o Pabudan Singh.	- do -
15.	Jai Singh s/o Bhanwar Singh.	- do -
16.	Madan Singh s/o Bhanwar Singh.	- do -
17.	Bhagwan Singh s/o Briju Singh.	- do -
18.	Laxman Singh s/o Bharat singh.	Central Jail Jodhpur.
19.	Achal Singh s/o Jodh Singh.	- do -
20.	Dhonkal Singh s/o Satidan Singh.	- do -
21.	Salidan s/o G0kal Dan.	- do -
22.	Daudan s/o Dhir Dan.	- do -

1	2	3
23.	Basi Karan s/o Lag Dan.	- do -
24.	Jalam Singh s/o Khuman Singh.	- do -
25.	Guman Singh s/o Berisal Singh.	- do -
26.	Bhanwar Singh s/o Shri Setan Singh.	- do -
27.	Kishore Singh s/o Man Singh.	- do -
28.	Devi Singh s/o Paney Singh.	- do -
29.	Bheroo Singh s/o Prabhu Singh.	- do -
30.	Bulidan Singh s/o Prithviraj Singh.	- do -
31.	Hem Singh S/o Dhokal Singh.	- do -
32.	Sardar Singh s/o Anand Singh.	- do -
33.	Jethudan s/o Aidan,	- do -
34.	Lokhdon s/o Laddan.	- do -
35.	Bhoordan s/o Sagardan.	- do -
36.	Ranidan s/o Kojidan @ Gokaldan.	- do -
37.	Jassa Ram s/o Mooldas.	- do -
38.	Simrath Singh s/o Bhim Singh.	- do -
39.	Saitan Singh s/o Jawan Singh.	- do -
40.	Prem Giri s/o Hanuman Giri.	- do -
41.	Ganpat s/o Kalu Singh.	Central Jail Jaipur.
42.	Narain Singh s/o Ganpat Singh.	- do -
43.	Shambhoo Singh s/o Hari Singh.	Lockup Chittorgarh.
44.	Kushal Singh s/o Rawat Singh.	Central Jail Jaipur.
45.	Richpal Singh s/o Dhonkal Singh.	- do -
46	Devi Singh s/o Mukand Singh.	- do -
47.	Kan-Singh s/o Jawar Singh.	Central Jail Jodhpur.
48.	Banney Singh s/o Durjan Singh.	- do -
49.	Takhat Singh s/o Rawat Singh.	- do -
50.	Sagram Singh s/o Satidan Singh.	- do -
51.	Moti Singh s/o Saktidan Singh.	- do -

1	2	3
52.	Udai Singh s/o Jodh Singh.	- do -
53.	Rawat Singh s/o Shiva Nath Singh.	- do -
54.	Budara s/o Likhma.	- do -
55.	Vijey Singh s/o Padam Sinnh.	- do -
56.	Ram Singh s/o Umed Singh.	- do -
57.	Sohan Singh s/o Sawai Singh.	- do -
58.	Tej Singh s/o Chiman Singh.	Central Jail, Jaipur.
59.	Hanuman Singh s/o Jaswant Singh.	- do -
60.	Salab Singh s/o Kishan Singh.	- do -
61.	Baney Singh s/o Anoop Singh.	- do -
62.	Devi Singh s/o Doong Singh.	- do -
63.	Dal Sinsh s/o Pahar Singh.	- do -
64.	Hanuman Singh s/o Berisal.	- do -
65.	Bhom Singh s/o Shri Aj Singh.	Central Jail, Jodhpur.
66.	Peer Singh s/o Kalyan Singh.	- do -
67.	Pep Singh s/o Nar Singh.	- do -
68.	Chunia s/o Pipa.	- bo -
69.	Nop Singh alias Syobux.	Sub Jail, Sikar.
70.	Sukh Singh s/o Bhagwat Singh,	- do -
71.	Narana s/o Dhannajee.	Central Jail, Jodhpur.
72.	Jalam Singh s/o Sultan Singh	- do -
73.	Bachan Singh s/o Askaran Singh.	- do -
74.	Jiwraj Singh s/o Amar Singh.	- do -
75.	Kan Singh s/o Mool Singh.	- do -
76.	Lakh Singh s/o Peer Singh.	- do -
77.	Tej Singh s/o Nawal Singh.	- do -
78.	Narpat Singh s/o Umed Singh.	- do -
79.	Ganga Singh s/o Viradkaran.	- do -
80.	Chiman Singh s/o Indra Singh.	- do -
81.	Isarsingh s/o Swaroopsingh.	Distt. Jail, Udaipur.

1	2	3
82.	Kheemsingh S/o Maghsingh.	Sub Jail, Pali.
83.	Shambusingh s/o Sabalsingh.	- do -
84.	Harisingh s/o Peersingh.	- do -
85.	Dheersingh s/o Sawaisingh.	- do -
86.	Motisingh s/o Takhatsingh.	- do -
87.	Rawatsingh s/o Bakhtawar.	- do -
88.	Sonsingh s/o Pabudansingh.	- do -
89.	Motisingh s/o Shivnathsingh.	- do -
90.	Fatehsingh s/o Rawatsingh.	- do -
91.	Birdisingh s/o Anarsingh,	- do -
92.	Doongarsingh s/o Soorsingh.	- do -
93.	Bhanwarsingh s/o Achalsingh.	- do -
94.	Pepsingh s/o Chimansingh.	- do -
95.	Fatehsingh s/o Nainsingh.	- do -
96.	Harisingh s/o Achalsingh.	- do -
97.	Makansingh s/o Sanwatsingh.	- do -
98.	Raghunanthsingh s/o Devisingh.	- do -
99.	Gumansingh s/o Arjunsingh.	- do -
100,	Nagalsingh s/o Bhimsingh.	Distt. Jail, Kota.
101.	Udaibhansingh s/o Chandrabhansingh.	- do -
102.	Lalsingh s/o Bhoorsingh.	- do -
103.	Ratansingh s/o Arjunsingh.	- do -
104.	Udaisingh s/o Bhoorsingh.	- do -
105.	Ratansingh s/o Gopalsingh.	- do -
106.	Jodhsingh s/o Sardarsingh.	- do -
107.	Sanwalsingh s/o Bankat.	- do -
108.	Prithvisingh s/o Bhoorsingh.	- do -
109.	Bajrangsingh s/o Bhagwatsingh.	- do -
110.	Padamsingh s/o Gulabsingh.	- do -
111.	Udaisingh s/o Kalvansingh.	- do -
112.	Arjunsingh s/o Bhanwansingh.	- do -

1	2	3
113.	Shivrajsingh s/o Nandsingh.	- do -
114.	Raghunathsingh s/o Mohansingh.	Central Jail, Jaipur.
115.	Balsingh s/o Sabalsingh.	- do -
116.	Indersingh s/o Jaisingh.	- do -
117.	Malsingh s/o Bhoorsigh.	- do—
118.	Mangalsingh s/o Sanwatsingh.	—do—
119.	Fatehsingh s/o Sadulsingh.	—do—
120.	Lalsingh s/o Gadhsingh.	—do—
121.	Bhawsingh s/o Samatheingh.	Centeral Jail, Jodhpur.
122.	Adrasingh s/o Ghisa @ Chela.	—do—
123.	Hemsingh s/o Bheeksingh.	—do—
124.	Madansingh s/o Pannesingh.	Sub Jail, Sikar.
125.	Sardarsingh s/o Prithvisingh.	—do—
126.	Ramchandrasingh s/o Phoolsingh.	Distt. Jail, Alwar.
127.	Moolsingh s/o Panneysingh.	—do—
128.	Ratansingh s/o Bhoorsingh.	Distt. Jail, Bhilwara.
129.	Zorawarsingh s/o Vijeysingh.	—do—
130.	Nandsingh s/o Kalusingh.	—do—
131	Ishwarsingh s/o Sangramsingh	—do—
132.	Himmatsingh s/o Kalusingh.	—do—
133.	Jiwansingh s/o Onadsingh.	—do—
134.	Bhoorsingh s/o Mansingh.	—do—
135.	Amarsingh s/o Bhoorsingh.	—do—
136.	Sheonathsingh s/o Bhawanisingh.	—do—
137.	Sobhagsingh s/o Raghunathsingh.	—do—
138.	Gumansingh s/o Kishoresingh.	Central Jail, Jodhpur.
139.	Puransingh s/o Panneysingh.	—do—
140.	Raisingh s/o Umedsingh.	Distt, Jail, Kota,
141.	Lalsingh s/o Laxmansingh.	Central Jail, Jodhpur.

1	2	3
142.	Bherunsingh s/o Rawatsingh.	Central Jail, Jodhpur.
143,	Malamsingh s/o Ramusingh.	Central Jail, Jaipur.
144.	Balsingh s/o Bhansingh.	—do—
145.	Kansingh s/o Bhansingh.	—do—
146.	Kesarsingh s/o Meghsingh.	—do—
147.	Sukhsingh s/o Meghsingh.	—do—
148.	Bhoolsingh s/o Sabalsingh.	—do—
149,	Berisalsingh s/o Onersingh.	—do—
150.	Himmatdan s/o Bhimdan.	—do—
151,	Malsingh s/o Ramlalsingh.	—do—
152.	Bhavsingh s/o Heersingh.	Sub Jail, Sanchore.
153.	Motisingh s/o Jawansingh.	—do—
154.	Narayansingh s/o Yaswantsingh.	Distt. Jail, Udaipur.
155.	Bhariya s/o Moda.	—do—
156.	Kishoresingh s/o Bhura.	—do—
157.	Kamalsingh s/o Sawalsingh.	—do—
158.	Sajansingh s/o Kupsingh.	—do—
159.	Hirsingh s/o Rughsingh.	—do—
160.	Chhatrasingh s/o Rawatsingh.	—do—
161.	Ranjeetsingh s/o Heersingh.	- do -
162.	Lakhsingh s/o Jodhsingh.	Lockup Sirohi.
163.	Chainsingh s/o Shakti dan ji.	Sub Jail, Pali.
164.	Mohan Dass s/o Dhanna Dass.	- do -
165.	Ramsingh s/o Sawntsingh,	Distt. Jail, Alwar.
166.	Prahladsingh s/o Sheoji.	Sub Jail, Sikar.
167.	Gulabsingh s/o Premsingh.	- do -
168.	Rawatsingh s/o Sultansingh.	- do -
169,	Bagsingh s/o Bhaironsingh.	- do -
170.	Bawa s/o Hajra.	Central Jail, Jodhpur.
171.	Anarsingh s/o Sardarsingh.	- do -

1	2	3
172,	Mugsingh s/o Raghunathsingh.	– do –
173.	Rughsingh s/o Jagatsingh.	– do –
174.	Vijeysingh s/o Mangalsingh.	– do –
175.	Veersingh s/o Sadsingh.	– do –
176.	Mangalsingh s/o Gajeysingh.	– do –
177.	Khusalsingh s/o Chimansingh.	– do –
178.	Hukamsingh s/o Lachmansingh.	– do –
179.	Nensingh s/o Baradsingh.	– do –
180.	Bagsingh s/o Chainsingh.	– do –
181.	Jogsingh s/o Padamsingh.	– do –
182.	Pahladsingh s/o Jaisingh.	– do –
183.	Indarsingh s/o Jawarsingh.	– do –
184.	Nathusingh s/o Khemsingh.	– do –
185.	Anopsingh s/o Umaidsingh.	– do –
186.	Modsingh s/o Magsingh.	– do –
187.	Umaidsingh s/o Bhursingh.	– do –
188.	Keersingh s/c Sentansingh.	– do –
189.	Pharsingh s/o Fatehsingh.	– do –
190.	Arjunsingh s/o Kishansingh.	– do –
191.	Jogsingh s/o Shimrathsingh.	– do –
192.	Megsingh s/o Devisingh.	– do –
193.	Gensingh s/o Lakshmansingh.	– do –
194.	Mangalsingh s/o Shamarathsingh.	– do –
195.	Rawatsingh s/o Fatehsingh.	– do –
196.	Khinvesingh s/o Naharsingh.	– do –
197.	Modsingh s/o Ratansingh.	– do –
198.	Vijeysingh s/o Vaneysingh.	– do –
199.	Gangasingh s/o Mohbatsingh.	– do –
200.	Kishansingh s/o Jaisingh.	– do –
201.	Padamsingh s/o Anarsingh.	– do –

1	2	3
202.	Mangalsingh s/o Jaisingh.	Central Jail Jodhpur.
203.	Paneysingh s/o Shivnathsingh.	- do -
204.	Khusalsingh s/a Achalsingh.	- do -
205.	Gumansingh s/o Moharsingh.	- do -
206.	Richpalsingh s/o Mehtabsingh.	Distt. Jail Alwar.
207.	Harisingh s/o Moolsingh.	- do -
208.	Jagdishsingh s/o Harisingh.	- do -
209.	Kailash s/c Shitalaingh.	- do -
210.	Pabudansingh s/o Bhawarsingh,	- do -
211.	Samandarsingh s/o Bhenrusingh.	- do -
212.	Devisingh s/o Fojusingh.	- do -
213.	Lalsingh s/o Vishansingh.	Central Jail, Jodhpur.
214.	Khivsingh s/o Saroopsingh.	- do -
215.	Madhosingh s/o Ajeetsingh.	- do -
216.	Jagmalsingh s/o Bhoorsingh.	- do -
217.	Balusingh s/o Satidansingh.	- do -
218.	Manapuri s/o Bhootapuri.	- do -
219.	Devisingh s/o Mighsingh.	- do -
220.	Hanutsingh s/o Bherusingh.	- do -
221.	Ramrakh s/o Peerdan.	- do -
222.	Narainsfngh s/o Dhokalsingh.	Central Jail, Jaipur.
223.	Kan Singh s/o Jawan Singh	- bo -
224.	Sitaram s/o Nagarmal	- bo -
225.	Pabudansingh s/o Jorsiugh.	Central Jail, Jodhpur.
226.	Mohansingh s/o Phoolsingh.	- do -
227.	Durgansingh s/o Jeevrajsingh.	- do -
228.	Bhoemsingh s/o Jaisingh.	- do -
229.	Ranjeetsingh s/o Gumansingh.	- do -
230.	Geegsingh s/o Khangsingh.	- do -
231.	Mohbatsingh s/o Dhansingh.	Distt. Jail, Udajpur.
232.	Bhimsingh s/o Dolatsingh.	- de -

1	2	3
233.	Chandansingh s/o Baradsingh.	Distt. Jail Udaipur.
234.	Himmatsingh s/o Madansingh.	– eo –
235.	Shambhusingh s/o Jawansingh.	– do –
236.	Mangilal s/o Sukhdev.	Distt. Jail, Alwar.
237.	Devisfngh s/o Bharatsingh.	– do –
238.	Satidan s/o Arjundan.	Distt. Jail, Bikaner.
239.	Tejs.ngh s/o Bhanwarsingh.	– do –
240.	Kishansingh s/o Chimansingh.	Distt. Jail, Alwar.
241.	Hatansingh s/o Ramnathsingh.	– do –
242.	Bhoopalsingh s/o Dhulsingh.	Distt. Jail, Bhilwara.
243.	Bheenwasingh s/o Durjansingh.	Sub Jail, Sikar.
244.	Kesarsingh s/o Hanumansingh.	Sub Jail, Nagaur.
245.	Bhawanisingh s/o Udaisingh.	Distt. Jail, Udaipur.
246.	Onkarsingh s/o Partapsingh.	– do –
247.	Doongarsingh s/o Swaroopsingh.	Distt. Jail. Bhilwara.
248.	Pratapsingh s/o Modsingh.	Central Jail, Jaipur.
249.	Richpalsingh s/o Balslngh.	– do –
250.	Raghbirsingh s/o Malsingh.	– do –
251.	Pirthisingh s/o Nathusingh.	– do –
252.	Shyamsingh s/o Devisingh.	– do –
253.	Bhopalsingh s/o Gopsingh.	– do –
254.	Kishansingh s/o Chimansingh.	Distt. Jail, Alwar.
255.	Ratansingh s/o Ramnathsingh.	– do –
256.	Bheemsingh s/o Simrathsingh.	Central Jail, Jodhpur.
257.	Bhanwarsingh s/o Meghsingh.	Central Jail, Jaipur.
258.	Mangejsingh s/o Balsingh.	– do –
259.	Bharatsingh s/o Bhomsingh.	Distt. Jail, Udaipur.
260.	Rajsingh s/o Girwarsingh.	– do –
261.	Manoharsingh s/o Modsingh.	– do –
262.	Shambhusingh s/o Jowarsingh.	– do –

1	2	3
263.	Nainsingh s/o Bhoorsingh	Distt, Jail, Udaipur.
264.	Devisingh s/o Gumansingh.	- do -
265.	Sanwatsingh s/o Arjunsingh.	- do -
266.	Sheodansingh s/o Dayamsingh.	Distt, Jail, Alwar.
267.	Bhanwarsingh s/o Shaktidansingh.	- do -
268.	Moolsingh s/o Bhanwarsingh.	- do -
269.	Mohansingh s/o Balwantsingh.	Distt. Jail, Udaipur.
270.	Fatehsingh s/o Devisingh.	- do -
271.	Jaisingh s/c Khumansingh.	- do -
272.	Digpalsingh s/o Tejsingh.	- do -
273.	Naharsingh s/o Bhoorsingh.	- do -
274.	Dalehsingh s/o Pathisingh.	- do -
275.	Sugansingh s/o Richpalsingh.	Central Jail, Jaipur.
276.	Kansingh s/o Reedmalsingh.	- do -
277.	Durgasingh s/o Gadsingh,	- do -
278.	Kansingh s/o Sugansingh.	- do -
279.	Manoharsingh s/o Richpalsingh.	- do -
280.	Assusingh s/a Sugansingh.	- do -
281.	Mohansingh s/o Baneysingh.	- do -
282.	Bhanwarsingh s/o Shribuxsingh.	- do -
283.	Bhagwatsingh s/o Kalyansingh.	- do -
284.	Sohansingh s/o Roopsingh.	- do -
285.	Roopsingh s/o Bhaironsingh.	- do -
286.	Bajrangsingh s/o Moolsingh.	- do -
287.	Dhansingh s/a Balsingh.	Sub Jail, Sikar.
288.	Kesharsingh s/o Hemsingh.	Central Jail, Jodhpur.
289.	Danji s/o Khemdas Shami.	Central Jail, Jaipur.
290.	Nathusingh s/o Sardarsingh.	- do -
291.	Sona s/o Raja.	Sub Jail, Sirohi.
292.	Himmatsingh s/o Bhagwatsingh.	Sub Jail, Nagaur.

1	2	3
293.	Sukhdeo s/o Seva Ram.	Disit. Jail, Bikaner.
294.	Jorsingh s/o Gunansingh.	Sub Jail, Sirohi.
295.	Balwantsingh s/o Ajeetsingh.	Central Jail, Jodhpur.
296.	Janwantsingh s/o Sardarsingh.	- do -
297.	Jatansingh s/o Bahadursingh.	Central, Jail, Jaipur.
298.	Shambhusingh s/o Sardarsingh.	Sub Jail, Shahpura.
299.	Ram Dayalsingh sjo Kaailal.	- do -
300.	Narainsingh s/o Kesarsingh.	Distt. Jail, Bhilwara.
301.	Bhagwansingh s/o Shivdansingh.	Central Jail, Jodhpur.
302.	Berisalsingh s/o Shagatsingh.	- do -
303.	Mohansingh s/o Durjansalsingh.	Central Jail, Jaipur.
304.	Bahadursingh s/o Mansingh.	- do -
305.	Umraosingh s/o Bhagwatsingh.	- do -
306.	Ratansingh s/o Balsingh.	- do -
307.	Debisingh s/o Doonsingh.	- do -
308.	Sawaisingh s/o Debisfngh.	- do -
309.	Sawaisingh s/o Godsingh.	- do -
310.	Bhaironsingh s/o Gopalsingh.	- do -
311.	Bhanwarsingh s/o Ladusingh.	- do -
312.	Ranjeetsingh s/o Khetsingh.	- do -
313.	Sanwatsingh s/o Kansingh.	- do -
314.	Manoharsingh s/o Sardarsingh.	Distt. Jail, Udaipur.
315.	Bhanwarsingh s/o Bhoorsingh.	- do -
316.	Shivnathsingh s/o Ajitsingh.	- do -
317.	Karansingh s/o Amarsingh.	- do -
318.	Madhosingh s/o Lalsingh.	- do -
319.	Rajsingh s/o Sardarsingh.	- do -
320.	Bhikamsingh s/o Kesarsingh.	- do -
321.	Balwantsingh s/o Rawatsingh.	- do -
322.	Sadulsingb s/o Meghsingh.	- do -

1	2	3
323.	Shambhoosingh s/o Salamsingh.	Distt, Jail, Udaipur,
324.	Sabalsingh s/o Hukumsingh,	- do -
325.	Sohansingh s/o Fatehsingh.	- do -
326.	Modsingh s/o Mansingh.	- do -
327.	Kesarsingh s/o Gopalsingh.	- do -
328.	Bhoorsingh s/o Anarsingh.	- do -
329.	Vijesingh s/o Rawatsingh	- do -
330.	Roopsingh s/o Gamersingh.	- do -
331.	Sadulsingh s/o Modsingh,	- do -
332,	Kishna s/o Mayaram Nagore!	- do -
333.	Devisingh s/o modsingh,	- do -
334.	Motisingh s/o Gordhansingh.	- do -
335,	Padamsingh s/o Ramsingh.	- de -
336,	Nathusingh s/o Gopalsingh.	- do -
337.	Kesarsingh s/o Lachmansingh,	- do -
338.	Bherusingh s/o Isarsingh,	- do -
339.	Naharsingh s/o Gordhansingh,	- do -
340,	Bhoorsingh s/o Udaisingh,	- do -
341,	Mansingh s/o Bhimsingh,	- do -
342,	Magansingh s/o Udaisingh,	- do -
343,	Bhansingh s/o Mothsingh,	Sub Jail, Sikar,
344,	Surja alias Ganpata s/o Hardeva,	- do -
345,	Kanaksingh s/o Durjanlalsingh,	- do -
346,	Chotusingh s/o Surjansingh,	Central Jail, Jaipur,
347,	Bijeysingh s/o Achalsingh.	Central Jail. Jodhpur,
348,	Kalyansingh s/o Kishoresingh,	- do -
349,	Bheemsingh s/o Khumansingh,	- do -
350,	Bheronsingh s/o Balsingh,	- do -
351,	Udaisingh s/o Bhaironsingh,	Distt, Jail, Udaipur,
352,	Mansingh s/o Ranjitsingh,	- do -

Page No 128

1	2	3
353,	Navalsingh s/o Kishansingh,	- do -
354,	Bhansingh s/o Girwarsingh,	- do -
355,	Ramsingh s/o Devisingh,	- do -
356,	Chatarsingh s/o Salehsingh,	- do -
357,	Ratansingh s/o Modsingh,	- do -
358,	Govindsingh s/o Devisingh,	- do -
359,	Kesarsingh s/o Lalsingh.	- do -
360,	Budhsingh s/o Bhagwatsingh,	Central Jail, Jaipur.
361,	Motisingh s/o Fatehsingh.	- do -
362,	Mohansingh s/o Devisingh,	- do -
363,	Madansingh s/o Shardualsingh,	Distt, Jail, Bhilwara.
364,	Madansingh s/o Bahadursingh.	Sub Jail, Shahpura,
365,	Dalelsingh s/o Sohansingh,	Distt, Jail, Qhilwara,
366,	Raisingh s/o Rahmatsingh.	- do -
367,	Ramsingh s/o Bahrusingh,	- do -
368,	Bijaisingh s/o Lalsingh,	- do -
369,	Bhagusingh s/o Harmatsingh,	- do -
370,	Lalsingh s/o Harmatsingh,	- do -
371,	Harisingh s/o Modsingh,	- do -
372,	Arjunsingh s/o Bhanwarsingh,	Distt, Jail, Bikaner,
373,	Meghsingh s/o Pratapsingh,	- do -
374,	Jamansingh s/o Roopsingh,	- do -
375,	Behrisalsigh s/o Takhatsingh,	- do -
376,	Govindsiugh s/o Chainsingh.	- do -
377,	Tejsingh s/o Juharsingh,	- do -
378,	Ramsingh s/o Sawaisingh,	Distt, Jail, Udaipur-
379,	Sanrathsingh s/o Kesarsingh,	- do -
380,	Modsingh s/o Jagatsingh,	- do -
381,	Harisingh s/o Fatehsingh,	IInd Class Mag, Ratangarh.
382,	Harisingh s/o Madhosingh,	- do -
383,	Meghsingh s/o Bhaironsingh,	- do -
384,	Baohansingh s/o Harnathsingh,	- do -
385,	Sishpal suph s/o Chimansingh,	- do -

अतारांकित प्रश्न १३ एच० एम०

उत्तर

१. राजस्थान के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर अब तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जा चुके हैं।

जिला	विस्तार खण्ड
अलवर	गोविन्दगढ़
भरतपुर	बसेरी
जयपुर	सांगानेर, जयपुर
सवाईमाधोपुर	महुआ, टोडाभीम, सवाई माधोपुर
टोंक	मालपुरा
सीकर	नीम का थाना
झून्झूनू	चिडावा
पाली	देसूरी
जोधपुर	बिलाड़ा
बाड़मेर	सिवाना-समदड़ी
जालोर	जालोर
जैसलमेर	सांकड़ा
सिरोही	पिंडवाड़ा
डूंगरपुर	सागवाड़ा
उदयपुर	कोटडा, कुम्भलगढ़, गिरवा
बांसवाड़ा	गढ़ी
भीलवाड़ा	मांडलगढ
चित्तौड़	प्रतापगढ, वेगून
गंगानगर	करनपुर
बीकानेर	नोखा
कोटा	लाडपुरा, शाहबाद

जिला	विस्तार खण्ड
बूंदी	बूंदी तेलेडा
झालावाड़	झालरा पाटन

२. सरदार शहर जिला चूरु एवम् लाडनू जिला नागौर जहां पूर्व विस्तार कार्य (Pre Extention worek) अक्तूबर १९५५ से प्रारम्भ है, वे राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में परिणित कर दिये जावेंगे । बाकी खण्डों का प्रश्न विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या ३ (१५ एम.एल.एम.)

(उत्तर अनुपलब्ध)

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १६३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF MOHAFIZAN, WHO REMAINED OUT OF THE HEADQUARTERS DURING THE THE LAST THREE MONTHS.

S. No.	NAME	Period in which they remained out of Head quarters. From	To	Reasons
1.	Shri Ghan Shyan Mohafiz	1 to 8-12-55		Visited his Zilledari office for examination. instructions.
		9 to 15-12-55		Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
2.	,, Mohd Saddiq ,,	Do		Do
3.	,, Mangal Chand ,,	8 to 15-12-55		Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
		17-11-55 to 27-1-56		On sick leave.
4.	,, Kanhiya Lal ,,	27 to 30-12-55		Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
5.	,, Chand Bux ,,	1 to 7-12-55		Visited his Zilledari office for examination instructions.
		8 to 15-12-55		Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
6.	,, Bajrang Lal ,,	1 to 6-12-55		Visited his Ziladari office for examinations instructions.
		7 to 15-12-55		Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
		17 to 18-2-56		On Casual leave for private work.

7 ,, Narain Prashad	,,	1 to 7-12-55	Visited his Zilledari office for examination instructicns.
		8 to 15-12-55	Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
8. ,, Noor Mohd	,,	27 to 31-12-55	Do
9. ,. Radhe Shyam	,,	Do	Do
10. ,, Kishori Lal	,,	Do	Do
11. ,, Rameshwar	,,	27 to 31-12-55	Do
		8. to 18-2-56	Visited Jaipur for submitting Khatoonies of Fasal Kharif.
		19 to 25-2-56	On Casual Leave for Private work.
12. ,, Pyara Mohd	,,	27 to 31-12-55	Visited Jaipur to sit for Departmental examination.
13. ,, Ganda Lal	,,	Do	Do
14. ,, Shafi Mohd.	,,	Do	Do
15. ,, Bhanwar Gopal	,,	Do	Do
